Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८५वां दिवस [संख्या ५१

सोमवार, ११ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १४५८

श्री अध्यक्ष : राव राजा सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

सचिवालय के समिति कक्ष को पुनः सुसज्जित करना

१४५९. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) Will the Chief Minister be pleased to state:-

1. Is it correct that recently the State Government sanctioned Rs. 30,000,-to refurnish the Committee Room in the Secretariat? If so, how does the Government justify spending such huge amounts to furnish one single room?

2. What are the articles which have been purchased for equiping the Committee Room? The names of firms from which the purchases have been made along with the rates at which the articles have been purchased may kindly be stated.

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मन्त्री की ओर से): 1. No sanction for Rs. 30,000/- issued by the State Government to refurnish the Committee room.

2. The question of purchasing the articles from the firms on account of its refurnishing does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the Secretariat Committee Room was re-furnished in the early days of this year?

श्री नाथूराम मिर्धा : No.

Page No.2

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Was the Secretariat Committee Room furnished without obtaining necessary sanction ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No.

श्री पी० के० चौधरी : Then how was it furnished when no sanction was taken ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I have replied your question. It was furnished some day.

श्री श्रीभानसिंह : On which day, it was furnished ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख तो मुझे मालूम नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे दिया।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister should not commit that it was furnished some day.

श्री नाथूराम मिर्धा : सेक्रेटेरियेट को फरनिश हुए तो वर्ष हो गये।

श्री श्रीभानसिंह : जिस समय सेक्रेटेरिएट बना था, उस समय सवाई मानगार्ड के सिपाही रहते थे। जिस समय राजस्थान बना था उस समय आप भी मिनिस्टर नहीं थे, जब कि आपने सम डे फरनिश कहा वह दिन बतलाइये ? On which day it was furnished ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I dont' know the exect day.

श्री पी. के. चौधरी : क्या कमेटी रूम एयरकन्डीशन्ड भी है और उसकी प्रत्येक सीट पर माइक भी फिट हो चुके थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माइक्स को फिक्स किये काफी अर्सा हो गया है।

श्री पी० के० चौधरी : कब से फिक्स किये गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे कहा इसकी तारीख मुझे पता नहीं है। माइक को लगे दो ढाई साल हो गये।

लटाई के आधार पर जागीरदारों को मुआवज़ा

१४६०. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी जागीरें हैं जिनका मुआवज़ा सैटलमेन्ट द्वारा निर्धारित आय के आधार पर न दिया जाकर लटाई के आधार पर दिये जाने का प्रश्न सरकार के समक्ष उपस्थित हुआ ?

(२) उसमें से कौन कौन सी जागीरों के सम्बन्ध में क्या क्या निर्णय लिया गया और कौन कौन सी जागीरों का मामला विचाराधीन है ?

(३) क्या सरकार लटाई के आधार पर मुआवज़ा देना उपयुक्त समझती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) :

(श्री सम्पतराम)

(१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई उसमें जागीरों के नाम के आगे विवरण अंकित है।

(३) जो जागीरें सैटलमेन्ट लागू होने से पूर्व ही खालसा कर ली गई हैं, केवल उनका मुआवज़ा एक्ट की धारा ७ के अनुसार ३ साल की लटाई की औसत आय पर निश्चित किये जाने का विधान है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : पाली जिले की जो २४ जागीरें बताई गई हैं वे किस आधार पर विचाराधीन हैं ?

श्री सम्पतराम : वह लिस्ट में अंकित है।

श्री बेनाराम गहलोत : जब पाली जिले के कलेक्टर ने ऑलरेडी तीन साल की लटाई की आय को आधार माना है वैसी हालत में मुआवज़ा तय क्यों नहीं होता ?

श्री सम्पतराम : मैंने अर्ज किया जिनका सैटलमेन्ट नहीं हुआ सैटलमेंट होने से पहले लटाई के आधार पर तीन साल की औसत निकालने का था। बहुत से केसेज़ में यह बात साबित नहीं ऐसी हालत में वे सब केसेज़ जागीर कमिश्नर के यहां विचाराधीन है ?

श्री बेनाराम गहलोत : इन पर फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री सम्पतराम : ज्यों ही नेसेसरी इन्फोरमेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल से चाहिये उसके आने पर फैसला हो जायगा।

धौलपुर के कन्या तथा उच्च विद्यालय

१४६१. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) धौलपुर स्थित कन्या उच्च विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों में कितनी कितनी छात्रायें कक्षावार हैं ?

(२) उक्त विद्यालयों में किस किस चीज़ की कमी है, तथा उनकी पूर्ति हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) धौलपुर कन्या प्राथमिक व उच्च विद्यालय में कक्षावार छात्र संख्या निम्न है।

कक्षा	छात्र संख्या	कक्षा	छात्र संख्या
१.	१०२	६. ए.	२८
२.	६५	६. बी.	३१
३.	५६.	७. ए.	१६
४.	५६.	७. बी.	१८
५.	६६.	८.	२५
		९.	१४.
		१०.	२७.

(२) प्राथमिक कन्या पाठशाला धौलपुर में जो कमियां गत साल में सम्मुख आई

Page No.4

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उनकी समय समय पर पूर्ति करने की व्यवस्था की गई। भविष्य में किसी प्रकार की कमी होगी तो उसे शीघ्र समय पर पूरी करने की व्यवस्था की जायगी।

उच्च कन्या विद्यालय में कुछ कमियां हैं जैसे छात्रावास, अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर्स आदि। छात्रावास व अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर्स आदि के प्रबन्ध में वहां की जनता को पूरा सहयोग प्रदान करना चाहिये। अगर वहां की जनता का सहयोग प्राप्त होगा तो सरकार भी यथा संभव सहायता देने पर विचार करेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या प्राथमिक शाला की जो छात्रायें है उनकी संख्या को देखते हुए, दूसरे विद्यालय जो शहर के करीब १ मील के फासले पर हों, सरकार खोलना चाहती है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : स्थानाभाव तो आखिर है ही यह तो आप मानते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो मैंने उत्तर में बता दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने कक्षा १ में १०२ छात्रायें बताई, उसके लिये अध्यापिकायें कितनी हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सूचना मेरे पास नहीं है जितनी अध्यापिकायें होनी चाहिये उतनी मौजूद हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका तो स्पष्ट जवाब मिलना चाहिये। क्या तीन अध्यापिकायें हैं या उमसे कम ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसके जवाब के लिये तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाना चाहिये। लेकिन जहां १०२ छात्रायें पढ़ती हैं, वहां आपको यह समझना चाहिये कि केवल पहली कक्षा को ही प्राथमिक नहीं मानते।

डॉ० बहादुरसिंह : जनता से आप क्या चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसके लिये छात्रावास बनायें, अध्यापिकाओं के रहने के लिये क्वार्टर बनायें या उनको मकान बनवा कर उचित किराये पर दीजिये यही इमदाद जनता से चाही जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : जो सरकारी बिल्डिगें उसके (सरकार के) पास बेकार पड़ी हैं सरकार उसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहती ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे पास सूचना नहीं है कि कोई सरकारी बिल्डिंग बेकार पड़ी हो।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इस प्रकार की इमदाद केवल धौलपुर से ही चाहते हैं या अन्य जगहों से भी इस प्रकार की इमदाद ली है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अन्य जगहों से भी ली जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : जयपुर शहर ने कितनी डिमान्ड पूरी की ?

Page No.5

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके इस प्रकार के हाईपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : धौलपुर की जनता से आप कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जनता से पैसा इकट्ठा करें हमारी जैसी पोज़ीशन होगी हम मदद देंगे। इसी प्रकार गांव के लोगों से भी चाही जाती है।

श्री श्रीभानसिंह : जनता से वाकई कितने पर्सेन्टेज पैसे चाहते हैं ? कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आप धौलपुर की जनता से चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पूरी बिल्डिंग जनता बनाकर दे दे और उसके अलावा जितना धन इकट्ठा कर सकती है करके दे देवे।

श्री श्रीभानसिंह : आपने जनता के सहयोग का कुछ पर्सेन्टेज़ तो बांध रखा होगा कि इतना पर्सेन्टेज कॉन्ट्रीब्यूट करें तभी सरकार स्कूल खोलेगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारी योजना के मुताबिक प्राथमिक शालाओं की और सेकेन्डरी शालाओं की बिल्डिंग जनता बनाकर दे दे। तभी सरकार स्कूल चला सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोतबाबा चौधरी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय इसका उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ है, अतः इसे अगली टर्न पर रख दिया जाय।

प्रश्न संख्या १४६३

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

बांसवाड़ा में राजकीय आदिवासी कन्या छात्रावास

१४६४. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बांसवाड़ा में राजकीय आदिवासी कन्या छात्रावास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

जी नहीं। बांसवाड़ा में पहिले ही एक राजकीय आदिवासी कन्या छात्रावास चल रहा है।

प्रश्न संख्या १४६५

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन

Page No.6

बिना सरकारी आज्ञा के काश्त करने वाले काश्तकारों से तावान की वसूली

१४३६. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर-श्री गिरधारीलाल द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने ता० ६।१०।५६ को यह तय किया था कि राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में सन् ५६ की फसल खरीफ बिना सरकारी आज्ञा के काश्त करने वाले किसानों पर तावान बजाय ६ गुणा के १॥ गुणा ही लगाया जावे ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के इस निर्णय के बावजूद भी नोहर और सूरत गढ़ तहसीलों में तावान ६ गुणा कायम होकर वसूल हो गया ?

(३) क्या इस तावान की कोई जांच भी कराई गई थी ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा और वह जांच के कागज़ात जयपुर के सेक्रेटेरियट में कब आये और अब उन कागजों पर क्या हो रहा है ? क्या यह ज़ायद तावान किसानों को वापिस दिया जावेगा ?

(४) इस तावान की कितनी धन राशि है ?

(५) सरकार के निर्णय के बावजूद भी यह तावान लगाने का दोषी कौन है ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां । १०।६।५६ को एक स्थगन आदेश प्रचलित किया गया था जिसे ६।४।५८ को खंडित किया जाकर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान को दृष्टि में रखते हुए, हर मामले में उसके अनुसार कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । श्री गंगाप्रसाद विस्वा, एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर लैंड रिकार्ड फोर बैटरमेंट लेवी हनुमानगढ को १६।१०।५७ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट ११।८।५८ को कमिश्नर द्वारा सेक्रेटेरियट में भेज दी गई ।

इस विषय में जो निर्णय लिया गया है, उसकी सूचना प्रश्न के खंड १ में दी जा चुकी है ।

(४) ५१,१३८ रु० १३ आने ।

(५) यह तावान तहसीलदारों ने टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत वसूल किया है, इसलिए दोषी कोई नहीं कहा जा सकता एवं सजा का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : यह जो तावान का जो डेढ़ रुपया रेट रखा था, यह केवल गंगा नगर इलाके के लिए ही था या सारे राजस्थान के लिए ?

श्री सम्पतराम : गंगा नगर और बीकानेर डिविजन में पहले एक पैसा लिया जाता था जब जमीन पर ज्यादा काश्त करने का सवाल पैदा हुआ उस समय कुछ लिनियेन्सी बरती गई । बीकानेर डिवीजन में अलग अलग व्यवस्था थी इसके अलावा अन्य किसी स्थान पर ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

Page No.7

(श्री पी. के. चौधरी)

बीकानेर डिविजन के अलावा और कहीं यह रेट लागू नहीं है ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : आप क्यों नहीं लगाते, दूसरे एरिया में भी यही लगा दें ? Why this discrimination between Bikaner and other divisions?

श्री सम्पतराम : This is governed by ths provisions of the Tenancy Act.

श्री गिरधारीलाल : जिन लोगों से ड्योढा वसूल कर लिया गया, उन लोगों को कब तक लौटा दिया जायगा ?

श्री सम्पतराम : टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत छः टाइम्स देने की बात है, लेकिन गंगानगर की जमीन का जहां तक ताल्लुक है वहां की पैदावार रिहायसी पैदावार नहीं होती। टिनेन्सी एक्ट के प्रोविजन से पहले का यह मामला है, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल : विचार कब तक पूर्ण हो जायगा जिनसे ड्योढ़ा वसूल किया गया उनको वापिस लौटाया भी जायगा या नहीं ?

श्री सम्पतराम : तहकीक नहीं कहा जा सकता कि वाकई दिया जायगा या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल : इन मामलों को फाइनल कब तक कर दिया जायगा ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही कर देंगे मुकम्मिल रिपोर्ट आ गई है केवल निर्णय करना शेष है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपरोक्त आज्ञा क्या टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले जारी की गई थी ?

श्री सम्पतराम : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद में जारी को गई तो पिछले वाली काश्त की तवान कैसे हुई ?

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि यह एक स्पेशल फीचर है इसमें इस प्रकार की व्यवस्था रही बाकी का एरियर भी पड़ा हुआ था गंगा नगर के इलाके में वैसी हालत में दोनों के बारे में ऑर्डर्स जारी किये गये बाद में जब कि टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ उसके मुताबिक कार्यवाही की गई । इसके पहले का जो अमाउन्ट है उसके बारे में सरकार विचार कर रही है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि ६।१०।५६ को जो आज्ञा प्रसारित की गई थी वह टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पहले के समय के लिए थी और उसी के आधार पर यह तावान लेने की व्यवस्था थी ?

श्री सम्पतराम : रिपोर्ट आ गई है लेकिन इस बारे में मैं तहकीक नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : आज्ञा किस बात की है ?

Page No.8

श्री सम्पतराम : That was interim order.

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बात की आज्ञा थी कि छः आना लगान न लिया जा कर डेढ़ गुणा लिया जाय ?

श्री सम्पतराम : ड्योढ़ी थी जब उस इलाके के काश्तकारों की ओर से इस प्रकार की शिकायत आई कि हमारे इलाके में पैदावार नहीं हुई और इस प्रकार से लगान ज्यादा लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टे आर्डर जारी कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार का जो इन्टरिम ऑर्डर इश्यू किया गया वह टिनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद जब कि काश्तकारों की ओर रिप्रेजेन्टेशन हुआ, उस पर इस प्रकार की आज्ञा जारी की गई कि डेढ़ा लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : टिनेन्सी एक्ट बना उसमें तो ६ गुना लगान लेने का था इनकी तरफ से इस प्रकार के इन्स्ट्रेक्शन इश्यू किये थे कि छः गुना लगाने के बजाय डेढ़ा लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : टिनेन्सी एक्ट तो लागू हो गया ५६ में लेकिन उसके बीच के पीरियड के लिए क्या हुआ ?

श्री सम्पतराम : दोनों के लिये था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है तावान लेने के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया वह सरकार द्वारा न लिया जाकर एस० डी० ओ द्वारा लिया जाना चाहिये ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार के पॉवर्स छः गुना तक लेने का है लेकिन हार्ड केसेज के अन्दर गवर्नमेंट द्वारा एग्ज़ामिन करने के पॉवर्स हैं उसके सेटिफाई होने पर आज्ञा दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सब थ्रू प्रोपर चेनल, जैसा कि टिनेन्सी एक्ट में दिया हुआ है, उसी प्रकार इसका पालन हुआ था ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

प्रश्न संख्या १४६७

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

लूणकरनसर तहसील के काश्तकारों के खातेदारी हक

१४६८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लूणकरनसर तहसील के किसानों को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन् ५५ की दफा १५ के अनुसार खातेदारी अधिकार अब तक क्यों नहीं प्राप्त हुए ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में काश्तकारों ने सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट नोर्थ बीकानेर को कोई प्रार्थना पत्र दिए थे कि उनके अधिकारों का इन्तकाल दर्ज हो जाय।

(ग) इन काश्तकारों के प्रार्थना पत्र पर क्या विचार हुआ ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत-

Page No.9

(श्री सम्पतराम)

राम) : (क) स्वतः प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) तहसीलदार के पास नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह कब भेजा गया ?

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : खातेदारी अधिकार दे दिए गए या नहीं ?

श्री सम्पतराम : देने और न देने का सवाल नहीं, धारा १५ के तहत ऑटोमेटिकली खातेदारी अधिकार मिल गए ।

श्री मुरलीधर व्यास : खातेदारी में नाम दर्ज हो गए हैं ?

श्री सम्पतराम : किसी पर्टिकुलर केस के बारे में पूछें तो बताया जा सकता है । सारी तहसील की जानकारी देना संभव नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब दर्ख्वास्तें दी गई, प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर उसी तरह से स्पष्ट होना चाहिये ?

श्री सम्पतराम : मैं यह मानकर चलता हूं कि जिन जिन की दर्ख्वास्तें आई हैं उन सब को खातेदारी हक दे दिए गए हैं । फिर भी व्यक्ति विशेष के लिए आप जानकारी दें तो इन्क्वायरी कराई जा सकती है ।

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि राजस्थान केनाल जिन जिन गांवों में होकर गुजरी है वहां सरकार ने खातेदारी हक नहीं दिए हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कर्ज

१४६६. श्री रामेश्वरदयाल (कोटा—श्री बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया):

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कर्ज देने के लिए, भारत सरकार से राजस्थान के लिए कितना रुपया मिला ?

(ख) ५६–५७, ५७–५८, ५८–५६ में राजस्थान के प्रत्येक जिले को कितना कितना रुपया दिया गया ? इसकी सूची, जिले के अनुसार सदन की मेज पर रखी जावे ।

(ग) इस धन राशि का वितरण जिलों में किन किन सिद्धान्तों के आधार पर किया गया ?

(घ) क्या यह बात सच है कि कोटा की निरन्तर बढ़ती हुई आबादी की निवास सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुपात के लिहाज़ से कोटा को बहुत कम धन राशि दी गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No.10

योजना मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों में अल्प आयगृह निर्माण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से राजस्थान को निम्नलिखित धन राशि मिली :

१९५५।५६	२६,४०,३००)
१९५६।५७	५५,८०,७००)
१९५७।५८	३२,२०,०००)

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) धन राशि का वितरण, धन की उपलब्धता, स्थान की आवश्यकता एवं आबादी को ध्यान में रख कर दिया जाता है। प्रार्थियों को जिलाधीशों द्वारा वितरण निर्धारित नियमों, जिनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है. के अनुसार किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसकी सूची नहीं मिली नियमों की। दूसरी बात यह है कि बीकानेर को २,१५ हज़ार मिले ५८।५९ में और अजमेर को ३,४६ हज़ार मिले और दूसरी को एक लाख से भी कम इसका कारण क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्कीम यह नई नई आई थी और इसलिए कई शहरों ने तो सारे रुपए को यूज़ ही नहीं किया और कुछ टाउन्स और शहरों में उत्साह था और कलेक्टर ने प्रोपरली डिस्ट्रिब्यूट किया, वहां लोगों ने ज्यादा खर्च कर दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कोटा में आबादी निरन्तर बढ़ रही है फिर भी वहां धनराशि कम देने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न उपयोग ही नहीं किया लोगों ने।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप ने अलॉट किया होगा न ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सूची बता दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आबादी के आधार पर देते हैं या आवश्यकता के आधार पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सब पढ़ कर सुना दिया। आवश्यकता और आबादी को ध्यान में रख कर।

डॉ० बहादुरसिंह : अलॉटमेंट ही यूज़ न करने के कारण है या आपने वितरण दूसरी तरह से किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आवश्यकता और आबादी दोनों को ध्यान में रख कर दिया है। आवश्यकता यह हुई कि जहां लोगों ने रुपए को खर्च कर दिया तो फिर कलक्टर ने डिमान्ड किया और हमारे पास रुपया था तो हमने उनको और दे दिया।

डा० बहादुर सिंह : खर्चा करने का प्रश्न तो बाद में आवेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : शुरू में जो करते

Page No.11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हैं अलॉटमेंट वह भी खर्च नहीं हो पाता तो बाद का क्या सवाल रहा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Should we understand that in other cities the funds are alotted less because there are no demands ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि दो बार साल में अलॉटमेंट करते हैं। एक साथ सारा का सारा न हमें मिलता है न हम डिस्ट्रिब्यूट ही करते हैं। साल के दौरान में जिन्होंने खर्च कर दिया और और मांगा तो और दे देते हैं अगर हमारे पास हुआ तो।

डा० बहादुरसिंह : और नगरों में आवश्यकता होते हुये भी रुपया नहीं मिलता।

श्री नाथूराम मिर्धा : आजकल काफी डिमान्ड होने लगी है। शुरू शुरू में कईयों ने इसे सारा यूटीलाइज़ ही नहीं किया और वह यों ही पड़ा रहा। अब तो लोगों को मालुम हुआ है, डिमान्ड भी बड़ी है पर रुपये की अवेलेबिलिटी कम है। इसलिए आज सबको सबकी डिमान्ड के हिसाब से नहीं दे सकते।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : इस साल भेदभाव क्यों किया गया, मांग ज्यादा है तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारी तरफ से भेदभाव नहीं है। हम तो हिसाब से ही अलॉट करते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरे शहरों में आवश्यकता है तो फिर अजमेर को ही तीन लाख और दूसरों को एक लाख ही क्यों दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अजमेर की प्लान अलग है।

श्री दयाकृष्ण विजय : लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में अब तक जो रेस्ट्रिक्शन थीं उनमें फरवरी, ५६ में और लगाई गई हैं और इसके बावजूद भी जिनको मिलना चाहिये उसको नहीं मिला इसका क्या कारण ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन की मेज़ पर इतनी बड़ी पुस्तिका रख दी है, वह आप पढ़ लें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : नया ऑर्डर क्या निकला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कुछ निकला है वह इसमें मौजूद है।

प्रश्न संख्या १४७०

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द मोहिल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : प्रश्न संख्या १४७०। इसका जवाब दिलवा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : कोई ऑथोरिटी नहीं है आपको।

मैट्रिक व इन्टर ग्रेड में नियुक्तियां

१४७१. श्री दयाकृष्ण विजय(छबड़ा):

Page No.12

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या शिक्षा विभागाध्यक्ष के द्वारा ऐसी आज्ञा है कि मैट्रिक व इन्टर की ग्रेड में तब तक नई नियुक्तियां नहीं की जावें जब तक उस योग्यता के अध्यापक विभाग में निम्न ग्रेड्स में कार्य कर रहे हों ?

(२) यदि हां, तो राजस्थान में सन् १९५८।५९ में इस आज्ञा के विरुद्ध कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

(३) कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें,

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) १४९ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

(३) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कैलाशनारायण तिवाड़ी, और श्री भंडारी को इंटर ग्रेड में और ताराचन्द को मैट्रिक ग्रेड में घाटगेट में नियुक्त किया गया है जब कि सैकड़ों इससे कम ग्रेड में हैं। उनके रहने के बावजूद उनको नौकरियां कैसे दी गई हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है तो इन दोनों के नाम बाद में मुझे दे दें। मैं तहकीकात कर लूंगा। मेरे पास तो सूचना है कि नियुक्ति कोई नियम विरुद्ध नहीं की गई।

श्री दयाकृष्ण विजय, : मैं सूचना दे रहा हूं कि कैलाश नाथ, भंडारी को मोडल स्कूल जयपुर में इन्टर ग्रेड में फिक्स किया है और दुलीचन्द लुहाड़िया को मेट्रिक ग्रेड में फिक्स किया गया है, और सैकड़ों लोग थे, उनको नहीं दिया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं स्वीकार करता हूं मैं निवेदन करता हूं कि आप आकर के मुझसे मिल लें। मैं जांच करा लूंगा और अगर आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायगी। जोमुझे सूचना दी गई है; वह मैं बता रहा हूं, आप दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पार्ट दो का क्या उत्तर दिया आपने ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : १४९ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया लेकिन आज्ञा के विरुद्ध कोई नियुक्ति नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : एक तरफ पहले पार्ट के उत्तर में आप कहते हैं जी हां और यहां पार्ट २ में पूछा है, यदि हां तो राजस्थान में सन् १९५८—५९ में इस आज्ञा के विरुद्ध कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, उसका उत्तर दे रहे हैं कि आज्ञा के विरुद्ध कोई नियुक्त नहीं की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमन्त्री) : १४९ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। लेकिन साइन्स, डोमेस्टिक साइन्स और मैथे-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मेटिक्स है, जिनकी वजह से जो पुराने टीचर हैं वे जानने वाले नहीं थे, दूसरे टीचर अवे- लेबल नहीं थे, इसलिए १४६ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

श्री अध्यक्ष : इनके लिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दूसरे लोअर ग्रेड में टीचर नहीं थे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि यह उत्तर है। मैंने माननीय सदस्य को निवेदन कर दिया कि वे बतायें, हम जांच करके कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

ग्राम बदनोर में भूमि पर अनाधिकार कब्ज़ा

१४७२. **जयसिंह** (आसिन्द) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मी नारायण व्यास ग्राम बदनोर तहसील आसिन्द के सरपंच और नम्बरदार होते हुए सरकारी बिना नाम भूमि व शाही रास्ते पर अनाधिकार रूप से लगभग आठ दस माह से काबिज़ है। यदि हां, तो कितनी भूमि पर ?

(२) क्या उक्त अनधिकृत कार्यवाही की सूचना जनता बदनोर द्वारा तहसीलदार आसीन्द को यथा समय हुई ? यदि हुई, तो उन्होंने कब तथा क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसीलदार के चुप्पी साधने पर सब डिविज़नल ऑफिसर गुलाबपुरा ने मुकाम बदनोर जनता की शिकायत पर तहसीलदार को शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश ज़ारी किये थे ? यदिहां, तो क्या परिणाम रहा ?

उप-मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, ३। ३ बीघा पर केस है।

(२) पटवारी द्वारा २२-६-५८ को सूचना मिलने पर जुर्माना व वसूली लगान का आदेश तहसीलदार ने दे दिया था।

(३) तहसीलदार के चुप्पी साधने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन हां, एस. डी. ओ. गुलाबपुरा को जनता बदनोर ने एक प्रार्थना पत्र अवश्य दिया था। तहसील की ओर से श्री लक्ष्मी नारायण से कब्ज़ा हटाने व लगान ११ आने और पेनेल्टी छः गुना लगान के ४ रुपये २ आना वसूली के आदेश हुए, परन्तु इस आज्ञा के विरुद्ध श्री लक्ष्मी-नारायण ने अतिरिक्त ज़िला भीलवाड़ा की अदालत में अपील की हुई है।

श्री जयचन्द मोहिल (कपासिन-सु) : क्या यह बहुत अर्से से मामला पेन्डिंग है, कब तक मामला हल हो जायगा।

श्री सम्पतराम : यह मामला सब-जुडिस है। मैं नहीं कह सकता, कब तक तय हो सकता है।

प्रश्न संख्या १४७३

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १४७४

श्री शंकर लाल ।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

बीमा विभाग के कर्मचारियों का ग्रेड

१४७५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीमा विभाग के सुपर वाइज़र्स व असिस्टेन्ट सुपरवाज़र के लिए क्या ग्रेड निर्धारित है ?

(२) इनकी नियुक्ति तथा स्थायीकरण के क्या नियम है ?

(३) क्या इस पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) क्या यह सही है कि इन सुपरवाज़र, असिस्टेन्ट सुपरभाइजर की कोई सीनियोरिटी अभी तक नहीं बनी है ।

उप-मन्त्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई वित्त मन्त्री की ओर से) : बीमा विभाग के सुपरवाइज़र का ग्रेड १५०-१०-२२० इ बी १०-२५०, इबी १२॥—३०० है व असिस्टेन्ट सुपरवाज़र का ग्रेड ८०-५-१२० इ बी ८-१६०-१०-२००-व २५ रु० विशेष वेतन है ।

(२) सुपरवाइज़र व असिस्टेन्ट सुपरवाज़र की आसामियां सलेक्शन पोस्ट्स हैं इसलिये उन पर नियुक्तियां योग्यता, कार्य क्षमता शिक्षा तथा अनुभव को दृष्टिगत करके की जाती है । सुपरवाइज़र असिस्टेन्ट सुपरवाज़र विभागीय परीक्षा में पास होने पर स्थायी किये जाते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : आप पूरा उत्तर तो सुन लीजिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं अपना उत्तर पूरा नहीं कर पाया हूँ ।

(३) सिर्फ सुपरवाइज़र के लिये ग्रेज्युएट होना आवश्यक है क्योंकि सुपरवाज़र की आसामियां उत्तरदायित्व पूर्ण है एवं उनके अधिनस्थ लेखकों का कार्य देखरेख करने का है ।

(४) जी हां ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आप सुपरवाइज़र तथा असिस्टेन्ट सुपरवाइज़र की ग्रेड २५०, ३०० तक रखते हैं तो जो सब-इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर पुलिस के होते हैं जिनका सलेक्शन पी. एस. सी. के द्वारा होता हैं तो इनका सलेक्शन पी. एस. सी. द्वारा क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ग्रेड इन्स्पेक्टर वगैरह के बराबर हो जायगी तो जो और कोई इन्स्पेक्टर हैं, उनके ओहदे के बराबर इनके ओहदे नहीं हो जाते हैं ।

Page No.15

प्रश्न संख्या १४७६

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण दास।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति

१४७७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लाल सोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उप संचालक, शिक्षा विभाग, जयपुर के कार्यालय द्वारा कितने कनिष्ठ लेखकों की पदोन्नति की गई है ? पदोन्नति के समय उनको दूसरे ज़िलों में स्थानान्तर किया गया है जब कि कुछ स्थान जयपुर नगर में अथवा ज़िले में भी वरिष्ठ लेखकों के रिक्त थे।

(ख) क्या वरिष्ठ लेखक का स्थानान्तरण माह अगस्त सन् ५८ से अब तक ३ बार किया जाकर उसे वापिस जयपुर में बुला लिया गया है ?

(ग) क्या यह स्थानान्तरण राजकीय नियमानुसार उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया है ? क्या ऐसा करने में राजकीय नियमों की अवहेलना हुई है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि बीकानेर रेंज के एक ही जाति के ३ वरिष्ठ लेखकों का स्थानान्तरण जयपुर रेंज में किया जाकर जयपुर रेंज के ३ कनिष्ठ लेखकों की पदोन्नति को रोका जा रहा है ?

(ङ) क्या यह सही है कि उप संचालक शिक्षा विभाग, जयपुर को वरिष्ठ लेखकों के स्थानान्तरण के अधिकार नहीं हैं ? यदि हां, तो फिर वरिष्ठ लेखकों के स्थानान्तरण शिक्षा विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना क्यों किये जा रहे हैं ?

उप-मन्त्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) २४ कनिष्ठ लेखकों की पदोन्नति की गई। जैसे जैसे स्थान उपलब्ध थे उसके अनुसार लेखकों को उसी स्कूल में उसी ज़िले में उसी नगर में अथवा ज़िले के बाहर भेजा गया है।

(ख) जी हां।

(ग) यह स्थानान्तर अतिरिक्त शिक्षा संचालक की स्वीकृति की प्रत्याशा में आरजी तौर पर किया गया है।

(घ) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ङ) जी हां, यह स्थानान्तर अतिरिक्त शिक्षा संचालक की स्वीकृति की प्रत्याशा से आराजी तौर पर किये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या १४७८

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४७६

श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

Page No.16

ललित कला एकेडेमी द्वारा खरीदा गया प्रोजेक्टर

१४८०. श्री भैरोंसिंह (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सही है कि ललित कला एकेडेमी द्वारा एक प्रोजेक्टर खरीदा गया है ? यदि हां तो किस कीमत पर और किस तारीख को ?

(ख) क्या यह सही है कि इस प्रोजेक्टर के लिये टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये गये थे ? यदि हां तो क्यों ? यदि किये गये थे तो किन किन के टेन्डर्स आये और क्या सबसे नीचा टेन्डर स्वीकार किया गया ?

(ग) इस प्रोजेक्टर की मार्केट वेल्यू क्या है और यह किससे खरीदा गया था ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) एक अपीडटाइस कोप ३५०५ रु० का दिनांक १६.१.५६ को खरीदा गया है।

(ख) इसके लिये टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे। इन तीन व्यक्तियों के टेन्डर आये :

१. मैसर्स टाक स्टूडियो, जयपुर।

२. राजस्थान फोटो पैलेस, जयपुर।

३. रॉयल आर्ट फोटो पैलेस, जयपुर। मैसर्स टांक स्टूडियो का टेन्डर सबसे नीचा था जिसे स्वीकार किया गया।

(ग) इसकी मार्केट वेल्यू वही है जिस पर खरीदा गया और मैसर्स टॉक स्टूडियो जयपुर से खरीदा गया।

श्री भैरोंसिंह : यह टेन्डर इनवाइट करने का एडवर्टाइज़मेंट कब निकाला गया था और कौनसी तारीख तक टेन्डर इनवाइट किये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी तारीख नहीं है लेकिन दिसम्बर १६५८ में टेन्डर आये।

श्री भैरोंसिंह लास्ट डेट कौनसी थी ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : When was the notice issued ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह लास्ट डेट मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : The question was on what date the tender notice was issued ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is not the question on what date it was issued ? I have replied, I have said it was purchased on such and such date. The date of tender notice was not asked for.

श्री भैरोसिंह : आपने बताया कि टॉक ब्रादर्स का लोएस्ट टेन्डर था, तो बाकी के कितने के थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राजस्थान फोटो पैलेस, ४००० रु० राजस्थान आर्ट पैलेस, ४०५० रु०

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that these were not tenders and were quotations...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : No, my information is that tenders were invited.

श्री पी० के० चौधरी : If so, in which paper it was advertised ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : Exact dated is not with me. They were received in the month of December, 1958.

श्री भैरोंसिंह : आप कह सकते हैं कि टेन्डर इन्वाइट करे गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : टेन्डर प्रोपरली इन्वाइट किये गये हैं और दो दफा इनवाइट किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : एडवर्टाइज़मेंट कब गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो दफा टेन्डर इनवाइट किये गये हैं। प्रोपर टेन्डर आने के बाद जो कोटेशन आये हैं, उनमें लोएस्ट को स्वीकार किया है।

श्री पी. के. चौधरी : If it was invited, why don't you give the date and month ?

श्री अध्यक्ष : He has given the month, December, 1958.

श्री नाथूराम मिर्धा : वह क्या मेटिरियल है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह

पटेलान व नम्बरदारान की छूट की रकम में से डवेलपमेंट लोन व नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की कटौती

१४८१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सही है कि पटेलान व नम्बरदारान को जो छूट सरकार से मिलती है उसमें से रकम डवेलपमेंट लोन और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स के नाम से काट ली जाती है ?

(ख) यदि हां, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में किस कदर रकम तहसील वाइज़ काटी गई ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने इन्क्वायरी कराई है कि नम्बरदारों को जो छूट दी जाती है उसमें से नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की रकम नहीं काटी गई है ?

श्री सम्पतराम : विधान सभा के समक्ष जानकारी देने के लिए जो आवश्यक जानकारी करनी होती है, वह कराई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं चेलेंज देकर कहता हूँ कि आप जानकारी करा लें वहां काटी गई है।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर पर बता दीजिये कि किसकी काटी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तहसील में, देवली तहसील में पटेलों की छूट की रकम में से काटी गई है। और उसकी बिना मर्ज़ी के काटी गई है।

श्री सम्पतराम: हो सकता है कि पटेलों से रिक्वेस्ट की गई हो और उनकी छूट में से रज़ामन्दी से काटी हो। उनको फोर्स करने का जबरदस्ती करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : विधान सभा के समक्ष देने के लिए जितनी जानकारी देने की जरूरत है, वह प्राप्त कर ली है। विधान सभा के समक्ष जानकारी देने के लिए कितनी जानकारी की जरूरत होती है, यह बताने की कृपा करें।

श्री सम्पतराम : आप कोई सवाल पूछिये, मैं बताऊंगा।

श्री पी० के० चौधरी : आपने फर्माया कि विधान सभा में जितनी जानकारी देने की जरूरत है, उतनी हासिल कर ली है। सही इन्फोर्मेशन देने के लिए जितनी जानकारी की जरूरत होती है, वह बता दीजिये।

श्री सम्पतराम : मैंने जवाब दिया है वह सही है। जिनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ताल्लुक होता है, जिनसे जो जानकारी मांगी जाती है, वह आती है और उसके आधार पर जवाब दिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : Is it implied when the information is sent for Vidhan Sabha, the Collector and your other agency they don't give complete information ?

श्री सम्पत राम : वे करेक्टर इन्फोर्मेशन देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Complete information and not correct information. Whether that is not complete information with the expected supplementaries ?

श्री सम्पराम : जितनी इन्फोर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, जितनी इकट्ठी करना सम्भव हो सकता है, जितनी अपने दिमाग और समझ से दे सकते हैं, देते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : The question is put forward when in reply to supplementary, you say that they are not available with the office.

श्री सम्पतराम : I have esecifically replied the question put by my Hon'ble friend.

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप निश्चित बता दीजिये कि काटी गई या नहीं काटी गई।

श्री अध्यक्ष : वे बिल्कुल 'जी नहीं' कह चुके हैं, साफ तौर से।

श्री गिरधारीलाल।

राजस्थान कॉलेज जयपुर से निकलने वाला कालेज टाइम्स पत्र

१४८२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—
(क) क्या राजस्थान कॉलेज, जयपुर से

(श्री गिरधारीलाल)

'कॉलेज टाइम्स' नामक कोई पाक्षिक पत्र निकलता है ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होता है तथा उसकी कितनी प्रतियां बिकती हैं ?

उप-मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) जी हां, गत वर्षों में ७४१ रु० खर्च हुआ है। इस पत्र की प्रतियां कॉलेज के छात्रों, गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों राजस्थान के तमाम डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों को भेजी जाती है। इसलिए बिक्री का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गिरधारी लाल : गत वर्षों में बताया या गत वर्ष बताया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गत वर्षों।

श्री गिरधारी लाल : कितने वर्ष ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : यह व्यवस्था केवल इसी कॉलेज के लिए क्यों की गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस कॉलेज को अच्छा बनाने की योजना है, इसलिए किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे स्थानों में इस चीज की आवश्यकता नहीं है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कॉलेज के बारे में कई दफा हाउस में उत्तर दिया जा चुका है कि यह कॉलेज, दूसरे कॉलेजों से भिन्न है। सदन में बार बार इस बारे में सूचना देते रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह बात सही है कि दूसरे स्कूल और कॉलेजों में जो मैगेजीन इश्यू किये जाते हैं the amount is met from the students' fund the fees which the students give from that the cost of the magazine is met?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes.

श्री पी० के० चौधरी : Why this exception ? Why it is not recovered from the students ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Besides, there are so many exceptions in the college which I have already mentioned.

श्री अध्यक्ष : कई दफा कहा गया है कि यह स्पेशल इन्स्टिट्यूशन है।

श्री श्रीभानसिंह (बवाना) : Why ?

श्री अध्यक्ष : That is another question.

श्री श्रीभानसिंह : Why should one college magazine be made absolutely for all the classss and colleges and that they.

श्री अध्यक्ष : Who says that ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने उत्तर दिया तब आपने सुना। वहां पर कोई मजबूर नहीं किया जा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रहा है इसको पर्चेज करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : They don't charge anything. College magazine is run by the College staff.

श्री गिरधारीलाल : गत वर्षों से कितने सालों से मतलब है ?

प्रश्न संख्या १४८३

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४८४

श्री मोहूलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४८५

श्री मंगलसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : जी हां।

जिला नागोर में रिटायर्ड क्लर्क

१४८५ श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा- श्री दलपतसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर डिवीजन के नागोर जिले में सन् ५७ में राजस्व विभाग के कितने क्लार्कस कब कब रिटायर हुए। उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) क्या रिटायर्ड मुलाजिमान की तनख्वाह तरक्की आदि की रकम तारीख रिटायरमेंट तरक्की अदा कर दी गई है ? अगर नहीं, तो किस किस को देनी बाकी है ? उनकी सूची मय रकम के सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री संपतराम)

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) एक मामले में बाकी है। उसका वर्णन सदन की मेज पर रखी गई सूची में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

स्थगित प्रश्न

बाली व सोजत सब-डिविजनों में काश्तकारों पर मुकदमें।

१०२४. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बाली व सोजत सब-डिविजन में गत दो वर्षों में कितने काश्तकारों पर अन-आथोराइज्ड कल्टीवेशन के मुकदमात कायम किये गये और उनसे आज तक कितना कितना जुर्माना वसूल किया व कितनों को बेदखल किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री बेनाराम गहलोत)

(२) आज तक उपरोक्त मुकद्दमान में से कितने पैन्डिंग हैं और क्यों ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग: (श्री संपतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची में दर्ज है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : यह तहसीलदार को मुकदमात निबटाने का आदेश कब दिया गया था ? आपने जो इस सूची में लिखा है कि :—

'राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १८३ के अन्तर्गत मुकदमात की पॉवर तहसीलदार को है या नहीं।' इसका स्पष्टीकरण करके तहसीलदार को आदेश कब दिये गये थे ?

श्री सम्पतराम : इसमें तहसीलदार ने असिस्टेन्ट कलेक्टर से क्लेरिफिकेशन चाहता था। अब वह सारी फाइल लौटादी गई है। मुझे डेट याद नहीं है कि कौन सी तारीख को लौटाई गई है।

प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन

१०३३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या बेसिक शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार राजस्थान में प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(२) राजस्थान में ऐसी कितनी शालाएं हैं जहां शिक्षा बेसिक पद्धति से दी जाती है ?

(३) राजस्थान में ऐसी कितनी बेसिक शालायें है जहां बेसिक शिक्षा के लिए अध्यापक बेसिक ट्रेन्ड नहीं हैं ?

उप-मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद-विश्नोई) : (१) जी हां। बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के हेतु राज्य सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं:—(क) बेसिक एज्यूकेशन सेमीनार की व्यवस्था करना।

(ख) बेसिक एज्यूकेशन सप्ताह मनाया जाना।

(ग) एस. डी. आईज की सेमीनार द्वारा।

(घ) स्कूलों में उद्योग शुरू करना।

(च) पालेइट स्कीम में बेसिक स्कूल चलाकर।

(छ) हर वर्ष प्राथमिक शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया जाना।

(ज) अध्यापकों को हर वर्ष बेसिक प्रशिक्षण में भेजा जाना।

(२) १५३१

(३) ६६

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बेसिक एज्यूकेशन सप्ताह में क्या करते हैं और कहां कहा आज तक मनाया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : करीब २ जितनी बेसिक शालाएं उन सब में यह मनाया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : आपने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों में शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं तो कितने शिक्षकों को भेजा गया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हर साल २७०० के करीब को प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : कहां पर दिया जाता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बी. एस. टी. सी. स्कूल २७ राजस्थान में हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन कौन से स्थान पर हैं ?

श्री अध्यक्ष : २७ स्कूल हैं वह कह रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : २७ स्कूल हैं। वे अलग अलग जगह पर हैं। वहां पर साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : तीसरे के जवाब में आपने नान बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स आपने कर रखे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स पर्याप्त मात्रा में मिलते नहीं हैं। इसलिए ६६ जगह ऐसी हैं जहां पर नॉन ट्रेन्ड टीचर्स हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : नॉन बेसिक टीचर्स किस प्रकार से बेसिक स्कूलों में पढ़ाते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनको जगह जगह पर सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करके प्रशिक्षण दिया जाता है जैसा कि हम दे सकते हैं। जब तक कि ट्रेन्ड टीचर्स उपलब्ध नहीं हो जाते हैं उसमें कमी जरूर रहती है, लेकिन फिर भी कुछ तो सीख जाते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कई बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स ने रिप्रेजेन्टेशन दिया है कि बेसिक ट्रेन्ड होते हुए भी नान बेसिक ट्रेन्ड को प्रधानाध्यापक बनाया गया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : बेसिक स्कूल में प्रभुलाल पारीक को प्रधानाध्यापक बनाया गया है। उनकी जगह कई बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स थे उनको प्रधानाध्यापक का चान्स नहीं दिया गया है जब कि उनको दिया गया है। और भी एक और उदाहरण बताता हूं कि बी. पी. एस. बत्रीगर में श्री भंवरलाल व्यास नॉन बेसिक थे उनको हैडमास्टर बनाया गया था जब कि बहुत से बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स उसी स्कूल के अन्दर मौजूद थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स की सीनियोरिटी अलग नहीं होती है। एक ही केडर के होते हैं इसलिए हैडमास्टर का चान्स, शायद एक

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दो केस हो सकते हैं कि बेसिक में नम्बर नहीं आया हो। क्योंकि केडर एक है इसलिए उनका नम्बर आ जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : उसी केडर में हैडमास्टर के योग्य व्यक्ति थे उनको चान्स न देकर नॉन बेसिक हैं उनको चान्स क्यों दिया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह जबानी नहीं कहा जा सकता है। दोनों के मेरिट्स देखकर ही कहा जा सकता है कि कौन हैडमास्टर हो सकता है। यह एक प्रश्न है जिसके बारे में डिपार्टमेंट में जांच करके कहा जा सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं सूचना दे रहा हूं। क्या आप जांच करेंगे कि श्री प्रभुलाल पारीक और श्री भंवरलाल व्यास जिनको कि यहां जयपुर में हैडमास्टर बनाया गया है, उनको क्यों बनाया गया है ? इसका कारण बताया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां। लिखित में देदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जब सरकार बेसिक स्कूल खोलने की योजना बनाती है तो इस में इस बात की आवश्यकता को नहीं देखा जाता है कि बेसिक ट्रेन्ड कितने हैं इसके मुताबिक कितने स्कूल खोले जायं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह बराबर देखा जाता है। पहले हमारे यहां केवल १३ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल थे। उनकी संख्या बढ़ा कर दुगुनी कर दी है। २६ कर दी है। यह बराबर देखा जाता है लेकिन फिर भी बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स कई ऐसे होते हैं कि ज्वाइन नहीं करते हैं। दूसरी अच्छी कोई नौकरी मिल गई तो उसमें चले गये। १५५० स्कूल हैं उनमें १०० व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो ज्वाइन नहीं करें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या यह बात सही है कि बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स जो बेसिक स्कूल नहीं हैं वहां भी नियुक्त किये गये हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं बतला सकता हूँ कि ऐसा हुआ है और अभी तक चल रहे हैं आप देखें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे पास जो इसका उत्तर दिया गया है उसमें यही बार बार कहा गया है कि किसी बेसिक ट्रेन्ड को नॉन बेसिक में नहीं रखा गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : श्री किशोरी लाल जो कि बेसिक ट्रेन्ड हैं उनको नान बेसिक स्कूल बाई जी के मन्दिर में प्रधानाध्यापक बनाया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जितनी मुझे सूचना दी गई है वह मेरी सूचना के खिलाफ पड़ती है। अगर मेरी सूचना गलत है तो बराबर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आप एक्शन लेंगे जब कि मैं यह कह रहा हूँ कि श्री किशोरीलाल शर्मा को जो कि बेसिक ट्रेन्ड हैं उनको बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि जांच करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, किन शब्दों में कहूँ कि एक्शन लिया जायगा और गलती है तो इसको दुरुस्त की जायगी। मैं 'हां' में ही कह सकता हूँ। वही कहने का एक तरीका होता है। वह मैं पहले ही कह चुका हूं।

प्रश्न संख्या १०३६।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट को कार्यान्वित करने हेतु।

१४५८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) सरकार ने जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट को कार्यान्वित करने हेतु डिविज़न, डिस्ट्रिक्ट व तहसील वाइज़ क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(२) इसका डिस्ट्रिक्ट, तहसील वह डिविज़न वाइज़ क्या खर्चा है ?

(३) क्या यह सही है कि मुआवज़ा तय कराने हेतु सरकार की जानिब से एडवोकेटस की भी नियुक्ति कर रखी है, अगर हां तो कहां कहां कौन कौन और उनका सालाना क्या खर्चा होता है तथा उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त एक स्पेशल कार्यालय भी खोला है, अगर हां उसका स्पेशल अधिकारी कौन है ? उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और उसके कार्यालय का क्या खर्चा है तथा उसको क्या क्या अधिकार दिये हुए हैं ?

(५) उपरोक्त ऑफिसर का एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध डाइरेक्ट किस अधिकारी से है और उस अधिकारी को क्या पॉवर्स दी हुई हैं ?

उप-मन्त्री राजस्व विभाग (श्रीसम्पतराम) (१) प्रत्येक तहसील में एक जागीर एकॉउन्टेन्ट तहसीलदार को सहायता देने के लिये नियुक्त है। इस प्रकार जहां कम काम है वहां जिलाधीश वह कार्य करता है अगर जहां काम ज्यादा है वहां उप-जिलाधीश इस कार्य के लिये लगाया गया है। इनको मदद देने के लिए अहलकार व इन्स्पेक्टर लगाये हैं।

डिविजनों में कमिश्नरी कार्यालयों के लिए जागीर कार्य के लिये निम्नलिखित स्टाफ रखा गया है:—

यू. डी. सी.	१५
एल. डी. सी.	८
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	५

१६ ज़िलों जहां जागीर ज्यादा है। डिप्टी कलेक्टर मुकर्रर कर रखे हैं। जिलों में स्टाफ इस प्रकार हैं।

इन्स्पेक्टर	५५
यू. डी. सी.	६६
एल. डी. सी	१८७
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	७१

(श्री सम्पतराम)

तहसीलों में जहां कार्य ज्यादा है एकाउन्टेन्ट तहसीलों में लगा रखे हैं। उनकी संख्या १७७ है।

(२) कमिश्नरी डिविजन ५६,७३७) रु० डिस्ट्रिक्ट व तहसील १०,२५,६७३) रु० वायज़ खर्चा

निम्न स्थानों पर लीगल एडवाइजर इस प्रकार लगाये हुए हैं।

नाम	जिला
१. श्री हरिश्चन्द्र स्वामी	जयपुर, अलवर।
२. श्री नाथूलाल जैन	कोटा, बूंदी, झालावाड़
३. श्री खेतसिंह	जोधपुर, बाडमेर जालोर
४. श्री इस्माइल अली	उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर।
५. श्री सत्तानन्द शर्मा	बीकानेर, चूरू, गंगानगर
६. श्री भवानीशंकर उपाध्याय	चित्तौड़गढ़
७. श्री श्यामबिहारीलाल	सिरोही, पाली
८. श्री चैनसुख अजमेरा	भीलवाड़ा
९. श्री रामचन्द्र व्यास	सीकर, झुंझनूं
१०. श्री रामकृष्ण कल्ला	नागौर
११. श्री पुरुषोत्तमदास बुदाल	रेवेन्यू बोर्ड अजमेर

उनका सालाना खर्चा ६०) हज़ार रुपया है।

इनकी ड्यूटी निम्न प्रकार है:—

(१) एक्ट के तहत समस्त केसों की पैरवी करना।

(२) दफा ३२ जागीर एक्ट में सरकार को जागीर कमिश्नर व डिप्टी कलेक्टर्स को प्रोविज़नल अवार्ड की सूचना देना इन केसेज़ में गवर्नमेंट भी एक पार्टी है सरकार की तरफ से लीगल एडवाईज़र पैरोकार होते हैं और उजरात पेश करते हैं। निर्णय विरुद्ध होने की अवस्था में सरकार को अपील के लिए लिखते हैं।

(४) जी हां। बी० एन० तनख्वाह आई० ए० एस० (रिटायर्ड) स्पेशल अधिकारी हैं। इस अधिकारी की ड्यूटी है कि जो फाइनल क्लेम सरकार में सूचनार्थ भेजे जाते हैं उनकी जांच की जाती है अगर कोई आय खिलाफ कानून मान्यता दी गई है तो उसके लिए वह राजस्व मंत्री के पास ड्राफ्ट उजरात पेश करते और उनके अप्रूवल के बाद रेवेन्यू बोर्ड में अपील कराई जाती है। दूसरे उनके तहत ३ अकॉउन्टस् पार्टी हैं जो क्लेम्स का इन्टरनल ऑडिट उनकी संभाल व निगरानी में करती हैं तमाम लीगल एडवाईजर को नियुक्त किये हैं उनको हिदायतें भेजना तथा उनको शहादतें व रिकॉर्ड पेश करने के लिए असिस्ट करना खास अधिकार कोई नहीं दिये गये हैं।

(५) इनका सम्बन्ध सीधा राजस्व सचिव से है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की पॉवर्स उनकी हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति कौन से साल में हुई थी?

श्री सम्पतराम : इसकी डेट मेरे पास नहीं है।

Page No.26

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो जो स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी उससे पहले रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू की तरफ से जो अपीलें होती थीं वह किस के द्वारा होती थीं ?

श्री सम्पतराम : रेवेन्यू सेक्रेटरी देखता था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूं कि आपका लॉ सेक्रेटरी है, आपका लॉ एडवाइज़र है क्या उनसे मदद ली जाती थी या वह डाइरेक्टली ही कर देते थे ?

श्री सम्पतराम : ऑर्डिनेरेली रेवेन्यू सेक्रेटरी उस काम को देखता था लेकिन किसी में लीगल कम्पलीकेशन्स हों और राय लेने की आवश्यकता हो तो ला डिपार्टमेंट से भी राय ली जाती थी और उसको रेफर किया जाता था और वह तो अब भी ऐसा ही किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जो स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की है वह जागीर कमिश्नर से काफी जूनियर है ?

श्री सम्पतराम : जूनियरिटी और सीनियोरिटी का सवाल यहां तय होना नहीं है औरयह मैं कह भी नहीं सकता कि कौन सीनियर है । मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वह जूनियर है और जूनियर होने के नाते सरकार यह किस तरह से उचित समझती है कि एक सीनियर ऑफिसर की आज्ञा के विपरीत एक जूनियर ऑफिसर उसकी स्क्रूटिनी कर के अपील कराये ?

श्री सम्पतराम : कमिश्नर्स रेवेन्यू सेक्रेटरी से सीनियर होते हैं । वह तो उनको एग्ज़ामिन करते हैं और मिनिस्टर कन्सर्न्ड को देते हैं और फिर ऑर्डर मिनिस्टर कन्सर्न्ड ही देता है इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रेवेन्यू मिनिस्टर के ऑर्डर्स नहीं होते बल्कि उनको स्वयं के अपील करने के ऑर्डर्स होते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह अपील थोड़े ही सुनते हैं । वह तो एग्ज़ामिन करते हैं कि किस किस मामले की अपील की जाये ।

श्री भैरोंसिंह : अपील सुनने का नहीं है बल्कि कमिश्नर के आर्डर को कलेक्टर के ओहदे का आदमी उसमें नुकता चीनी करता है । तो इसके करने के लिए या तो कमिश्नर से ऊंचे ओहदे का आदमी करे तो वह ठीक है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं कहता हूं कि वह तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट से फाइल आती है । उस पर सेक्रेटरी नोट लगाता है और हमारे असिस्टेन्ट सेक्रेटरी भी उसमें कुछ करते हैं वह कोई ऑर्डर थोड़े ही पास करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अपील करने के लिए आर्डर्स फाइनल होते हैं । मेरा कुअश्चन यह है कि जागीर कमिश्नर उनसे काफी सीनियर हैं और उनके एक दफा आर्डर्स हो जायें तो जूनियर ऑफिसर उसकी कैसे स्क्रूटिनी करेगा और उससे फिर सरकार को कैसे सेटिस्फेक्शन होगा ?

Page No.27

श्री सम्पतराम : जूनियर और सीनियर का सवाल नहीं है। हमारे पास बहुत से केसेज आते हैं तो हम हमारे प्राईवेट सेक्रेटरी से उनकी स्कूटिनी कराते हैं। इसलिए हमने यह रखा है कि एक सेप्रेट आदमी मिले और उसका काम बहुत ज्यादा है सेप्रेट आदमी होने से हर केस की डिटेल में वह देख सके और सारे मुद्दे हमारे सामने ले आये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फिर माननीय मंत्री महोदय ने यह एडवोकेटर का खर्चा क्यों रखा है?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री।

तहसील जयपुर में भूमि का अलाटमेन्ट

१४६३. **श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** (आमेर-सु) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील जयपुर में अप्रेल सन् १९५७ से जनवरी १९५६ तक किन लोगों को तथा कितनी कितनी बीघा ज़मीन कहां कहां अलॉट की गई?

(२) यह जमीन सरकार से डाइरेक्ट दी गई या अलॉटमेंट कमेटी द्वारा?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट

(२) उपरोक्त भूमि खुदकाश्त कमिश्न द्वारा अलॉट की गई थी।

श्री हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री : यह जमीनें जो दी गई है वह जयपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों को दी गई हैं या दूसरी जगह के लोगों को भी दी गई हैं?

श्री सम्पतराम : इसका मेरे पास मुकम्मिल जवाब नहीं है। लेकिन जयपुर जिले के भी लोग हैं और बाहर के भी कुछ हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि इन जमीनों में भारत सरकार के किसी मन्त्री महोदय को भी जमीन अलॉट की गई है?

श्री सम्पतराम : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री एस० के० डे को कास्त के लिए यहां जमीन अलॉट की गई है?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री : बाहर के लोगों को किन किन को दी गई उनके जरा नाम सुना दीजिए?

श्री सम्पतराम : मुझे न तो बाहर वालों के नाम याद हैं और न यहां के याद हैं, लिस्ट है देख लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसमें भारत सरकार के मन्त्री जी का नाम है ?

श्री सम्पतराम : वह तो आप देख लीजिए । आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूँ ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष : It is a long list.

श्री भैरोंसिंह : उनका नाम है या नहीं !

श्री सम्पतराम : बहुत बड़ी लिस्ट है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : वह वहां पर कोई एग्रीकल्चर फार्म बनाना चाहते हैं । उनको जमीन दी है तो क्या है ? वह लिस्ट में हैं या नहीं यह तो कैसे कह सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो ज़मीन दी गई है वह ज़मीन की अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा नहीं दी गई थी ?

श्री सम्पतराम : मैं इस लिस्ट के बारे में कह सकता हूं कि उनका नाम नहीं है । इसमें २४ व्यक्ति हैं जिनमें से २ को तो २०-२० बीघा दी है और बाकी को २५-२५ बीघा ज़मीन दी गई । इसमें उनका नाम नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जिन लोगों को २५-२५ बीघा जमीन दी गई है कृपया उनके नाम बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट. श्री सूरजमल

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द्र मोहिल

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल

कस्बा बड़ौद में झूंठा इन्तकाल दर्ज कराने के सम्बन्ध में

१४७४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर-श्री मुरलीधर व्यास द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सही है कि दाधीच पंडित शिवनारायण सीसवाली हाल आबाद कोटा को जीवत होते हुए भी कस्बा बड़ौद तहसील बड़ौद के पटेलों ने मरा हुआ बतला कर झूंठा इन्तकाल तस्दीक करवाया ?

(ख) क्या यह सही है कि कलेक्टर कार्यालय कोटा में इसकी जांच हुई थी ? यदि हां, तो इसका क्या नतीजा रहा ?

(ग) झूंठा इन्तकाल तस्दीक करवाने वाले पटेलों और पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या यह सही है कि पंडित शिवनारायण अन्धा बूढ़ा, अशक्त व अपाहिज़ हैं जिसकी बड़ौद में माफी की ज़मीन है और उस जमीन को छीनने के दुष्प्रत्यन करने की शिकायतें श्री शिवनारायण की तरफ से पटेलों के विरुद्ध कलेक्टर कार्यालय कोटा

Page No.29

(श्री शंकरलाल)

में पेश हुई थी ? यदि हां, तो उनका क्या नतीजा रहा ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, जांच हुई थी । पर माफीदार के जीवित होने के कारण बाद तस्दीक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । जांच फिर दोबारा हुई और पटेलों व सम्बन्धित पटवारी को मोअत्तिल करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(ग) उनको मोअत्तिल किया गया और नियमानुसार जांच उनके आचरण के विषय में की जा रही है ।

(घ) पंडित शिवनारायण अन्धा, बूढ़ा अपाहिज व अशक्त है, और उनकी बड़ौद में माफी की ज़मीन है । ज़मीन छीनने के प्रयत्नों की शिकायत उन्होंने कलेक्टर को नहीं की । अत: नतीजा का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मुअत्तिल करने के आदेश कब दिये गये थे ?

श्री सम्पतराम : वह तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है । माननीय मन्त्री जी यह कहते हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रश्न पूछने के बाद में मुअत्तिल की आज्ञा जारी की गई थी ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि डेट तो मेरे पास नहीं है इसलिए मेरे लिए आपके प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है । मेरे पास सूचना होती तो मैं दे देता।।

श्री भैरोंसिंह : यह शिकायत कौन-सी तारीख को हुई थी?

श्री सम्पतराम : यह शिकायत सन् ५५ में हुई थी लेकिन डेट मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : और कलेक्टर ने जांच करने के बाद में रिपोर्ट कब पेश की कि पटवारी वास्तव में गलती पर है ?

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि इस पर पहले काफी इन्क्वायरी हुई थी और इन्क्वायरी के बाद यह मालूम हुआ कि उसी समय उसकी वाइफ़ की डेथ हुई थी और भ्रम में उसकी बता दी । जब कलेक्टर को मालूम हुआ तो इन्क्वायरी उन्होंने डिटेल में की । अभी तहसीलदार के खिलाफ इन्क्वायरी जारी है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि पटेलों को मुअत्तिल नहीं किया गया है ?

श्री सम्पतराम : मुअत्तिल कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास

(अनुपस्थित)

श्री रामधन

(अनुपस्थित)

Page No.30

(श्री अध्यक्ष)

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री देवीलाल (सराडा—सु०) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दे दिया जाये।

सराड़ा तहसील के अभावग्रस्त गांवों में लगान की वसूल

१४७९. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर—श्री देवीलाल द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर ज़िले की सराड़ा तहसील के कितने ग्राम सन् १९५६ की रबी व सन् १९५७ की खरीफ व रबी की फसल में अभाव-ग्रस्त घोषित किये गये थे ?

(ख) क्या उक्त ग्रामों की लगान वसूली स्थगित की गई थी ?

(ग) क्या सन् १९५८ के खरीफ की फसल के लगान की वसूली के साथ सारा का सारा स्थगित लगान मय ब्याज व आगे के वर्ष की रबी का लगान एक साथ वसूल किया गया ?

(घ) यदि हां, तो कौन कौन से ग्रामों का लगान वसूल किया गया और यह सारा लगान बिना छूट के वसूल करने के किसने आदेश दिये थे ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री देवीलाल : कब तक मिलेगी ?

श्री सम्पतराम : नेक्स्ट टर्न पर।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मोडूलाल

अध्यापकों के क्वार्टरों की योजना

१४८४. **श्री मोडूलाल** (हिन्डोली-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कई देहातों में मकान मिलने पर अध्यापकों को रहने की भारी असुविधा होती है ?

(ख) क्या सरकार के पास अध्यापकों के लिये भी क्वार्टर बनाने की योजना है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (१) जी हां। (२) जी हां।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : वह योजना क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रुपये रखे हैं बजट में सरकार मकान बनायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : योजना अगर है तो उसके आधार पर अब तक कितने मकान बनाये गये ? बनाये गये या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अजमेर में करीब ८० मकान बनाये गये हैं।

Page No.31

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे इलाकों का क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रुपये थोड़े हैं ७, २८, ०००] रुपये हैं, राजस्थान बहुत बड़ा है इनसे इतने रुपयों से सब के लिये कहां से बनते।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जनता से चन्दा किया जा रहा है या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : खर्चे के लिये व्यवस्था करदी है या नहीं ? इस साल मकान बनेंगे या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : व्यवस्था करेंगे, रुपये हों तो बन सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : जनता से कंट्रीब्यूशन किया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मकान हम अपने रुपयों से बनाते हैं उनमें जनता से कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। लेकिन जनता को भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिये। हजारों की तादाद में टीचर्स हैं। सबके लिये मकान कितने ही वर्षों में नहीं बना सकते। जनता सहयोग दे तो अच्छा है। किराये आदि के मकानों के लिये जनता सहयोग देती भी है।

(प्रश्न संख्या १०३६)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उर्दू भाषा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति

1. Shri Barkatulla Khan (Jodhpur): will the Chife Minister be pleased to state:-

(a) Whether the Rajasthan Government has taken any steps to implement the policy of the Central Government in regard to the urdu language as announced through the Press Note issued by the Ministrey of Home Affairs of the Government. of India, in July, 1958 ?

(b) If the answer to part (a) of the question be in the affirmative, will he lay on the Table of House a detailed statement showing the steps so far taken by the Rajasthan Govterment to :-

(i) Provide in accordance with Article of 350A of the constitution of India, adequate facilities for instruction in the Urdu language at the primary stage of education to children belonging to the linguistic Minority Group whose mother tongue is urdu;

(ii) Enable any person, in accordance with Article 350 of the Constitution of India. to submit representations in the urdu language to any officer or authority in Rajasthan;

(iii) Arrange, in pursuance of the

(श्री अध्यक्ष)

Government of India's directive for the acceptance of applications in the Urdu Language in the courts and offices of Rajasthan and for the acceptance by such courts and offices of documents which are in the Urdu Language without insisting upon their being accompanied by a translation or transliteration in Hindi.

(iv) Enable those sections of the citizens residing in Rajasthan who speak Urdu which is one of the fourteen important Language mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution to (1) conserve the same as provided for in Article 29 of the Constitution, and (2) establish and administer Educational Institution of their choice as provided for in Article 30.

(c) If the answer to part (a) of the question be in the negative will the Chief Minister state the reasons why the state Government has failed to take any step to comply with the requirements of the Constitution and to implement the Government of India's policy decision ?

उत्तर

1. Yes.

2. Government have issued orders that children of the linguistic minority communities should be taught in their mother tongue at the primary stage provided there are at least 10 children of a commnity in a class or at least 40 in the school.

3. The matter is under examination.

4. --do--

5. The Constitution of India confers certain rights on minorities and the State Government is not called upon to take any step.

6. Question does not arise.

भूतपूर्व जयपुर राज्य के वी. टी. सी. टीचर्स का सिलेक्शन ग्रेड का एरियर।

२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्र हैं कि भूतपूर्व जयपुर राज्य के वी० टी० सी० टीचर्स को अब तक सिलेक्शन ग्रेड का एरियर क्यों नहीं मिला व अब कब तक दिया जावेगा ?

(२) क्या सन् ५० के वी० टी० सी० ग्रेड ट्रेन्ड टीचर्स को सिलेक्शन ग्रेड मिला है ? यदि हां, तो किस किस ज़िले में ? जयपुर ज़िले में क्यों नहीं मिला ?

(३) जयपुर ज़िले में विलेज़ लाइब्रेरी अलाउन्स सन् ५४–५५ का अब तक क्यों नहीं दिया गया तथा कब तक दिया जावेगा ?

(१) वी० टी० सी० अध्यापकों का सिलेक्शन ग्रेड का एरियर महकमा खजाना

एतराज के कारण अभी तक नहीं मिल सका है। शीघ्र ही दिलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) जी नहीं।

जयपुर रेन्ज में किसी भी ज़िले में सन् १६५० के बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड नहीं मिला हैं ?

(३) अलाउन्स खजाने से ड्रा कर दिया गया है और वितरण किया जा रहा है।

श्री मोहनलाल बासवानी प्रतापनगर को दी गई भूमि

३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मन्त्री, पुनर्वास विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री मोहनलाल बासवानी प्रतापनगर उदयपुर को कितनी भूमि कहां कहां किन किन शर्तों पर दी गयी है,

(२) जो भूमि दी गई है, उसका लगान क्या है, तथा कितने वर्षों का बकाया है ?

(३) क्या इनको कुछ कर्जा डेयरी आदि के लिए भी दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और किस कार्य के लिए ? और कब ?

१. प्रारम्भ में श्री मोहनलाल बासवानी को श्री भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ३० बीघा कृषि भूमि प्रतापनगर कालोनी उदयपुर के भील के क्षेत्र में Lease पर एक रुपया प्रति बीघा वार्षिक किराये पर Paultry sheep Breeding और Dairy Form के लिए दी थी। यह जमीन उनके पास २६ ३:५१ से ३०:६:५४ तक रही जिसके लिये उन्होंने Lease money के रूप में १२०) रु० सोसाइटी के पास जमा कराये।

उपरोक्त सोसाइटी ने अपनी Managing Committee के प्रस्ताव संख्या १४३० दिनांक ११-६-५४ द्वारा यह भूमि ३० बीघा से घटाकर १५ बीघा कर दी। तब से यह १५ बीघा भूमि जो बासवानी के पास है और उन्होंने इसके एवज़ में न तो Lease money चुकाई है और न किराया क्योंकि इस १५ बीघा भूमि के लिए श्री बासवानी ने सोसाईटी के साथ कोई नया Agrement नही किया, इसलिए सोसाइटी का Tenant या Lessee नही है अतः सोसाइटी ने उनसे कोई किराया नहीं मांगा है।

श्री बासवानी के प्रार्थना पत्र पर कि वह अपनी Dairy Farm को और अधिक बढ़ाना चाहता है, सरकार ने उन्हें २५ बिघा १५ बिस्वा भूमि Rajasthan land Revenue Dairy & Poultry Farm Rule 1958 की धारा ६ व ७ के अन्तर्गत और देने के लिए फरवरी १६५६ में आदेश दिये हैं। यह भूमि १७ साल के Lease पर १० रु० लगान पर दी गई है।

२. सरकार ने सोसाइटी को उपरोक्त भूमि free दी थी। अतः सोसाइटी ने भी पहिले ३० और बाद में १५ बीघा भूमि श्री बासवानी को free दी थी। सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाला भूमि लगान का सोसाइटी को ज्ञान नहीं है। जहां तक रेन्ट का प्रश्न है, ३० बीघा भूमि का २६:३:५१ से

३०:६:५४ तक Lease money सोसाइटी ने वसूल कर लिया है और १५ बीघा का १:१०:५४ से वसूल नहीं हुआ है।

३. श्री वासवानी को निम्नवर्णित ऋण सोसाइटी द्वारा दिये गये।

(१) गृह निर्माण ऋण १५,६६८'६७ नये पैसे १०:७:५० को।

(२) डेयरी के जानवरों के shed के लिए सामान के रूप में ऋण ....४,५६७. ६२ नये पैसे १:१:५१ को।

(३) उपरोक्त भूमि में स्थित कुए की कीमत के २,२०० .०० ता० २१:१२:५४ की।

क्लेक्टर उदयपुर ने श्री वासवानी को ५,००० रु० ऋण के रूप में डेयरी फार्म खोलने के लिए दिये। पहली किश्त ३,००० रु० की २३:१:५२ को और दूसरी किस्त २,०००रु० की २८:३:५२ को।

प्राईमरी स्कूल हापावास की छात्र संख्या

४. श्री प्रभूलाल पुरोहित : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि प्राईमरी स्कूलें हापावास, तहसील दौसा में छात्र संख्या एक साल में ५ या ६ रही है? यदि हां, तो ऐसे स्थान पर व्यय क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार इस स्कूल को ग्रामसर में जहां छात्र संख्या ३० है और मकान की व्यवस्था भी है स्थानान्तरित करने का विचार रखती है?

जी हां इस स्कूल को ग्रामसर में स्थानान्तरित करना विचारधीन है ग्राम हापावास में छात्र संख्या बहुत कम रही और भरसक प्रयत्न करने पर भी ग्रामवासी छात्र संख्या बढ़ाने में असफल रहे। ग्रामसर में भवन या छात्र संख्या पूर्ण है अत: हापावास का स्कूल वहां स्थानान्तरित करने के लिए जिला-विकास समिति की सहमति लेने की कार्यवाही की जा रही है जो आवश्यक है और प्राप्त होने पर यह स्कूल स्थानान्तरित कर दिया जावेगा

राजस्थान में खानों के ठेकेदारों के विरुद्ध बकायात

5. Shri Satish Chandra Agarwal : will the Minister for Mines be plessed to state:—

(a) How many Mining Licensees and lessees are there in Rajasthan in each division ?

(b) Are any Government dues outstanding against these licensees and lessees ?

(c) If yes, how many are such defaulters in each division ? There names and amount outstanding against each may kindly be furnished.

(d) What action has Government ken against such defaulters and how much dues have so far been realized ?

(e) Is there any porvision in the rules for cancellation of the license or lease and for forefeiture of the deposit in case of breach of conditions?

(f) If yes, has any action in accordance with such rule been taken against the defaulters?

(g) If not, why?

(उत्तर अनुपलब्ध)

राजस्थान में महिला विद्यापीठ प्रयाग की परीक्षाओं को मान्यता

६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे :-

(१) क्या महिला विद्यापीठ, प्रयाग की परीक्षाओं को राजस्थान राज्य द्वारा मान्यता है ? यदि हां, तो प्रवेशिका परीक्षा को किस परीक्षा के समकक्ष मान्यता है, प्रवेशिका पास छात्रा यदि सरकारी स्कूल्स में प्रवेश पाना चाहे तो किस कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा ?

महिला विद्यापीठ प्रयाग की परीक्षाओं को राजस्थान राज्य द्वारा मान्यता है । प्रवेशिका परीक्षा को मिडिल पास के समकक्ष माना जाता है । बोर्ड आफ सेकेन्डरी एज्युकेशन से इस बारे में पत्र व्यवहार हो रहा है कि ऐसी छात्राओं को किस कक्षा में भर्ती किया जा सकता है ।

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री धन्नालाल हरित : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १४६६ का जवाब दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री 'भैरवलाल कालाबादल' (अकलेरा-सु०) अध्यक्ष महोदय, विरोधीदल की घड़ी सुस्त क्यों चल रही है ?

श्री भैरोंसिंह : आजकल सदन में आप की दोनों घड़ियें चालू हो गई हैं ।

६. १४ म० पू०

राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (कॉन्स्टिट्यूशन एण्ड प्रोसीडिंग्स) वेलिडेटिंग बिल, १६५६ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं दि राजस्थान इन्डिस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसिडिंग्ज़) वेलिडेटिंग बिल, १६५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

६. १५ म० पू०

Page No.36

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५६

(खंडशः विचार विमर्श एवं पारण)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट बिल धारा २....

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक ...

श्री पी०के० चौधरी : This discussion was to continue Sir.

श्री अध्यक्ष : It was concluded.

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन इस प्रकार है कि ऑफिसर-इन-चार्ज के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटिर कर दिया जाय। पिछले दिन जब विचार चल रहा था तब मैंने बताया था कि पंचायत विभाग में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है और पंचायतों के गठन में भी परिवर्तन करने जा रहे है। ऐसी स्थिति में जो पंचायत ऑफिसर हैं उनका क्या नाम हो, जो व्यक्ति इस विभाग का हैड होगा उसका डेज़िग्नेशन क्या हो, उसको किस नाम से पुकारें इस बात पर विचार करना था। "ऑफिसर इन चार्ज" नाम रहने से इसका तात्पर्य यह होता है कि उसको या तो सरकार अस्थायी मानती है या उस स्थिति में रखना चाहती है जिसका कोई महत्व नहीं है। यह निश्चित है कि चीफ पंचायत ऑफिसर के पद को विलीन करके डवेलपमेंट विभाग में इसको शामिल किया है इसलिये डाइरेक्टर ऑफ पंचायत्स या इसी प्रकार का डेज़िग्नेशन देना चाहते हैं। डाइरेक्टर ऑफ पंचायत्स करने से पंचायत विभाग का अलग डाइरेक्टोरेट किया जा सकता है लेकिन जो इसका खर्चा है उसमें कोई परिवर्तन होने की आशा नहीं है। लेकिन व्यवस्था के बारे में परिवर्तन होने की आशा नही है, लेकिन व्यवस्था के बारे में अगर परिवर्तन हुआ और जो डवेलपमेंट कमिशनर हैं उनके अधिकार क्षेत्र में शायद पंचायत विभाग भी चला जाय इसलिये डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ डवेलपमेंट (पंचायत्स) नाम दिया जा सकता है। लेकिन मैं एडमिस्ट्रेटर नाम इसलिये रखना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का स्पष्टिकरण हो जायगा जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और विभाग का स्थायित्व भी प्रतीत होगा पंचायत विभाग इस बात की मान्यता देता है कि वह विभाग स्थाई है। ऑफिसर इनचार्ज करने से यह भ्रम होता है कि यह डिपार्टमेंट एबोलिश होने वाला है। इसलिये ऑफिसर-इन-चार्ज या डिप्टी डाइरेक्टर राजस्थान बेसिस पर कर दिया तो ऐसा भ्रम हो जायगा। इसलिये मेरा संशोधन है कि ऑफिसर-इन-चार्ज, पंचायत के स्थान पर "एडमिनिस्ट्रेटर" कर दिया जाय। यह ठीक है कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं, ऑफिसर इन-चार्ज पंचायत्स या एसिस्टेन्ट कमिश्नर, डवेलपमेंट (पंचायत्स) रखेंगे तो वह भी ठीक नहीं बैठता है। जैसे आपने डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडिज़ का अलग डाइरेक्टोरेट बना दिया। लेकिन यदि आप पंचायत विभाग को डवेलपमेंट के साथ मिलाते हैं तो पंचायत विभाग के लिये अलग डाइरेक्टोरेट की वकत नहीं रहती। यदि आप डवेलपमेंट में ही रखना चाहते हैं तो नाम "एडमिनिस्ट्रेटर" होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, नाम के सम्बन्ध में जो

Page No.37

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत अधिकारी का नाम, एडमिनिस्ट्रेटर अंग्रेजी नाम है और ऑफिसर इन चार्ज भी अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजी के आधार पर नाम खास कर पंचायत ऑफिसर्स को देते हैं तो यह उचित नहीं हैं क्योंकि पंचायतें गांवों में होती है और गांव के लोग अंग्रेजी के नाम आसानी से बोल नहीं सकते और उनको समझ नहीं सकते । ऑफिसर इन-चार्ज का नाम लोग आसानी से न बोल सकेंगे और न समझ सकेंगे इसलिये सिर्फ कागज़ में रह जायगा। लोग इस नाम को याद नहीं रख सकते और उनके पास पहुंच नहीं सकते, इसलिये नाम इतना सीधा सादा होना चाहिये कि लोग आसानी से समझ सकें। एडमिनिस्ट्रेटर नाम रखा है उसके स्थान पर प्रशासन अधिकारी हिन्दी नाम है और इसको सभी लोग समझ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। मन्त्री जी स्वयं वस्तुस्थिति पर विचार करके इस प्रकार का नाम रख सकते हैं जिसको लोग आसानी से समझ सकें। एडमिनिस्ट्रेटर एक ही नाम है लेकिन उसके स्थान पर प्रशासक रखा तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूँ मन्त्रीजी नाम के सम्बन्ध में गहराई से विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में....

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २, ४ और ५ विचारार्थ है।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : क्लॉज़ ३ को बाद में लेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ ३ अलग आयगी। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि वर्तमान पंचायत विभाग के संचालक "चीफ पंचायत ऑफिसर" हैं उनके स्थान पर "ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पंचायत्स" शब्द सबस्टीट्यूट किया गया। अध्यक्ष महोदय, धारा २, ४ और ५ इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाय और पढ़ने के साथ साथ जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एंड रीजन्स है उसको यदि देखा जाय तो कुछ ऐसा लगता है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की करने की आवश्यकता महसूस करती है और उस कारण से शायद यह भी आवश्यता महसूस हुई है कि इस डिपार्टमेंट को किसी के दूसरे डिपार्टमेंट साथ एमल्गेमेंट कर दिया जाय और इस कारण से चीफ पंचायत ऑफिसर के स्थान पर ऑफिसर इनचार्ज ऑफ पंचायत सबस्टिट्यूट कर दिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि यह डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकार में चला गया।

जहां तक, इस डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लेने का सवाल पैदा होता है, अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें विशेष तौर से कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है और कई बार यहां हाउस में चर्चा हुई है और कई बार राज्य सरकार से मांग भी की गई कि जितनी भी लोकल बॉडीज़ के यूनिट हैं जैसे पंचायत, पंचायत कमेटियें हो सकती हैं, तहसील पंचायतें हो सकती हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ हो सकती है। इस प्रकार जितने भी लोकल यूनिट्स हैं उनको हमें एक विभाग में अलग से लगाना चाहिये। तो मैं समझता कि काम में भी

(श्री भैरोंसिंह)

आसानी होगी और हमारे डेमोक्रेटिक सेट अप में भी काफी सहायता मिलेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि जब हमारी सरकार इस बिल पर विचार करेगी। नगरपालिका, ज़िला परिषद व पंचायत, एक विभाग के आधीन होकर अपना कार्य करती, एक अधिकारी के अन्डर में होगी तो अच्छा रहता।

पिछली मिटिंग में विधान सभा में माननीय मन्त्री से यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार शायद अगले वर्ष तक होगा। तीनों डिपार्टमेंटों को एक साथ लगा कर एक अधिकारी के अन्डर में रखें। मगर यह अब एक एमेंडमेंट आया है। इसके अनुसार सरकार ने कुछ आदेश दिये हैं और अब ये पंचायतें विकास आयुक्त के नीचे रहेंगी। इसके साथ साथ यह भी रहेगा कि पंचायत अधिकारी का नाम चीफ पंचायत ऑफिसर न रह कर इन्चार्ज पंचायत ऑफिस रहेगा। मगर मैं यह कहूंगा कि यह नाम बदलने का अधिकार राज्य की विधान सभा को था मगर यदि मैं यह कहूं कि सरकार की असावधानी के कारण या लॉ डिपार्टमेंट की असावधानी के कारण इस प्रकार का विशेषाधिकार उनको दिया गया है। वहां के मुख्य अधिकारी ने अपने बोर्ड पर पहले से ही डाइरेक्टर ऑफ पंचायत लिखा लिया था। जब सरकारी अधिकारी की यह मन्शा हुई उसके पद को डाइरेक्टर ऑफ पंचायत बनाया जावे तो सरकार ने उस प्रकार का निर्णय ले लिया। यह भी मान लिया जावें कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया जिसके अनुसार चीफ पंचायत ऑफिसर को डाइरेक्टर ऑफ पंचायत के ऑर्डर ज़ारी किये। लेकिन उस ऑर्डर को हुए केवल दो ही महीनों का समय हुआ है। जहां दो महीने पहले डाइरेक्टर ऑफ पंचायत के, उसकी मन्शा के अनुसार पद में परिवर्तन कर दिया गया और अब दूसरा अधिकारी आने के कारण दूसरा निर्णय लिया जा रहा है। अब इसको विकास विभाग में मिलाया जा रहा है। मैंने यह भी सुना है कि पहले जो डाइरेक्टर ऑफ पंचायत थे उनका स्थानान्तरण किया गया है और उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। अब उसके अनुसार इसको विकास विभाग में मिलाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जहां तक उनके उद्देश्यों का प्रश्न है बड़े लम्बे चौड़े भाषण देती है और लोगों के सामने बड़े बड़े आश्वासन देकर प्रतिज्ञाएं करती है कि पंचायतों का संचालन किस तरह होना चाहिए। मगर देखा यह जाता है कि पंचायतों का संचालन किस तरह से होता है। सरकार उसकी तरह बिल्कुल तवज्जोह नहीं देती। पंचायतों का सवाल देखा जावे तो पंचायतों की संख्या हमारे यहां कम नहीं है और पंचायतों की व्यवस्था को ली जावे तो हमें मालूम होता है कि अधिकारी अपने में अपने आपको इतना समझते हैं कि बिना सरकार की आज्ञा के या विधान सभा की आज्ञा के अपने पद के नाम को परिवर्तन कर लेते हैं और वे इस बात को नहीं समझते कि विधान सभा द्वारा किसी प्रकार अपने पद के नाम को परिवर्तन करा सकें। उनके पद सरकार की इच्छा पर नहीं बनते लेकिन सरकारी अधिकारियों की महेज़ इच्छा पर काम होता है। किसी अधिकारी ने अपने पद का नाम बदला तो सरकार ने उसी रूप में उसको स्वीकार कर लिया। जब दूसरा अधिकारी आया और उसकी इच्छा हुई कि पंचायतों को विकास विभाग में शामिल कर दिया जावे

(श्री भैरोंसिंह)

तो सरकार ने यह तय कर लिया कि पंचायतों को विकास विभाग के अन्तर्गत चलाया जावे। मैं इस चीज़ से इन्कार नहीं कर सकता कि विकास से पंचायतों का बहुत सम्बन्ध नहीं है, मगर पंचायतों का, विकास के अलावा जुडिशियल फंक्शन्स भी हैं। आज हम कोई यह विचार करें कि कोई आर. ए. एस. या जुडिशियल पोस्ट होगी। मगर अब तो आपने वहां आई. ए. एस. की नियुक्ति की है। आज राजस्थान में थोड़ी पंचायतें नहीं हैं आज यहां पर बहुत पंचायतें हैं और पंचायतों की न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में है। उनका संचालन यदि किसी छोटे अधिकारी के हाथ में देते हैं तो इस बात का द्योतक है कि सरकार उनके हितों की उपेक्षा करती है और उनके प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाती है। सरकार को चाहिये कि वे अच्छे आदमियों को इसमें ले जिससे उसकी इन्टिग्रिटी पर किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। पंचायतों के जुडिशियल फंक्शन्स को सामने रखते हुए सरकार को चाहिये कि जुडिशियल ऑफिसर को रखे जो सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले सके।

आपको मालूम होगा कि, कई बार आपको चुनाव स्थगित करने पड़ते हैं। चुनावों में कई बार झगड़े होते हैं और कई बार वार्ड के बारे में शिकायतें आती हैं कि वार्ड ठीक तरह से गठित नहीं हैं। कई बार सर्कल्स के बारे में शिकायतें आती हैं। आज भले ही सरकार इन बातों पर गौर न करें, लेकिन धीरे धीरे पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन के के प्रति लोगों में बड़ा भारी असंतोष फैलता जा रहा है क्योंकि जितने भी पंचायत ऑफिसर्स आते हैं उनका काम इलेक्शन कराने का या जुडिशियल फंक्शन्स रहते हैं मगर वे एग्ज़िक्यूटिव अधिकारी होते हैं। यही कारण है कि आपस में झगड़े होते हैं, लाठियें चलती हैं और फिर आपको पुलिस को बुलानी पड़ती है और पुलिस का हस्तक्षेप होता है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते। होना तो यह चाहिये था कि चुनावों में किसी प्रकार के झगड़े और पक्षपात न हो, लेकिन होता यह है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन न होने के कारण से या किसी न किसी और कारण से असन्तोष होता है। कई ऐसा समझते हैं कि वार्ड्स् ठीक नहीं बने हैं तो कई ऐसा समझते हैं कि सेन्टर फिक्स करने में गड़बड़ी कर दी गई है। अगर यह सारी चीजें जुडिशियल माइन्ड के आधार पर तय हों तो किसी प्रकार के झगड़े की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सरकार ऐसा करेगी तो जो काम सरकार अंकित करेगी हो सकता है। आज हम इस प्रकार की दौड़ में चल रहे हैं कि किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कोरम के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सदन में बार बार कोरम नहीं होने के कारण बार बार घंटी बजानी पड़ती है हालांकि यह विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि सरप्राइज़िंग काउन्ट हो और जो अनुपस्थित हो उनके अनुपस्थिति का टी० ए० और डी० ए० पर असर पड़ सके ताकि बार बार घंटी बजाने की आवश्यकता न हो।

श्री अध्यक्ष : Very unpopular suggestion.

श्री भैरोंसिंह : यह सदन में बैठने के कारण पोपुलर हो जावेगा । आज हमें जिस प्रकार की व्यवस्था करनी है उसको देख कर पंचायतों के प्रशासन को कितना पवित्र बना सकें उसको बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि इसको विकास विभाग में नहीं लिया जाकर जिस प्रकार सरकार की मंशा है पंचायतों, ज़िला परिषदों और लोकल बोडीज़ और म्युनिसिपैलिटीज़ हैं इन सब को मिला कर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए और उसका एक संचालक या डाइरेक्टर या उसको हम किसी भी प्रकार का नाम देना चाहें दें वह जुडिशियल ऑफिसर के अन्दर में विभाग दे दिया जावे तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि जितना भी विकास का काम करना चाहिए, जितना भी अच्छा काम पंचायतों द्वारा करने चाहिये, पंचायत डिपार्टमेंट चाहता है कर सकेगा और समाज की सेवा कर सकेगा । इसके अलावा यदि यह जुडिशियल लाइन पर होने लगें तो लोगों की जो धारणा इसके विपरीत बनती जा रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जावेगी और इलेक्शन का और संचालन का काम यह ऐसे हैं कि जुडिशियल माइन्ड से होने चाहिये एग्जिक्यूटिव से नहीं ।

भारत सरकार ने भी एक अलग इलेक्शन डिपार्टमेंट रखा है । इसके अलावा सरकार ने यह भी रखा है कि सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो इस प्रकार की व्यवस्था की जाए । मैं समझता हूं कि इलेक्शन होते हैं पांच वर्षों के समय में और उस समय इलेक्शन विभाग को सारे चुनावों की व्यवस्था करनी पड़ती है । इसके अलावा बाई इलेक्शन भी होते हैं उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है । यदि इलेक्शन के दौरान में किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसके लिये दुबारा चुनाव होता है उस काम को भी उनको ही करना पड़ता है । यदि इस प्रकार के विभाग हम पंचायतों के बारे में बनाये तो, मैं समझता हूं कि आने वाली जितनी दिक्कतें हैं अपने आप दूर हो जावेंगी और लोग ऐसा महसूस करने लगेंगे कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का काम है वह ओटोनोमस बोडी के हाथ में या ज्युडिशियल फन्क्शन के आधार पर संचालन करना चाहिये । मैं इसलिए निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने चीफ पंचायत ऑफिसर के स्थान पर ऑफिसर इन चार्ज के संशोधन पेश करने की व्यवस्था अब तक इम्मेच्योर्ड थी और इस सेंस में थी कि सरकार निर्णय नहीं ले सकी कि इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम होगा, नहीं तो अब तक कह सकती है कि चीफ पंचायत ऑफिसर, डाइरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अब तक नाम नहीं है लेकिन यह रखा है कि केवल ऑफिसर इन्चार्ज होगा । इस शब्द का ग्रामीण जनता के लिए उच्चारण करना भी कठिन है । सरकार को चाहिये कि छोटासा नाम रखे जो ग्रामीण जनता द्वारा भी सही रूप में उच्चारण हो सके, नाम ले सके । यह सरकार की ओर से होगा तो मैं समझता हूँ कि यह जनता की सुविधा की दृष्टि से अच्छा होगा और सरकार की ओर से जो आज कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और सरकार और खास कर स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय को बार बार टेलीग्राम लिख कर, पत्र लिख कर चुनाव स्थगित कराने पड़ते हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

बाड बनाने के आदेश देने पडते हैं, कई पार्टीज़ को खुश करने के लिए ऐसे काम करने पडते हैं जो कानून संगत नहीं हैं। उनसे दूर होने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इसको एक ओटोनोमस बोर्डी के हाथ में देकर उस पर ज्यूडिशियल ऑफिसर को नियुक्त करें और उसके हाथ में दे दें और ऑफिसर इन्चार्ज सबस्टिट्यूट करने से आये दिन जो कठिनाइयां होती हैं वे भी दूर होने वाली हैं। हालांकि मैंने संशोधन पेश नहीं किया है लेकिन माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बार बार संशोधन रखने और नयी व्यवस्था लागू करने से पहले इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और उसके तीनों डिपार्टमेन्ट्स को एक करके एक ज्युडिशियल ऑफिसर नियुक्त करके इसको अलहदा कर दें ऐसी व्यवस्था कर सके तो उत्तम होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि यदि माननीय सदस्य इन सेक्शन्स को गौर से पढ़ लेते तो उनको इस प्रकार की शंका नहीं होती। नं० ४ में हैं। उसमें प्रोवाइडेड है : The State Government may appoint an officer-in-charge of Panchayats with such designation as it may deem necessary. अब चीफ पंचायत ऑफिसर की जगह ऑफिसर इन चार्ज नाम ओरन्ट करने का अधिकार गवर्नमेन्ट को होगा और उसके लिए गवर्नमेन्ट नोटिफाई कर देगी। ऐसा नहीं होगा he will be said to be officer-in-charge of panchayats. गवर्नमेन्ट आवश्यकतानुसार डेजिग्नेट कर देगी। विकास के कामों के अमलगमेशन की बात है उसके लिए डिप्टी डाइरेक्टर विकास विभाग इन्चार्ज पंचायत ऐसा रखना चाहिये। जैसा डेज़िग्नेशन होगा सरकार कर देगी। परसों भी माननीय सदस्यों की आपत्ति यही थी और उस पर यही कहा गया था।

दूसरी बात है कि ऑफिसर कौन हो? अब जो नई व्यवस्था की है उसके मुताबिक पंचायत विभाग के ऑफिसर नियुक्त करना जरूरी है इसको एडीशनल चीफ सेक्रेट्री या डेवेलपमेन्ट कमिश्नर के पास रखने की कोशिश की है जो कि सीनियर मोस्ट स्टेट का ऑफिसर है। मैं निवेदन करूंगा कि यह अमेन्डमेन्ट सिम्पल है इसको माननीय सदस्यों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस तरीके से कहते हैं तो लोग तो कहेंगे कि...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें लिखा हुआ है : "with such designation as the Government may deem fit". डेज़िग्नेशन दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : इसलिए कि गवर्नमेन्ट को और चेन्ज न करने पड़े एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। बार बार चेन्ज न करना पड़े इसीलिए यह रखा है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, डिप्टी डाइरेक्टर पंचायत नियुक्त हैं श्री मनोत वे इसके इन्चार्ज रहेंगे या एडीशनल चीफ सेक्रेट्री इसके इन्चार्ज रहेंगे?

Page No.42

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एडीशनल चीफ सेक्रेटरी के अन्डर में है : Additional Chief Secretary will be the over-all incharge. ओवर ऑल इन्चार्ज डवेलपमेन्ट के उनके अन्डर में रहेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑफिसर इन्चार्ज पंचायत किसको करेंगे ? एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को या एडीशनल डवेलपमेन्ट डाइरेक्टर को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे नहीं होंगे। He will not be the Additional Chief Secretary. श्री भनोत को अपॉइन्ट करने जा रहे हैं वे होंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वो ही पूछ रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह चीज़ साफ नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : एडमिनिस्ट्रेटिवली ओवर ऑल इन्चार्ज तो एडीशनल चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और ऑफिसर इन्चार्ज करने का जहां प्रश्न है, वहां पंचायत के डिप्टी डवेलपमेन्ट डाइरेक्टर होंगे।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुर सिंह ने रखे हैं उनको वापिस लेने की क्या आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २, ४, और ५. स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २, ४, और ५ स्वीकार किये गये।

क्लॉज ३

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मेरा अमेन्डमेन्ट सर्कुलेट हुआ उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए मैंने दूसरा रखा है : I want to present it wite a light modification. So the amendment the as moved by me will be:- For clause 3, substitute the following:-

3. Amendment of section 7 of Rajasthan Act 21 of 1953....After the proviso to section 7 of the principal Act the following further proviso should be inserted and shall be deemed always to have been inserted, namely:--

"Provided further that the State Government may by notification in the official Gazette, extend the term of the Panchayat of a Panchayat circle with a population of five thousand inhabitants or more or of a Tehsil Panchayat upto 31st day of October, 1960."

Page No.43

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I will accept the amendment.

एक माननीय सदस्य : अगर बोलना चाहें तो बोलें।

श्री पी० के० चौधरी : I don't want to say much, only this much I will say माननीय मंत्रीजी के एक्सेप्ट करने से....

श्री अध्यक्ष : करीब करीब यहां तहसील पंचायत एड किया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : My amendment is :

"Provided further that the State Government may by notification in the official Gazette, extend the term of the Panchayat of a Panchayat circle with a population of five thousand inhabitants or more or of a Tahsil Panchayat..."

श्री अध्यक्ष : How can you extend the term of a panchayat circle ?

श्री पी० के० चौधरी : Panchayat of a Panchayat circle.

श्री अध्यक्ष: Why don't you say 'panchayat.' I don't think we have ever used in the whole Bill words like 'panchayat of a panchayat circle'. आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिये। संक्षेप में।

श्री पी० के० चौधरी : Panchayat of a Panchayat circle or of Tehsil Panchayat...upto 31st day of October, 1960.

अध्यक्ष महोदय, जब इस बिल पर जनरल डिसकशन हो रहा था उस समय सदन के मेम्बरों और लगभग सभी मेम्बरों ने यह राय ज़ाहिर की थी कि उनका कुछ इस प्रकार का एप्रीहेन्शन होगा स्टेट्यूटरी पर्मानेन्ट चेन्ज करके ओरीजनल बिल में जो प्रपोजल था, उसके लिये सब का एप्रीहेन्शन यह था कि it will be permanently embodied in the Statute Book and Government can utilise it on any occasion. जब कि माननीय मंत्री महोदय बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को इम्पलीमेन्ट करने के लिये जो पंचायतों के टर्म्स वगैरह हैं उनको एक्सटेन्ड करना चाहते हैं और इसी को मीट विथ करने के लिये यह बिल लाये थे। उस दिन के डिस्कसन को देखते हुए यह अमेन्डमेंट मैंने रखा है इसको एग्ज़ीक्यूट करना है सदन के माननीय सदस्यों को भी एप्रीहेन्शन न हो These powers will be misused. Now the Hon'ble Minister is going to accept this amendment and I don't think, I need say much about it.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है एक तरह से वह माननीय मन्त्री महोदय की भावना को पूरा भी करता है। कल इस सम्बन्ध में वाद विवाद चल रहा था उस समय सदन की यह मन्शा थी सरकार को यह अधिकार न दिया जाय सारी पंचायतों के टाइम लिमिट बढ़ाने के। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पांच हजार तक की पंचायतों को इसमें शामिल किया है। इस प्रकार से कोई पंचायत जिसका चुनाव एक बार हो चुका है और उस पंचायत की आबादी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पांच हजार से अधिक है ऐसे में सीकर ज़िले की बात कहूं लगभग साल भर होने आया वहां पंचायत के चुनाव रुके हुए हैं। हमको उनका डिविजन करके पांच हज़ार से छोटी बनाना है अगर बलवन्तराव मेहता कमेटी की हम दुहाई देते हैं उस कमेटी की मन्शा इससे डिफीट होती है। अगर हम चाहते हैं ये पंचायतें बड़ी हो और बाकी पंचायतें जो छोटी हैं उनको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले तो दो अक्टूबर का जो टाइम लिमिट है उसको हम करवायें। उससे पहले जितनी भी पांच हजार से कम की पंचायतें हैं उनका चुनाव हो जाना चाहिये। आज हमारे यहां लगभग साल भर का समय हो गया किन्तु पंचायत के चुनाव नहीं हुये। इसके लिये सरकार सब कुछ व्यवस्था कर सकती है अगर नहीं की है तो आगामी दो तीन महिनों में वह भी व्यवस्था पूरा कर सकती है। पांच हजार तक की आबादी वाली पंचायतों के टुकड़े कर दिये जांय और बाकी के चुनाव करवा दिये जांय और जिस समय पंचायत समितियां बनें उन पंचायतों के प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं सन् ६० तक इसको केरी आउट करते है तो जो दो अक्टूबर तक पंचायत समितियां बन जाती हैं उन पंचायतों की जिन की आबादी पांच हजार से अधिक है उनके पंच सरपंच उसमें भाग लेगें। बाकी की हजार दो हज़ार की जो पंचायतें रह जाती है उनको ज्यादा प्रभुत्व मिलेगा। इसमें सरकार को ज्यादा तत्परता दिखानी चाहिये। डिपार्टमेन्ट भी अलग कर दिया स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है वैसी हालत में यह मुश्किल नहीं होना चाहिये। सारी पंचायतों को नहीं तहसील पंचायतों तक ही सीमित रखें क्योंकि सारा का सारा गठन फिर से होने वाला है। तहसील पचायतों की लिमिट हम अक्टूबर तक एक्सटेन्ड करदें। इसलिये पांच हजार तक पंचायतों के चुनाव के लिये जो संशोधन रखा गया है और जिसकी वजह से यह एक्सटेन्शन मिल रहा हैं गलत है! मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी रोज़ अर्ज किया था कि जो हमारा प्लान है वह यह है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की राय के मुताबिक छोटी पंचायतें बनाना चाहते हैं। चूंकि हमारे यहां करीब चार हजार पंचायतें हैं एक साथ सब को लेना मुश्किल है इसलिये अभी पहली स्टेज़ में पांच हज़ार से ऊपर की पंचायतों को ले रहे हैं इनको छोटी करके उसके मुताबिक चुनाव होंगे। पांच हजार से ऊपर वाली पंचायतों के चुनाव हो रहे थे, उनको इस आधार पर रोक दिया गया है कि अगर उनके चुनाव हो जाते हैं तो इस कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक फिर से चुनाव करने होगें, इसलिये दुबारा चुनाव को रोकने के लिये हम टाइम एक्सटेन्ड करना चहाते हैं। इस बारे में सरकार का निर्णय है कि पंचायतों को छोटी की जायगी अगर एक साथ कर देते हैं तो उसमें मुश्किल होगी पांच हज़ार से कम की पंचायतों को एक्सटेन्ड करने की आवश्यकता नहीं होंगी पांच हजार से ऊपर की पंचायतों के लिये समय का एक्सटेन्शन चाहते हैं। टाइम एक्सटेन्ड करने की बात है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : चार हजार की आबादी

(श्री अध्यक्ष)

वाली जो पंचायतें हैं जिनकी अवधि खत्म हो गई है उनकी स्थिति क्या रहेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अवधि सब की खत्म नहीं हुई हैं। एकाध की खत्म हो गई है तो उनके चुनाव कर रहे हैं। We have already issued orders for the election of the panchayats.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता था कि माननीय मंत्री महोदय के एक्सप्लेनेशन के बाद इस बात की आवश्यकता नहीं रहेगी कि सदन में मुझे अपने विचार व्यक्त करने पड़ें। लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन के बाद, जो कोई एक्सप्लेनेशन न होकर, उसको उलझनभरी बातें कहीं जांय तो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अभी एक प्रश्न पैदा हुआ, अगर फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय जिस संशोधन की मंशा है कि

६.४८ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पांच हजार से ऊपर की आबादी वाली पंचायतें हैं, उन पंचायतों को अवधि के भीतर स्प्लिट नहीं किया जा सके तो, उनकी टर्म्स में एक्स्टेन्शन किया जाकर स्प्लिट अप किया जायगा। जिस प्रकार से यह प्रश्न पैदा हुआ अगर चार हज़ार की आबादी वाली पंचायत हैं जिसका टर्म एक्सपायर नहीं हुआ और सरकार को यह मन्शा हो कि इन पंचायतों को डेढ़ हज़ार या दो हज़ार की आबादी का स्प्लिट अप किया जाय तो इसका क्या हाल होगा ? मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार का इसमें यही उत्तर आने वाला है अभी हम स्टेजेज़ में कर रहे हैं पहले पांच हज़ार से ऊपर की पंचायतों को ले रहे हैं बाद में पांच हज़ार से नीचे की, इसमें शायद इस की आवश्यकता नहीं रहेगी कि चार हज़ार से ऊपर वाली पंचायतों के टर्म्स में किसी प्रकार एक्स्टेन्शन को ग्रान्ट की जाय। कुछ ऐसा लगता है पंचायतों का इस तरह का एक्सटेन्शन पीरियड ३१ अक्टूबर १९६० तक रखा जाय, यह स्थिति किस कारण पैदा होती है। अगर सरकार ने इस संबंध में निर्णयानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और उस कार्यवाही को पूरी होने में कितना समय लगेगा अगर उस को पूरी करवाने में डेढ़ दो वर्ष का समय लगता है तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार अपने निर्णय को तुरन्त लागू नहीं करवा सकती। इस संबंध में यह कहा जा सकता है जहां तक नीति बनाने का प्रश्न पैदा होता है वास्तव में सरकार मंत्री मंडलीय स्तर पर नीति कोई अपना लें लेकिन जहां नीति को एग्ज़ीक्यूट करने का प्रश्न होता है उसमें सरकार एक मामूली सी बात को समय पर एग्जीक्यूट नहीं करा सकती इससे ऐसा मालूम होता है उसके किसी हिस्से में कमजोरी है और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ताकतवर हैं। इसी कारण सही समय पर किसी चीज़ को लागू नहीं कर सकते। सरकार यह कह सकती है वह एग्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटीज़ के मुकाबले ज्यादा तत्पर है राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिसका जिक्र किया दो अक्टूबर को जिला परिषदें चालू कायम होगी।

Page No.46

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप इस अमेंडमेंट की खिलाफत कर रहे हैं या सेक्शन की खिलाफत कर रहे हैं आपकी मन्शा है ऐसा ही रहने दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : मेरी मंशा अब आरही है धीरे धीरे ।

[redacted] : तो सरकार ने भी तै किया है स्प्लिट करने का और इसके अनुसार दो तरीकों से ज़िला परिषदें बनेंगी । जिला बोर्डखत्म होंगे, पंचायत समितियों का निर्माण होगा । जिला बोर्डों की जगह जिला परिषदें बनेंगी और पंचायत समितियों का नया निर्माण होगा । इसके लिए कैसी भाषा बननी चाहिये,इसके आधार भी उसी प्रकार का बनना चाहिये जिसके आधार पर इसके चुनाव कराना चाहते हैं । यदि पंचायतों का चुनाव और निर्माण इसके अनुरूप नहीं किया और इसके बावजूद भी पंचायत समितियों का निर्माण कर दिया तो निश्चित रूप से रिप्रेजन्टेशन के प्रश्न को लेकर झगड़ा पैदा होगा । परिषद् समितियों में सरपंच एक्स ऑफिशियो मेम्बर होंगे । कोई भी पंचायत का सरपंच होगा वह परिषद् समिति का सदस्य होगा । पांच हज़ार से हज़ार की पंचायत को हमने दो हज़ार की आबादी में बांटा तो इस का मतलब यह हुआ कि जहां एक पंचायत का एक प्रतिनिधि जाता था वहां उस पंचायत के स्प्लिट होने के बाद ३ सदस्य जावेंगे और वह तीनों मेम्बर वहां जाकर प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह भी सम्भव है कि अपने अपने क्षेत्र को शह देने का तै करके उसके अनुरूप जैसी आवश्यकता होगी वैसी ही वे मांग करेंगे और पूरी भी करवा सकेंगे । सरकार कहती है कि वह पुरी नहीं कर सकती । मैं उसके इस कथन को समझ नहीं पाया । एक तरफ कहते हैं उच्चा अधिकारियों के अधिकार में पंचायत का विभाग दिया है और सहूलियत के लिए जॉइन्ट डाइरेक्टर की नियुक्ति होने वाली है, शायद कर भी दी हो । ऐसी स्थिति में आज तक आर० ए० एस० अधिकारी काम करता था उसके सीधे सम्पर्क में माननीय मंत्री जी थे । नगरपालिकाओं का और पंचायतों का चुनाव समय में कराये जा सकते थे, जिन वार्डों का और पंचायतों का निर्माण करना जरूरी समझते थे तो उनका निर्माण हो सकता था । पर मैं ऐसा समझता हूं कि नये अधिकारी के आने के बाद यह सुविधा ज्यादा होनी चाहिये । पर संकेत ऐसे मिलते हैं कि सरकार आज कठिनाइयां अनुभव कर रही है । आई० ए० एस० में से डाइरेक्टर की नियुक्ति कर दी । निचले अधिकारी के लिए उच्च अधिकारी की नियुक्ति कर दी फिर कौनसी ऐसी कठिनाई आने वाली है जिसे गवर्नमेंट दूर नहीं कर सकती । अगर कोई सत्ता है सरकार के हाथ में और सही रूप से उसका उपयोग करना चाहे तो एक आदेश दे दे । डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर है, एक्सटेन्शन ऑफिसर है, राजस्थान का कोई क्षेत्र नहीं, जहां पंचायत विभाग का अधिकारी न हो, जो पंचायतों के रोजमर्रा के हिसाब किताब को छोड़ कर उसके गठन के बारे में सुझाव प्रस्तुत न करता हो । हमेशा सुझाव आते हैं । उन पर सरकार गौर करती है और आदेश देती है । तो ऐसी कौनसी समस्या है । एक तारीख निश्चित कर दें कि एक जुलाई से पहले पहले पांच हज़ार की आबादी वाली कोई पंचायत है वह दो हज़ार की पंचायत में स्प्लिट अप की जावेगा । और इस सम्बन्ध में जितने प्रस्ताव हों, जिला पंचायत

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अधिकारी, मुख्य पंचायत अधिकारी के पास जावेंगे और उन पर निर्णय लेंगे। अब जुलाई में सूचना आ जावे तो सरकार चाहे तो फिर पब्लिक को भी नोटिस दे सकती है कि इन पर किसी को कुछ कहना हो, कोई विरोध हो तो एक महीने,की अवधि के अन्दर अन्दर मुख्य पंचायत अधिकारी या जिस प्रकार का निर्धारित कर सकें, उसके सामने अपने सुझाव व विरोध आदि के सम्बन्ध में एप्लीकेशनें दें। उस स्थिति में यदि जुलाई का महीना निकल जावे तो अगस्त में पूरे राजस्थान में पांच हजार से ऊपर की आबादी वाली पंचायतों को इलेक्ट करा सकती है। अगर अगस्त में देते हैं तो दो महीने का समय रहता है। मैं नहीं समझ पाया कि इस समय में क्यों सरकार इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती। सरकार कहे एफीशियेन्ट स्टाफ नहीं है। वह भी समझ में आ सकता है। पर सरकार यह नहीं कहेगी, वह यह कहेगी कि जितने इम्पोर्टेन्ट ऑफिसर थे उनको हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के स्थान पर नियत किये हैं। सिलेक्शन की अनएफीशियेन्सी की बात आगे आती है। वह शायद नहीं कहेगी। पर कहने को भी तैयार न हो पर अक्टूबर तक बात करेगी तो इस बिल की सिम्पल प्लान में भी सरकार पोलीटिकल रीज़न को काम में लाना चाहती है। वह रीजन किस प्रकार आवेगा। मैं उसका छोटा सा नक्शा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान लीजिये पंचायत समिति का निर्माण किया। इसमें जितने भी सरपंच सदस्य होंगे वे किसी एक ग्रुप विशेष का कोई इम्पोर्टेन्स रखते हैं, बहुमत रखते हैं लेकिन यदि वह पंचायत दो हज़ार में स्प्लिट कर दी जावे तो पंचायत के सरपंचों की संख्या बढ़ेगी वे शायद इस ग्रुप के खिलाफ आ सके तो पंचायत समिति का काम उन लोगों के हाथ में ६० तक बना रहे इसलिये शायद सरकार ऐसा भी विचार कर सकती है जिसे चाहे उसे एक्सटेन्शन दे दे और जिसको न चाहे उसको न दे। अब यदि सरकार यह कहे कि हम तो कुछ स्टेजेज पर यह करना चाहते हैं एक को करना चाहते हैं पहले या धीरे धीरे करना चाहते हैं तो और भी सन्देह पैदा करना चाहती है सरकार। धीरे धीरे शायद अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहती है। यह धीरे धीरे, शब्द एक जबर्दस्त सन्देहास्पद है इस से सरकार पर जितना सन्देह किया जा सके, किया जा सकता है।

हमने कई बार कहा। नगरपालिका के चुनावों को लेकर शिकायत करनी पड़ती है। नगरपालिका की अवधि समाप्त हो गई। एक साल का एक्सटेन्शन दे दिया पर फिर भी चुनाव नहीं करा सकी। कोई कारण नहीं। चुनाव क्यों नहीं करा सकी। बल्कि कारण यह है राजनैतिक कारण पैदा हो जाता है जिसके कारण नहीं करा सकती। नाथद्वारा का मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण दूंगा। अप्रेल को मियाद खत्म होती थी। चार वर्ष की मियाद खत्म होती थी। १३ अप्रेल को नॉमीनेशन होने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से समझिये या खुशकिस्मती से १२ तारीख को नाथद्वारा एन्क्वायरी कमीशन की भी पहुँच होने वाली थी। सरकार ने सोचा यदि इस अवसर पर नाथद्वारा में चुनाव हुआ तो पार्टीबाजी के आधार पर या और अन्य बातों के आधार पर सरकार के खिलाफ वातावरण बन सकता है और इसके जरिये एन्क्वायरी कमीशन के जरिये भी कुछ बातों

Page No.48

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

का रहस्योद्घाटन हो सकता है। इसके प्रकार के वातावरण में यदि चुनाव कराया गया तो यह सरकार के हित में अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस के एक ग्रुप के हित में ठीक नहीं होगा। इसलिये इस चुनाव को आगे सरका दिया जाना ही सरकार ने बेहतर समझा। नहीं तो चार वर्ष की मियाद खत्म हो गई थी १३ तारीख को जिसके चुनावों की नामजदगी होने वाली थी। पर ठीक इसके एक दो दिन पूर्व कलेक्टर का नोटिस मिलता है आगे से चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं। माननीय मन्त्री जी इसका कारण बतावेंगे। वह कारण भी कृत्रिम कारण है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कह रहा था माननीय सदस्य को सभी तरह का अधिकार है यहां कहने का, वह कह सकते हैं। यह पंचायत की टर्म एक्सटेन्ड करने का बिल है। मैंने पहले भी पूछा कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं। वे इसके खिलाफ बोल रहे हैं या पक्ष में, यह मैं, अब तक भी नहीं समझ पाया हूँ। इसके विपरीत वे इस मुद्दे पर न कह कर, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव रख दिये, उनकी दलील देकर कुछ और कह रहे हैं। यह ठीक है उनको यहां बहुत बड़े अधिकार हैं। सदन का वे कितना भी टाइम ले सकते हैं। पर इस बिल के बारे में वे क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं सारी पंचायतों के चुनाव उनके भाषण में आ गये, नगरपालिकाओं के चुनाव आ गये, गुटबाजी की बात आई। ये बातें कहने के तो और भी बहुत से मौके उनको मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में कुछ फर्क है और अपने वक्तव्य में माननीय सदस्य कभी पंचायत फरमा रहे हैं कभी म्युनिसिपैलिटी बतला रहे हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि वे विषयान्तर न हों।

श्री भैरोंसिंह : यह नाथद्वारे का मामला ही ऐसा है। सबको रोष आता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये रिलीवेन्सी को ध्यान में रक्खे तो और भी ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे नाथद्वारा में इन्टरेस्ट नहीं था। इसका ज़िक्र करना था, इसलिए नहीं किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप वहां की यात्रा करके आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ पहले के एसोशियेशन से दिलचस्पी हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं नज़ीर पेश कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार इन चुनावों में किस नीति से, किस ढंग से काम करती है। नाथद्वारा सबकी आंखों में चूंकि बसा हुआ है इसलिये...

श्री उपाध्यक्ष : आजकल से नहीं, सदियों से आंखों में रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आजकल कुछ ज्यादा बसा हुआ है।

(हंसी)

तो यदि इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जावे

(श्री भैरोंसिंह)

तो उचित ही होगा सरकार की इस सम्बन्ध में किस प्रकार की नीति रहती है। इसलिये केवल नाथद्वारे का ही जिक्र मैंने किया था उपाध्यक्ष महोदय, बाकी का करना होता तो परबतसर की नगरपालिका सामने थी, हिंडौन की नगरपालिका का जिक्र कर सकता था। नगर पालिकाएं तो बहुत हैं ऐसी।

श्री उपाध्यक्ष : जिक्र न करते हुए भी जिक्र करते जाते हैं।

(हंसी)

११ म० पू०

श्री भैरोंसिंह : खैर मैं आप की आज्ञा मानकर ऐसी नगरपालिकाओं का ज़िक्र नहीं करता हूँ जिसमें सरकार ने किसी न किसी कारण के आधार पर, जो राजनैतिक कारण हो सकते हैं मेरी समझ में, राजनैतिक कारणों के आधार पर उनका एक्सटेन्शन स्वीकार किया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस सारे प्रसंग में सरकार के इस साधारण से बैकग्राउन्ड के आधार पर, यह विचार करना पड़ेगा कि सरकार को एक्सटेन्शन करने का अधिकार दिया जाय या नहीं। माननीय मंत्री जी भी मेरी बात के लिए काफी उत्सुक थे कि मैं इसके विरोध में बोल रहा हूं या पक्ष में। शायद इस प्रसंग को ठीक तरह से वह समझने का प्रयत्न करते और अनुमान लगाते तो उनको इस बात का अन्दाज़ा हो जाता कि मैं इस एक्सटेन्शन के भी विरोध में हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक्सटेन्शन भी राजनैतिक तरीके के आधार पर काम लाया जायेगा। यदि सरकार की दरअसल मन्शा यह है कि जो पंचायतें पांच हजार की आबादी के ऊपर की हैं उनको स्प्लिट-अप करके कम आबादी वाली पंचायतें को बनाते हैं तो सरकार को स्पष्ट रूप से टाइम तय कर देना चाहिये कि इस समय के पहले पहले, मैं समझता हूं कि वह चार महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता चार महीने के अन्दर अन्दर पंचायतों का गठन इस प्रकार से हो सकता है। मुझे याद है कि जब पंचायत एक्ट बना था और एक्ट बनने के बाद जिस समय उसको लागू किया गया उसे लागू करने के समय से लेकर दो महीने की अवधि में पंचायतों का गठन हो गया। शीघ्र ही राजस्थान की सारी पंचायतों का चुनाव हो गया और चुनाव हो जाने के बाद में पंचायतें काम करने लग गई तो पूरे राजस्थान में दो महीने में व्यवस्था कराई जा सकती है वहां पांच हज़ार से ज्यादा की पंचायतें बहुत कम होंगी इनकी व्यवस्था करने के लिये सरकार यदि अब १॥ वर्ष का समय मांगे तो उचित नहीं होगा। सरकार को तारीख निश्चित करनी चाहिए कि अमुक तारीख तक ऐसी पंचायतों का चुनाव कराना है। यदि सरकार कहे कि हमें कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं तो सरकार का कर्त्तव्य है कि सरकार इस प्रकार की पंचायतों की बातें सदन के सामने प्रस्तुत करें। मैं ऐसा समझता हूं कि अपनी पंचायतों के बारे में मैं विशेष तौर पर जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक के बारे में ज़रूर जिक्र करूंगा और वह इसलिए करूंगा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका समर्थन किया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की तहसील की पंचायत जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, उसका एक्सटेन्शन किया

(श्री भैरोंसिंह)

गया तो क्या हाल होगा । जनता ने कई प्रकार की शिकायतें की हैं, शिकायतें करने के बाद में जनता बुरी तरह पीड़ित है और वहां का चुनाव नहीं होता और इसलिए नहीं होता कि केवल राजनैतिक कारण हैं । यदि राजनैतिक कारण नहीं होते तो मैं ऐसा समझता हूं कि बाकी के तहसील पंचायतों के चुनाव के साथ में इस प्रकार की आज्ञा जारी की जा सकती थी लेकिन वह आज्ञा जारी नहीं हुई । वहां के सरपंच और पंच इस बात के लिए मशहूर हैं कि किस प्रकार से झूठे रिकॉर्ड तैयार किये जायें और किस प्रकार से फायलों में टेम्परिंग किया जाये और किस प्रकार से जनता को मुकदमेबाज़ी से परेशान किया जाये । मुझे कल ही एक पत्र उसी पंचायत का मिला और उसको मैं सदन के सामने भी इसलिए पेश करना चाहता था कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है । यह एक खाली कागज़ है

श्री उपाध्यक्ष : यह भावना भी उन्हीं की है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं भावना भी उनकी है । मैं यह खाली कागज़ सरपंच ग्राम पंचायत सेवा तहसील दूदू का पेश कर रहा था । इसमें एक तरफ तो सरपंच की सिफारिश लिखी है जिसमें लिखा है ...

श्री पी. के. चौधरी : फुलेरा मेरे क्षेत्र में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : इस खाली कागज़ पर लिखा है : मूल प्रार्थनापत्र श्री सरपंच सा० तहसील पंचायत की सेवा में भेजकर निवेदन किया जावे कि प्रार्थी काश्तकार आदमी है अतः प्रार्थी को कन्ट्रोल की टीन दिलाये जावें । यह एक तरफ तो सरपंच ग्राम पंचायत सेवा, तहसील दूदू की सिफारिश हो गई और दूसरी तरफ सूवालाल जी चौधरी जो कि आपके खिलाफ चुनावों में लड़े थे और अब तहसील पंचायत के सरपंच हैं उनकी सिफारिश है :

"मूल पत्र श्रीमान् जिला कृषि अधिकारी जी जयपुर की सेवा में भेजकर निवेदन किया जावे कि प्रार्थी किसान है । अतः १० टीन १० फुटे दिलाये जाने की व्यवस्था करावें ।" कागज के दोनों तरफ सिफारिशें लिखी हुई है लेकिन मूल पत्र नहीं है और उसकी जगह खाली छोड़ी हुई है कि जितनी जिस प्रकार से लिखना चाहे लिख ले । कई बार ऐसी शिकायतें की गई लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती । लोगों को टिन्स नहीं मिलती । वहां की यदि इस पंचायत को फिर एक्सटेन्शन एक साल का दे दिया तो वहां जनता का क्या हाल होगा । जो भी वहां पर पहुंचेंगे वह इस प्रकार के कागज लेकर सरपंच की सिफारिश करवा कर लायेंगे । सरकार यदि कुछ एक्शन लेना चाहें तो मैं कागज़ मंत्री जी के सामने पेश कर सकता हूँ । उन दोनों सरपंचों के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो उनको और जानकारी दे सकता हूँ । लेकिन मुझे भय है कि पंचायतों को एक्सटेन्शन मिलेगा । क्यों कि पंचायतों के एक बार चुनाव वगैरह आ गये उनका ट्रेन्ड देखा । मंत्री जी स्वयं करें या नही करें लेकिन जो नये चुनाव हैं जो पुराने पंच थे उनमें ५० परसेन्ट लोग हारे हैं क्योंकि लोगों का कॉन्फी-

(श्री भैरोंसिंह)

डेन्स जिस प्रकार का क्रियेट करना चाहिये वह नहीं कर सकते है। लेकिन जनता की शिकायतें रहीं हैं। यही कारण है कि ५० पार्सेंट लोग पराजित हुए हैं और नये लोग आये हैं। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि नये लोगों के आने का शुभ लक्षण हैं लेकिन साथ ही हमें देखना यह भी पड़ेगा कि वह आये कैसे हैं। क्योंकि पहले वाले पंच पूरी मन्शा नहीं कर सके और सेटिस्फेक्टरी एड-मिनिस्ट्रेशन नहीं दे सके यह उसी का कारण है कि नये लोग आये हैं। आज उसी प्रसंग में हम पंचायतों के एक्सटेन्शन पर विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पीरियड में जो कि एक्सटेन्-डेड पीरियड है। जिसमें सरपंच यह महसूस करते हैं कि यहां अवधि तो समाप्त होने वाली है और जो चार महीने का टाइम एक्सटेन्ड हुआ है उसमें पूरा लाभ उठा लें, ऐसी उनकी प्रवृत्ति रहती है। नावां तहसील में मंगलाना नाम की पंचायत है, उस पंचायत के सरपंच श्री परसाराम को १५०० रुपये कुंए की मरम्मत के लिए दिये गये। उनका कोई हिसाब किताब नहीं है।इस मामले में उन पर चार्ज लगाया गया, मामले की शिकायत एन्टीकरप्शन को की गई ....

श्री उपाध्यक्ष : We are going too beyond the provisions and the clauses itself.

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूँ कि उस पंचायत का एक्सटेन्शन हो रहा है और एक्सटेन्शन किस प्रकार से होता है।

श्री उपाध्यक्ष : I can visualise the striching to the relevancy of any point. But strictly speaking the debate is not relevant to the question at all.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं उपाध्यक्ष महोदय आप से ज़रा यह रास्ता चाहूँगा कि जो सरकार एक्सटेन्शन करती है उसके मुद्दों को किस प्रकार से हाउस के सामने रखा जाये, उसका रास्ता ज़रा बता दें तो मैं ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक इन्सीडेन्ट ही काफी होता है, उससे सारे रास्ते निकल सकते हैं। Citing so many instances to coborate the same fact.

श्री भैरोंसिंह : एक पंचायत का पहले ही रखा है। उस पंचायत का एक्सटेन्शन हुआ और एक्सटेन्शन होने के साथ सरपंच को डिस्क्वालिफाई कर दिया तो वह डवेलप-मेंट डिपार्टमेंट में जाकर बैठ गया। पंचायत की मोहर झूठी लगा दी और ब्लॉक्स से रुपया ले लिया। अब न तो सरकार एक्शन उसके खिलाफ लेती है और न कलेक्टर लेता है। इसके लिये एन्टीकरप्शन को शिका-यत कर दी गई पर वहां भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मुझे स्पष्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इसे सदन भी जानता है और माननीय मन्त्री जी भी निश्चित रूप से इस बात को जानते होंगे कि उसके पीछे कुछ राजनैतिक हाथ है जिसके कारण से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन इस प्रकार की जो चीजें हैं उन चीज़ों से किसी प्रकार की शिक्षा लें तो ऐसा लगता है कि सरकार जो एक्सटेन्शन के पीरियड में ज्यादा समय की मांग करती है उसके पीछे ऐसे राजनैतिक कारण बन

Page No.52

(श्री भैरोसिंह)

सकते हैं। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा और सही था कि पांच हज़ार की पंचायतों को यदि हमें स्प्लिट अप करना है तो कितना समय लग सकता है पहले सरकार इस पर विचार करें। एक महीने का तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से सजेशन आयेगा, फिर गवर्नमेंट के पास प्रपोज़ल आयेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर्स इश्यू करेगी और ऑर्डर्स इश्यू करने के बाद में गज़ट नोटीफिकेशन होगा और गज़ट नोटीफ़िकेशन के बाद चुनाव होंगे। यदि सरकार इस प्रकार की प्रकिया बनाकर उस प्रोग्राम में पन्द्रह रोज बीस रोज़ या एक महीना या दो महीने का और अधिक समय की आवश्यकता है तो वह दिया जा सकता है लेकिन सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है और राजस्थानी में जिस प्रकार से कहा जाता है धूल में लठ लगाना उस प्रकार की प्रक्रिया के आधार पर हमारी सरकार कहती है कि ११।वर्ष का समय दे दिया जाये। कौनसी दिक्कत आपकेसामने आ गई है, किस पंचायत को आप जीवित रखना चाहते हैं, किसी पंचायत को खत्म कर देंगे तो राजनीति में किस प्रकार का परिवर्तन आने वाला है इस प्रकार की बातें सदन के समक्ष प्रस्तुत करते। प्रस्तुत करके प्रोग्राम सदन को बताते और प्रोग्राम में समय की आवश्यकता होती, तो मैं निश्चत् रूप से कह सकता हूँ कि हमारा विरोध नहीं होता। बिना प्रोग्राम के सरकार खाली प्रस्ताव जो कि पहले से रखा हुआ है लाना चाहती है कि १६६० के अक्टूबर तक बड़ी पंचायतों को छोटे स्टेण्डर्ड पर लाना चाहते हैं इसलिए समय एक्सटेन्ड वहां तक रख दिया जाय। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछना चाहूँगा कि बलवन्त राय मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें कहीं भी, उस रिपोर्ट के अन्दर समय का नहीं है। उसमें केवल बड़ी पंचायतों को छोटी बनाने के दृष्टिकोण को सामने रखा है। वह बनाना है तब कितनी छोटी बनेगी, किस तरह से बनेगी कितने समय में बनेगी, यह सारी बातें सरकार पर डिपेन्ड करती है। वह सरकार इन सारी चीज़ों पूरा करने के लिए समय का टार्गेट बनाकर दें तो आगे की कार्यवाही के ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। मैं इस सारी पृष्ठभूमि के अन्दर फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन इस प्रकार से कि ३१ अक्टूबर, १९६० तक वह होगा उसके बजाय २ अक्टूबर, १६५६ तक वह होगा जो कि डिसेन्ट्रेलाइजेशनके लिए तारीख निश्चित की गई है उस तारीख को ही स्वीकार कर लें और उस समय के अन्दर साढ़े पांच हज़ार से ऊपर की जो पंचायतें हैं उनको छोटी करने के कार्य को, कार्य रूप परिणित कर दें, तो मैं समझता हूं कि सबसे सुन्दर इस प्रकार की व्यवस्था होगी। इससे न तो सरकार के ऊपर संदेह किया जा सकता है और उसके कारण माननीय मन्त्रीजी के सामने जो कठिनाई पैदा होती है बार बार वह कठिनाई भी दूर करेंगे। लोग दरख्वास्त लेकर पहुँचते हैं कि किसी पंचायत की अवधि को एक्सटेन्ड करो, अगर इन्कार करते हैं तो सिर दर्द होता है, वसर दर्द इस काम से दूर हो जायगा। सब के सामने एक डेट फिक्स हो जायगी कि अमुक प्रोग्राम के अनुसार चुनाव कराये जायेंगे। उसमें किस प्रकार का रद्दोबदल नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जनता के सामने जब परिस्थिति होगी तो न तो दरख्वास्त आयेगी और न रिप्रेजेन्टेशन पेश होंगे और न

(श्री भैरोंसिंह)

एक्स्टेंशन के लिए किसी प्रकार का आधार ही होगा ! उस स्थिति में मैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि मेरा मौखिक संशोधन इस प्रकार से स्वीकार करलें और स्वीकार करने बाद के अपने संशोधन को सदन में प्रस्तुत करें । अगर वे उसी तरह से संशोधन प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही उचित समझता हूं कि आप पंचायतों के अन्दर चुनाव जल्दी से जल्दी किसी प्रकार से हो सकें यह जनता को विश्वास दिलाते हैं कि ३ वर्ष के अन्दर आगामी चुनाव होंगे और तीन वर्ष के बाद एक साल का एक्स्टेन्शन दिया जा सकते हैं । इस प्रकार से चार साल के अन्त में जाकर चुनाव होगे तो आप जनता का विश्वास संपादन कर सकेंगे । उस संपादन के हितार्थ ऐसा समझता हूं कि सरकार से इस प्रकार के अधिकार दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकार को चाहिये कि समय निर्धारित करें । समय निर्धारित करते हुए अपने अधिकार को ले । वह चीज़ उचित होगी । इन्हीं शब्दों के साथ में संशोधन का विरोध करते हुए संशोधित रूप से यदि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य संशोधन को पेश करते हैं तो मैं उस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्री मुरलीधर व्यास के बोलने के लिए खड़े होने पर) : मैं अर्ज करूंगा कि इस इस बात पर कि एक्स्टेन्शन होना चाहिए सब लोग बोल चुके हैं । अब भी वही आॅग्यूमेंट देंगे । उस दिन सदन में यह उचित समझा था कि टाइम लिमिट कर दी जाय जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उसमें दूसरी बहुत सी कमी रखी हुई है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं । मैं क्या बोलना चाहता हूं । आप उस तक तो आने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : With the caution that the Hon'ble member will not repeat the same arguments.

श्री मुरलीधर व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पहले इस संबंध में जो चर्चा चली थी उन बातों को रिपीट करना नहीं चाहता, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन ने, एक मत से जो अवधि बढ़ाने की बात थी, उसको एक मत से नापसन्द किया था और उसका घोर विरोध किया था । उसके साथ ही साथ में सदन ने बहुत से सुझाव भी रखे थे । मैं सोचता था कि उन सुझावों पर मंत्री महोदय विचार करके इस प्रकार की बात रखेंगे....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : एमेंडमेंट उन्हीं सुझावों पर रखा गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह इस प्रकार से जो रखा गया है कि उन विचारों पर बेस्ड है । जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसके लिए वे कहते हैं कि उन्हीं सुझावों के आधार पर रखा गया है । उन सभी सुझावों और विचारों को मान्य करते हुए, विचारों का मूल्य,

Page No.54

(श्री मुरलीधर व्यास)

विचारों की कीमत करते हुए रखा गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि अपने आप, जो बातें उस प्रस्ताव में थी जिसमें तारीख की बात थी तो उसी प्रकार से रखा गया है। यह संशोधन नहीं है। इसको इस तरह से कहा जाय कि सदन के सम्मानीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था उनके विचार भी सम्मिलित हो गये हैं। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात का सख्त विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि उन विचारों को लेकर अगर मंत्री महोदय इसमें यह बात करते कि जो अवधि है उसको बढ़ाने की अपेक्षा यह फैसला करते कि वे २ साल की अवधि न बढ़ाकर डेढ़ साल की अवधि बढ़ाते। दो साल की अवधि न बढ़ाकर यह करते कि चुनाव ५ हज़ार से अधिक की पंचायतें हैं वहां भी, ५ हज़ार की पंचायतों में भी चुनाव ठीक टाइम पर करा देते। जो अवधि ३ साल की रहती उसको दो साल या डेढ़ साल की कर देते। वहां पंचायतें जीवित रहती और उसके साथ साथ १॥ साल के अन्तर्गत जो व्यवस्था करना चाहते हैं वह ठीक बात होती यदि ५ हज़ार की पंचायतों को छोटा करना है तो अपना सारा कार्यक्रम बनाकर बाद में चुनाव कर लेते। इसमें यह होता कि जो सदन में लोगों ने विचार किया था और इस बात का सख्त विरोध कर रहे थे कि अवधि न बढ़ाई जाय, उसमें थोड़ा ऐसा सुझाव मेरा आया था कि वास्तव में चुनाव करा लिये जायं और चुनाव कराने के बाद जो अवधि ३ साल की रहती है उसको २ साल या डेढ़ साल की कर दें, और उसके अन्तर्गत जो कार्यक्रम बनाना है, जो ५ हज़ार से कम ज्यादा का था, वह बना लेते, उसकी जो व्यवस्था करना है वह कर ली जाती। अगर ऐसा होता तो मैं कहता कि वाकई में डेमोक्रेटिक परम्परा का पालन किया गया है। परन्तु इसके अन्तर्गत तो, एक मात्र जो डेमोक्रेटिक परम्परा के लिए अच्छी और ज्यादा आवश्यक है, उसका हनन किया गया है। इस तरह की परम्परा अगर चालू रही तो मैं समझता हूं कि जो सोचने का तरीका है वह अपने आप में बहुत गलत है। आज के प्रजातन्त्र में जो सोचने तरीका होना चाहिए वह नहीं है। उन सुझावों के अनुसार संशोधित कर लिया यह कहना माननीय मंत्री महोदय का कतई ठीक नहीं है। जो इस प्रकार सुझाव हैं चाहे अपने आप में हो सकते हैं संशोधित नहीं हो लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वह ऐसे हैं। यह प्रजातन्त्र के अनुकूल नहीं है। आज के वातावरण के अनुकूल नहीं, और उसके साथ ही साथ वह भी एक प्रकार से इस प्रकार का है कि जिसके अन्दर हम जो चीज़ चाहते हैं, उसकी रक्षा किसी प्रकार से हो वह नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्तशासनमंत्री) उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि उसरोज जो बहस हुई थी दो रोज पहले उस समय माननीय सदस्यों ने बार बार यह कहा कि सब पंचायतो का टाइम एक्सटेन्ड करने की बात बिल में थी, वह नहीं रखी जाय। उसको मैंने मान लिया कि पांच हजार की पंचायतों की अवधि बढ़ाई जाय। उसके बाद में टाइम लिमिट बढ़ाई जाय उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद भी माननीय सदस्य कहें खिलाफत में तो मुझे अफसोस हुआ। उस रोज इस बात को सब माननीय सदस्य चाहते थे और जब चुनाव कराने के लिये कहते हैं कि फिर

Page No.55

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रिप्लट करने के बाद ६ महीने में चुनाव करा लिये जायं This will be a waste of time and energy. इसलिये मैंने अर्ज किया था कि ५ हजार से पंचायतें छोटी बनाई जा रही हैं और डेढ़ साल की यह मन्शा नहीं है कि डेढ़ साल में ही पूरा करेंगे। उसको जल्दी से जल्दी करेंगे। और माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव ४ महीने के अन्दर होना चाहिए। हमने यह कानून बना रखा है कि उसमें ४ महीने में नहीं होता है। पहले नोटिफिकेशन देंगे और आब्जेक्शन इनवाइट करेंगे फिर ऑब्जेक्शन की सुनवाई करनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : उसमें दो महीने का समय लगता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने के बाद में दुबारा नोटिफिकेशन इश्यू करना पड़ता है। यह कहना कि ३, ४ महीने के अन्दर हो जायगा यह बात गलत है इलेक्टैड आदमी हैं वह कॉन्टीन्यू करेंगे। यह कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से तहसीलदार बैठ जायगा। वह अनडेमोक्रेटिक बात हो जायगी। ऐसी बात नहीं होने वाली है। जब उस रोज़ मैंने विश्वास दिलाया था कि सरकार की यह कतई मन्शा नहीं है कि किसी पंचायत के साथ रियायत की जाय। यह बात नहीं है। और सब को रिप्लट किया जा रहा है। किसी एक को रिप्लट नहीं करते हों और बाकी को रिप्लट करने की बात नहीं है। इसलिए रियायत करने वह पार्टीबाजी और किसी बात का सवाल पैदा नहीं होता है मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह का अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने रखा है उसको स्वीकार कर लिया जाय, और जैसा है उसको वैसा ही पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ पर जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ संशोधित रूप से स्वीकार की गई।

क्लॉज १ प्रिएम्बल टाईटिल आदि

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ प्रिएम्बल, टाइटल आदि स्वीकार किए जायं...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, क्लॉज (१) में शोर्ट टाइटल है This Act may be called Rajasthan Panchayat Amendment Act, 1959. यह कौनसा अमेन्डमेन्ट एक्ट है यह दिया हुआ नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहला ही है ५६ में और कोई नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : If there is no indication of 1st or 2nd it should be presumed to be 1st.

श्री भैरोंसिंह : फर्स्ट अमेन्डमेन्ट एक्ट माना जायगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें

(श्री भैरोंसिंह)

पहले भी अमेन्डमेन्ट हो चुके हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सन् ५६ में यह पहला ही है।

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो विपक्ष हों वे 'ना' कहें।

'हां' पक्ष जीता।

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member was absent from since long.

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत ही अनडेमोक्रेटिक लॉ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्रीजी ने पंचायतों के बारे में एक पुस्तिका लिखी है....

श्री चंदनमल वैद (सरदारशहर) : श्री नाथूरामजी ने।

श्री भैरोंसिंह : श्री नाथूरामजी और मंत्रीजी में कोई अन्तर नहीं है। चाहे वन मंत्री ने लिखी हो, लेकिन पंचायतों के बारे में लिखी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कोई किताब नहीं लिखी।

श्री भैरोंसिंह : मुझे दुःख है कि आपकी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य ने गलत सूचना दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से जो इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। विरोध करने का कारण कोई नया हो ऐसी चीज नहीं है। कारण सदन के सामने ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन खेद इस बात है कि उनका जिस प्रकार का उत्तर होना चाहिये था और मैं जो संतोषजनक उत्तर मिलने की आशा करता था उस प्रकार का उत्तर किसी भी प्रकार से नहीं मिल सका है और इसी कारण से मैं ऐसा समझता हूं कि यदि यह बिल पास हो गया तो ५ हजार से ऊपर की जितनी भी पंचायतें हैं उनका भाग्य, एक व्यवस्था के आधार पर नहीं रहेगा बल्कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर की मर्जी पर उनका भाग्य रहेगा। राजस्थान के अंदर ५ हजार की आबादी से ऊपर की कितनी पंचायतें हैं उनका कोई नक्शा सरकार के सामने नहीं है। मैं समझता हूं अब तक संख्या भी नहीं निश्चित हुई होगी कि राजस्थान में कितनी ५ हजार से ऊपर की आबादी की पंचायतें हैं। उनकी संख्या निश्चित होने के बाद सरकार ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया होगा, जिसको लेकर सरकार रफली भी कह सके कि हम इतना समय लेंगे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने यह कहा था कि नोटिफिकेशन १ महीने में इश्यू करने के बाद क्लेम्स एण्ड ऑब्जेक्शन्स के लिये समय देना पड़ेगा। मैं समझता हूं २ महीनों के अंदर पंचायत का गठन करने की व्यवस्था है उसमें नोटिफिकेशन और ऑब्जेक्शन्स का

(श्री भैरोंसिंह)

समय निर्धारित किया है वह इस कानून के अंतर्गत काफी है। लेकिन अब यदि यह कहा जाय कि २ महीनों से ज्यादा समय लग सकता है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि किस प्रकार के कारणों को लेकर सरकार २ महीनों से भी ज्यादा विशेष प्रकार की वृद्धि चाहती है उसके लिये कारण मंत्रीजी को प्रस्तुत करने चाहिये थे, लेकिन यह कह दिया कि हम एक वर्ष का सभी को एक्सटेन्शन देंगे यह बात नहीं है बल्कि हम यह कोशिश करते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायं। प्रश्न यह सामने आया कि हम कानून बनावें और उसमें २ वर्ष के स्थान पर २ वर्ष का एक्सटेन्शन देना पड़ता है तो दो तरह की व्यवस्था को आधार मानना पड़ेगा। एक तो जनरल ऑर्डर इश्यू करते हैं कि ५ हजार से ऊपर की जो पंचायतें हैं उनका समय ३ वर्ष का निश्चित है और १ वर्ष का एक्सटेन्शन उसको दिया जा सकता है। अब ३ वर्ष या और १ वर्ष एक्सटेन्शन का ये चार वर्ष खत्म हो गये तो उनकी अवधि एक साल के लिये और बढ़ादी जायगी। अब दूसरी परिस्थिति यह पैदा होती है कि इस एक साल की अवधि में हमने चुनाव करवा भी दिये, जैसा कि मंत्रीजी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवा देंगे, तो हमने एक पंचायत का एक्सटेन्शन कर दिया आज की तारीख में। आज की तारीख में चार वर्ष खत्म हो रहे हैं और एक साल का एक्सटेन्शन आज और दे दिया तो इसका मतलब यह होगा कि जब तक यह एक साल खत्म नहीं हो तब तक आप चुनाव भी करवा सकते हैं तो भी आप उस पंचायत को हटा नहीं सकते और वह न्यूली इलेक्टेड पंचायत काम नहीं कर सकती। इसका मतलब यह होगा कि समस्त पंचायतों के लिये जनरल ऑर्डर के नीचे इस प्रकार का आदेश दिया कि उनके जीवन में १ वर्ष की वृद्धि करदी गई, जब एक वर्ष की वृद्धि करदी गई तो एग्जीक्यूटिव में स्लेकनैस आयेगी। परिणाम यह होगा कि एक वर्ष का समय पीछे है, धीरे धीरे नोटिफिकेशन या ऑर्डर इश्यू करेंगे, धीरे धीरे गठन किया जायगा और धीरे धीरे एक वर्ष में चुनाव कराने की चेष्टा की जायगी। इस प्रकार न कहा जाय तो भी कई बातें होंगी जिसमें १ वर्ष का एक्सटेन्शन का पीरियड समाप्त हो जायगा।

अब दूसरा सवाल आता है कि जनरल ऑर्डर इश्यू नहीं किया जाता है और अलग अलग पंचायत को अलग अलग ऑर्डर इश्यू किया तो मेरिट्स का प्रश्न सामने आयेगा कि किस का एक्सटेन्शन किया जाय। यदि कानून से मेरिट को देखें तो हमारे सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि किस तरह से नोटिफिकेशन इश्यू किया जाय, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर का प्रपोजल आया, चीफ पंचायत ऑफिसर ने गवर्नमेन्ट को फोरवर्ड किया, गवर्नमेन्ट का फाइनल डिसीजन कब हुआ, गजट नोटिफिकेशन कब कराया या ये चीजें करनी हैं, ये दिक्कतें हमारे सामने आ सकती हैं। जब पंचायत के बारे में यह प्रश्न आवे कि किस पंचायत को एक्सटेन्शन देना है तब दृष्टिकोण यह होता है कि उस पंचायत का सरपंच, पंच या वहां का कोई राजनैतिक कार्यकर्ता प्रभावशील है या नहीं और यदि कोई वहां पर प्रभावशाली है तो जब अनुकूल समय आवे, जिस समय वह सरपंच, पंचायत पर अधिकार कर सकें या चुन कर आ सकें ऐसा समय उनको सूट

(श्री भैरोंसिंह)

करेगा उसी को लेकर चुनाव कराने की कोशिश करेंगे तो दोनों चीजों में सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं समझता हूं मंत्रीजी स्पष्ट करेंगे कि एक्सटेन्शन का क्लॉज जनरली लागू होती है या सरकार जिसको चाहेगी उसको एक्सटेन्शन देगी। यह अपनी नीति के अनुसार स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन दिया जाय, दोनों चीजों को स्पष्ट किया जाय। उनमें जिस प्रकार की बाधायें या कमियें उपस्थित हो सकती हैं उनके बार में स्पष्टीकरण किया जाय। इनमें राजनैतिक अनुचित लाभ उठाया जा सकता है या नहीं। मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार जनरली सारी पंचायतों को एक्सटेन्शन देने वाली नहीं है और यह उपयुक्त भी नहीं है। सरकार चाहे इसे उपयुक्त मान ले लेकिन मुझे नज़र नहीं आती। इसलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार की ओर से जनरल ऑर्डर इश्यू नहीं किया जायगा। यदि नहीं किया जाता है तो किस प्रकार का जनरल ऑर्डर इश्यू होगा ? इस आधार पर होगा कि सरपंच या पंचों में से ज्यादा से ज्यादा प्रभाव कौन रख सकता है। यदि सरपंच या पंच प्रभावशाली हैं तो निश्चित रूप से उनको एक्सटेन्शन मिलेगा और यदि वे कमजोर हैं तो उनकी कमजोरी का फायदा सरकार उठायेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायतों के अन्दर एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था लागू कर दी, जिसका फायदा होशियार आदमी उठायेंगे और कमज़ोर आदमी नहीं उठायेंगे अब प्रश्न पैदा होता है कि सरकार यदि कहती है कि पीस मील, एक साल की अविध बढ़ाई जा सकती है, यह शब्द है, इसका मतलब यह नहीं कि एक साल का पीरियेड़ बढ़ायेंगे, ६ महीने का पीरियेड़ बढ़ा सकते हैं, तीन महीने का पीरियेड़ बढ़ा सकते हैं। इसलिये सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि जिस दिन से कानून लाग होगा, उस दिन से लेकर कम से कम तीन महीने की अवधि हर पंचायत के लिये स्वीकार करते हैं। जो पंचायत पांच हज़ार से ऊपर की हैं, जिनको हिस्सों में बाटना है, तो कम से कम पंचायतों के बारे में एक जनरल प्रिन्सिपल सामने आये कि अमुक पंचायतों की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, अमुक पंचायतों की नहीं बढ़ाना चाहते हैं और क्योंकि तीन महीने में चुनाव होगा, इसलिए चुनावों के लिए यह एक्सटेन्सन मिला है। यदि सरकार समझती है रि यह तीन महीने की अवधी पर्याप्त नहीं है तो ६ महीने तक कर सकती है। एक बार एक. जनरल प्रिन्सिपल तय करना पड़ेगा। अगर आपने इन्डीविजुअल पंचायतों के बारे में निर्णय लिया तो सब पंचायतों में एक कम्पीशन की भावना पैदा होगी। पंचायतें देखेंगी कि एक पंचायत को एक्सटेन्सन मिल गया, हमें भी एक्सटेन्शन दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अब एक्सटेन्सन किस आधार पर मिलता है, वह मैं निवेदन कर रहा हूँ एक्सटेन्सन मिलता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की रिपोर्ट पर यानि डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, यह कहना चाहिए कि कलेक्टर की कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर की रिपोर्ट, सूचना पर आधारित होती है, उनकी रिपोर्ट और कार्यवाही के ऊपर एक्सटेन्शन ग्रान्ट किया जाता है। किसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर के सामने अब कुछ पंचायतें रह जांय, जिनमें विशेष दिलचस्पी रखना चाहता हो, तो सरकारी हुकम होने के बावजूद भी, कई

–(श्री भैरोंसिंह)

बार रिमाइन्डर इश्यू होने के बाद भी, जो सरकार प्रपोजल्स चाहेगी वह प्रोज़ल्स नहीं देगा । अब प्रपोजल्स नहीं देगा, तो इस बात के लिए सरकार की ओर से उसे दंड नहीं मिलता, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाय, इस प्रकार की बात नहीं है । उसकी मर्जी आये तो समय में प्रपोज़ल्स भेज दे, और मर्जी आयेगी तो इस सारे रेड टेपिज़्म की व्यवस्था में जितना पंचायत का समय निकालना चाहेगा, उतना निकाल देगा । इसलिए आप एक जनरल ऑर्डर इश्यू करें....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अब हमने कमिश्नर को कहा है प्रपोजल्स बनाने के लिये, छोटी पंचायतों के प्रपोजल्स बनाने के लिए कमिश्नर को कहा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह बात वही है कि कमिश्नर की रिपोर्ट पटवारी की पर रिपोर्ट बेस्ड होती हैं । अब एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की मारफत कमिश्नर का काम होगा । वह पहले रिपोर्ट बना कर भेजेगा । यह बात जरूर है कि पहले सीधे चीफ पंचायत ऑफिसर के पास आती थीं अब कमिश्नर के मार्फत आयेगी । एक स्टेज आपने और बना दी है सिफारिश पहुंचाने के लिए, एक खर्चा अतिरिक्त आपने और दिया है । इसके लिए धन्यवाद के सिवाय और कुछ नहीं कह सकता । अब रेडटेपिज़्म के बावजूद भी माननीय मन्त्री जी इस बात को स्वीकार न करें, वन मन्त्री जी स्वीकार न करें लेकिन यह बात प्रत्यक्ष है कि पंचायतों के गठन में इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के ऊपर प्रभाव डाल कर, अनुकूल सिफारिश लाकर एप्रूव करा लेता है और रिटर्न में आज्ञा आ जाती है । यह डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के अधिकार की बात हैं, जिस समय वह चाहे अपने प्रपोजल्स भेजता हैं, जितनी पंचायत उसके अधिकार में आये, उनके बारे में देर लगा देता है । अब आपने इसमें तारीख निश्चित् नहीं की, उस तारीख के बाद अगर प्रपोजल्स में देरी हुई हैं, उस देरी के लिये डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को, पंचायत सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराये, उस में दण्ड के लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान नहीं किया है । ऐसी हालत में वह जितना समय देता रहे, उतने समय में पंचायत का चुनाव नहीं होगी । नगरपालिका के चुनाव के सम्बन्ध में आपने व्यवस्था कानून में रखी है कि इतने समय में वोटर्स लिस्ट बनेगी, इतने समय में ऑब्जेक्शन्स इनवाइट किये जायेंगे, इतने समय में नोमीनेशन होंगे और इतने समय पर चुनाव होंगे । अब उस समय में वोटर्स लिस्ट नहीं बन सकें, ऑब्जेक्शन्स इनवाइट नहीं किये जा सके, नोमीनेशन १५ दिन के अन्दर किया जा सकता है, उसके बजाय १४ दिन रह जायं, तो इन हालतों में नगरपालिका की अवधि का एक्सटेन्सन देना पड़ेगा । इन सारी चीजों के लिए अब दोषी कौन है ? जो दोषी है, उसको सरकार दंड दे और सरकार दंड नहीं देती है तो यह बात सामने रख कर जितने सम्बन्धित अधिकारी हैं वे चिन्ता नहीं करते हैं । ऐसी हालत में सदन को चाहिये, और मैं माननीय मन्त्री जी ने निवेदन करूंगा कि वे सदन का इसके सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह)

कॉन्फीडेन्स प्राप्त करें, वे पूरी जानकारी दें कि अमुक समय के अन्दर अमुक अमुक पंचायतों का चुनाव कर दिया जायगा, किन किन पंचायतों को एक्सटेन्सन दिया जायगा, किस की सिफारिश पर एक्सटेन्सन दिया जायगा और एक्सटेन्सन का जनरल प्रिन्सिपल लागू होगा, वह किस स्थिति के अनुसार लागू किया जायगा । इन सारी बातों को स्पष्ट किया जाय । अगर ये बातें स्पष्ट नहीं होती हैं और इन्हें अस्पष्ट रूप में रख कर इस विधेयक को पारित करवाया जाता है, तो मुझे खेद है कि आवश्यकता को महसूस करते हुए पांच हज़ार की पंचायतों का गठन करने के लिये सरकार को सुविधा दी जाय, यह सुविधा दी जाय कि पंचायतों का एक्सटेन्सन किया जाय । यह सब कुछ होते हुए सरकार जिस अधिकार को, एक्सटेन्सन पीरियड़ को, ज्यादा समय के आधार पर मांगती है, तो मैं उसका विरोध करते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि सदन इस बिल का अच्छी प्रकार से विरोध करे और इसको पारित न होने दे, यदि पारित हो गया तो सरकार अपनी इच्छा के अनुसार पांच हज़ार की पंचायतों को स्पिलिट करेगी और तब चुनाव होंगे जब अनुकूल राजनैतिक व्यवस्था बन सकेगी और उस समय तक इसकी तामील होगी । इससे इस प्रजातंत्र में असंतोष फैलेगा । इस असंतोष को दूर करने के लिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को इस समय विरोध किया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों को स्प्लिट करने के लिए जो स्टेट के बड़े से बड़े कमिश्नर हैं, उनको आदेश दे दिये गये हैं....

श्री भैरोंसिंह : आप डेट फिक्स कर दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (जारी) :डेट फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि जब कमिश्नर के यहां से, कलेक्टर के यहां से स्पिलिट होकर के न आ जाय, इसके लिए प्रपोज़ल्स न आ जाय, एक डेट फिक्स नहीं हो सकती । जहां तक गवर्नमेंट की बात है, यहां पर बैठ करके टेबल वर्क तो हो सकता है । लेकिन यह फील्ड वर्क की बात है और गांव गांव में जाकर के वर्क करना चाहिए, उसमें कितना समय लगेगा, यह नहीं कह सकता । मैं जैसलमेर के लिए कहूं कि एक महीने में हो जायगा तो यह नामुमकिन बात है । जैसलमेर में हर गांव में पहुँच कर काम करना होगा । वहां पटवारी आदि को मौके पर जाना होगा । वह दो महीने में हर गांव में नहीं पहुंच पायेंगे । इसके बाद अब बरसात आने वाली है, एक दो महीने में बरसात आ जायगी और आने जाने के रास्ते कट-ऑफ हो जायेंगे, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि के, इनके रास्ते बन्द हो जायेंगे । इन परिस्थितियों के होते हुए अगर डेट फिक्स की जाती है, तो मुश्किल है । अगर टेबल वर्क कराना चाहें तो मैं कर दूँ वह तो हो सकता है । लेकिन इतना विश्वास नहीं होने पर यह काम कैसे चलेगा । आप कहते हैं कि पंचायत ऑफिसर बेइमानी करेंगे, उनका नाम तो लिखा नहीं है, कमिश्नर के थ्रू करा रहे हैं । इसलिए जो शक है, शुबाह है, प्रिजम्प्सन है, उसके लिए अर्ज करूंगा कि इस बात को निकालना जरूरी होग । इस बात का न तो मेरे पास

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उत्तर है न इलाज है। मैंने विश्वास दिला दिया है, मैं जल्दी से जल्दी ये जो पांच हज़ार से ज्यादा की पंचायतें हैं इनको स्प्लिट अप करके चुनाव कराने की कोशिश करूंगा। इस मामले में किसी तरह के शक शुबाह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। सरकार के दिमाग में किसी को लाभ पहुँचाने की बात नहीं है। पहले जब किया था तब सब पंचायतों की मियाद बढ़ा दी थी। अगर आप यह कहते कि किसी पंचायत की नहीं बढ़ाई तो मैं एप्रिशियेट करता। अब हम टाइम चाहते हैं तो, वह टाइम सबके लिए बढ़ा देंगे और इसका भी कारण है कि हमें यह करना होगा क्योंकि जिस पंचायत की मियाद खत्म होने वाली है, अगर टाइम नहीं बढ़ायेंगे तो उसका फंक्शन बन्द हो जायगा। सबकी मियाद एक साल के लिये बढ़ा देंगे। उसमें यह हो सकता है, यह प्रोविज़ो हो सकता है कि जब इलेक्शन हो जायं, तो पंचायत की टर्म जल्दी खत्म हो जायगी। यानि एक डेफीनेट टाइम बढ़ा देंगे और जैसा म्युनिसिपैलिटीज़ में करते हैं, अगर पंचायतों के चुनाव जल्दी हो जायेंगे तो एक्सटेन्डेड टर्म है, वह जल्दी खत्म हो जायगी। मैं समझता हूं कि जो बात मैंने कही हैं, उसको समझ कर अब माननीय सदस्यों को किसी तरह का शक शुबाह नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarifiation, sir, पंचायतों की अवधि मैं समझता हूँ पौने पांच वर्ष में खत्म होगी, तो उसमें पंचायत किस प्रकार कार्य करेंगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई नहीं है जिसको ५ वर्ष हो गये हो।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर की पंचायतों में कई पंचायतें ऐसी हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५ वर्ष की नहीं है। चार वर्ष पूरे हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर में पहले उदयपुर पंचायत एक्ट था उसके अन्तर्गत जब नये चुनाव हुए तो उनको शामिल कर लिया गया। इन सारी बातों को लेकर माननीय मन्त्री कहते तो मैं समझता हूं कि वे ऐसी बात नहीं कहते। मैं समझता हूँ कि वहां की पंचायतों को ४॥ वर्ष से ऊपर हो गये हैं और पांच वर्ष भी हो गये होंगे इस कानून से उस बारे में किस प्रकार से कार्यवाही करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी है और मैंने कल ही देखा था तो मुझे मालूम हुआ कि कहीं कहीं चार वर्ष हो गये, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। वहां तो अक्टूबर ६० का रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक साल का होगा या ६ महीनों का।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं रिपोर्ट लेकर हाऊस के सामने उपस्थित करूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) बिल, १९५६ पारित किया गया।

१०.४१ म० पू०

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, ५७
(विचारार्थ लिया जाना)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह....

श्री उपाध्यक्ष : पहले मेरे सामने एक एमेन्डमेंट आया है।

That the Bill be again referred to the Select Committee.

मेरी क्या व्यवस्था है कि The notice of the amendment is not complete within Rule 121 of the Rules of Procedure. Besides the Chair has made observations that such a motion should be given in advance and that the House may be apprised of such amendment. So I don't accept it.

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बिल १९५७ हमारे सामने सिलेक्ट कमेटी के द्वारा संशोधित रूप में आया है इसमें बहुत सी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो इसके लैंगवेज में आती है जिस प्रकार की लैंग्वेज सिलेक्ट कमेटी ने अन्डरलाइन करके लिखी है उससे देखने से ऐसा लगता है कि इसमें काफी डिफरेन्स है। इसमें ऐसा दिखाई देता है कि इसको बनाने में दो कलमें लगी हैं। कई बातों में पुरानी लिखावट है वह इतनी खटकती है कि वह काफी संशोधन मांगती है। ऐसा लगता है कि सिलेक्ट कमेटी ने उसको पढ़ कर यों का यों छोड़ दिया है। कोई नई बातें मास्टरप्लान या ट्रेटमेंट ऑफ लेवी के सम्बन्ध में श्री लेकिन यहां पर जिस चीज़ को रखना चाहिये था नहीं आई है। उसी चीज़ को लाने का प्रयत्न नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बिल को विचारार्थ लिया जावे, इस बात पर बोल रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह चाहता हूं कि विचारार्थ लिये जाने से पहले इस पर पुनः विचार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : पुनः विचारार्थ लिया जावे....

श्री दयाकृष्ण विजय : I would now oppose it...

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो एमेंडमेंट है उस पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने उसे नामन्जूर किया है।

यद्यपि मैं एमेंडमेंट की तहत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन इसका विरोध करते हुए बता रहा हूं कि इतनी खामियें हैं कि इसको यहां रखने से पहले....

Page No.63

श्री उपाध्यक्ष : You can deal with this issue when the bill is taken clause by clause.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ में जो संशोधन आना चाहिये वे संशोधन क्लॉज बाई क्लॉज में नहीं आवेंगे। इसमें कई क्लॉज ऐसे हैं जो सेक्शन के साथ बढ़ाने चाहिए। मगर कोई इधर है और कोई उधर। जैसा बेटरमेंट पर लिया है जहां पर इसको रखा गया है उसको अगर पहले वाले ७ के साथ लिया जाता तो ज्यादा अच्छा था। पॉवर का क्लॉज़ जो आपके यहां ३ में है वहां चार में आना चाहिये। कई इस प्रकार की चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रस्ट का होगा वह ए० बी०सी०डी० जो भी होगा उसमें रखा जावेगा या चेन्जेज करेंगे उसमें कई ऐसे संशोधन आवेंगे। मैं समझता हूं कि अगर इसको एक बार फिर दुबारा देखा जाता तो अच्छा होता। इससे कई डिफेक्टस हैं वे दूर किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न हल हो चुका है उस पर यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : विचार हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे मैं यही कहूँगा कि आप विचार किये जाने के प्रश्न पर ही चलें।

श्री दयाकृष्ण विजय : विचार करते वक्त यह कहूंगा कि इस पर अभी विचार नहीं करके इसको थोड़े दिनों तक स्थगित किया जावे। मेरा इसमें विरोध है। जो चीजे इसमें रखी गई हैं वे नहीं आनी चाहिये। मेरा विचार यह है कि जो बिल प्रवर समिति से संशोधित होकर आया है उसमें सिलेक्ट कमेटी ने काम किया नहीं और जो संशोधन दिये हैं वे आपस में विरोधभाव से नज़र आते हैं अगर इसको दुबारा विचारार्थ लिया जावेगा तो विरोधाभाव मिट जावेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : On a point of order. The Hon'ble member is again confining his debate on the point which has been rejected by the Chair.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble member will look to the position of the Chair atleast.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप-मंत्री स्वायत्त शासन ने जो बिल पेश किया है प्रवर समिति के प्रतिवेदन और इसको जो विचारार्थ लिया गया है मैं उसके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। अच्छा होता उपाध्यक्ष महोदय कि इसका विरोध करने से पूर्व यदि इस बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय की ओर से स्वीकार कर ली जाती, लेकिन नहीं की गई। खैर। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे बोर्ड में, बिल में यदि इसको ठीक प्रकार से पढ़ा जावे तो यदि इसके एक चेप्टर को निकाल दिया जावे चेप्टर दो जिसमें न्यासों का गठन है, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनेगा उनके कॉन्स्टिट्यूशन का चेप्टर है यदि इसको निकाल दिया जावे तो ऐसा लगता है कि सरकार नगरों के सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह)

कुछ सुधार करना चाहती है। नगरों का किस प्रकार से डवेलपमेंट हो उसके लिये योजना बनाना चाहती है, योजना के अनुसार काम होकर शहर सुन्दर बने और इसके साथ साथ जो लोग शहर में आबाद होना चाहते हैं उनको ठीक तरह से ठीक स्थान पर और न्याय की दृष्टि से ज़मीन उपलब्ध हो जावे। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार इस कानून के द्वारा करना चाहती है। लेकिन इसका चेप्टर दो है उसको यदि इसमें इस रूप से देखा जावे तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार आम पब्लिक के नाम पर अपने लोगों को किस प्रकार से आबाद किया जावे, किस प्रकार से उनको सस्ती जमीनें दी जावे, किस प्रकार से अपने लोगों को आगे लाकर उनको अपने मकान सुन्दर और सस्ते बनाने का मौका दे, इस प्रकार की मंशा दिखाई देती है और यदि इस प्रकार की मंशा सरकार की है तब तो चेप्टर दो बिल्कुल वाजिब है और यदि इस प्रकार की मंशा सरकार की नहीं है तो वह चेप्टर दो बिल्कुल व्यर्थ है। इसके सब-क्लॉज़ (४) में आपने बताया है कि न्याय का गठन (१) न्यास में निम्नांकित व्यक्ति होंगे :

(क) सभापति,

(ख) प्राधिकारयुक्त म्युनिसिपल बोर्ड का सभापति,

(ग) उक्त बोर्ड का एक अन्य सदस्य तथा...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास जो बिल है उससे ऐसा पता चलता है कि वह सिलेक्ट कमेटी से अमेंडेड हुआ बिल नहीं है अमेन्डिंग जो बिल पेश हुआ है वह शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो मैं समझता हूँ, मेरे पास जो बिल है वह सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रतिवेदित बिल है और अंग्रेजी बिल का हिन्दी अनुवाद है। उसके हिन्दी अनुवाद के अन्दर पेज नं० ५ के ऊपर अध्याय दो में न्यासों का गठन लिखा हुआ है। उसमें बताया गया है कि न्यासों का गठन किस प्रकार होगा उसकी व्यवस्था दी हुई है। उसके नीचे मोटी लाइन खिंची हुई है उसके ऐसा मालूम होता है कि सिलेक्ट कमेटी ने इसे स्वीकार किया है। मुझे जो कापी मिली है वह हिन्दी अनुवाद है मेरी आंखें भूल नहीं करती है तो जो कुछ इसमें लिखा है वह मुझे दिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी आंखों पर विश्वास किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं ऐसा समझूं कि उप-मंत्री महोदय अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें चेयरमैन का जो क्लॉज़ है वह डिलीटेड है। चेयरमैन को हटा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सभापति के अलावा (ख) प्राधिकारयुक्त म्युनिसिपल बोर्ड का सभापति,

(ग) उक्त बोर्ड का एक अन्य सदस्य (घ) दो अन्य सदस्य नगरीय क्षेत्र में प्राधिकार रखने वाले म्युनिसिपल बोर्ड के दो सदस्य और (ङ) अन्य व्यक्ति जो संख्या में दो से कम और चार से अधिक न हों। मुझे कुछ समझ में नहीं आया आखिर यह गठन किस प्रकार से होगा। इसकी उपधारा दो में लिखा हुआ है।

Page No.65

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति और उपधारा (१) के खंड (घ) में निर्देशित व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, विज्ञप्ति के ज़रिये नियुक्त किये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि निवेदन किया यह धारा इस सारे बिल का कलेजा है । कलेजा ऐसा है जिस कलेजे के ऊपर यह मोहर लगी हुई है, कुछ व्यक्तियों के काम आयगी । ऐसा लिखा हुआ है कि इस कलेजा का उपयोग हर व्यक्ति कर सकेगा या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : कलेजे वाले ही कर सकेंगे ।

एक माननीय सदस्य : कलेजे पर आपकी ज्यादा नज़र जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : यह बात सही है कि कलेजे वाले ही करेंगे इसका उपयोग कलेजे वाले ही करेंगे लेकिन जिनके कलेजा नहीं होगा उनका क्या हाल होगा इस डर से कुछ संभावनायें बनती हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी बात बतलाइये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन यह कर रहा था कि अभी पिछले दिनों में राजस्थान नगरपालिका विधेयक हमने पास किया है उसमें हमने माननीय मन्त्री महोदय की काफी तारीफ की थी । मुझे याद है सदन ने माननीय मन्त्री महोदय के उस कदम की बहुत सराहना की थी जिसके द्वारा उन्होंने म्युनिसिपल बिल में नामज़दगी की प्रथा को समाप्त किया । उपाध्यक्ष महोदय, नामज़दगी के प्रश्न को लेकर वह बिल १९५४ से चलता हुआ अब जाकर १९५६ में पास हुआ है । इसके पास होने में जो कुछ समय लगा उसका खास कारण यही था । नगरपालिकाओं में जो नामज़दगी की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जाय और इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाय जिससे हम नामज़दगी के स्थान पर चुनाव की पद्धति को ज्यादा महत्व दें । इस सिद्धान्त को माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया । इसी सिद्धान्त को लेकर ५४ से ५६ तक झगड़ा रहा । उस झगड़े में मैं ऐसा समझता हूं माननीय मंत्री महोदय का इस बात की ओर काफी सहयोग रहा । नामज़दगी की प्रथा युग के अनुकूल नहीं है इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाय । परिवर्तन जो कुछ हुआ वह हालांकि सन्तोषजनक नहीं हुआ लेकिन जो कुछ परिवर्तन हुआ वह सदन ने मन्जूर किया और उसकी सराहना की । एक महिने पहले जिस नामजदगी प्रथा का हमने विरोध किया था और चुनाव की एक व्यवस्था दी । उस समय हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था कि नामजदगी की प्रथा अच्छी नहीं । वह आवाज मैं समझता हूं अभी तक सदन में गूंज रही होगी । उस आवाज़ के होते हुए भी हम इस बिल में दूसरी आवाज़ पैदा कर रहे हैं । नामज़दगी की प्रथा को जरूरी मान रहे हैं । नगरपालिका के काम में बंटवारा नहीं होता न बसाने का अधिकार होता है न अपील करने का अधिकार होता है उनका काम रद्द करने का अधिकार भी होता है । यहां कुछ ऐसा लगता है नगरपालिकाओं का काम केवल सफाई करने का होता है । जहां तक शहर की व्यवस्था करने का प्रश्न है वह काम अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का होगा ज़मीन के बांटने का काम इसके अधिकार में रहेगा ताकि वह अपने लोगों को ज़मीन दे सके । सुख सुविधायें पहुंचाने का काम नगर पालिका का

Page No.66

(श्री भैरोंसिंह)

होगा। अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण रहता है और उसमें सरकार के नोमीनेटेड आदमी रहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि ज़मीन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सरकार के भाई बेटे होंगे रूलिंग क्लास के जो लोग होंगे उनको जल्दी से जल्दी ज़मीन मिलेगी। यह बात कहने में संकोच नहीं कि जयपुर के अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को इस प्रकार के अधिकार थे। और अब ज़मीन को अलॉट करने के अधिकार हैं वह सब सरकार ने ले लिये। ज़मीन पर जहां अधिकार नगर पालिकाओं को मिला हुआ है वहां वे अधिकार सरकार ने छीन लिये। सरकार से जब पूछा गया प्रश्नोत्तर काल में तो उनकी तरफ से यह जवाब आया कि जितनी भी इसप्रकार की ज़मीन अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के हाथ में थी उन्होंने उसे देने में जनहित का दृष्टिकोण सामने नहीं रखा और केवल अपने लोगों को ज़मीन किस प्रकार से दी जाय इसी दृष्टिकोण को सामने रखा है और इसी कारण सरकार मज़बूर हुई है उनसे इस प्रकार के अधिकार छीनने के लिये। यहां यह सोचना पड़ेगा कि पहले जहां इस प्रकार का कानून था और अब जो कानून लाया गया है उन दोनों में क्या अन्तर है जिस अन्तर को लेकर आप यह विश्वास दिला सकें कि जो कुछ जयपुर के अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने जो कुछ किया है वह आयन्दा नहीं होगा।

इस कानून की पहली धारा को लेकर अन्तिम धारा तक देखा जाय तो पता चलेगा कि इसमें कहीं यह व्यवस्था नहीं है और जो व्यवस्था है वह नाममात्र की है। जिस व्यवस्था के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है जो कुछ गलतियां की गई हैं वह दुबारा नहीं होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां ज़मीन के बंटवारे का प्रश्न आता है राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेन्ट सिटीज़ हैं हर एक यह चाहता है उन सिटीज़ में बसा जाय। जयपुर नगर के अन्दर अगर किसी को ज़मीन मिल जाती है और वह भी सेकेट्रेरिएट के पीछे तो उसे बहुत अच्छा मानते हैं। यह क्यों चाहते हैं ? सेक्रेटेरिएट के पास सब प्रकार की सुविधा है, वहां ज़मीन मिल जाने से सेक्रेटेरिएट की प्रेक्टिस की, सब से पहली सुविधा है। कॉलेज, हास्पिटल्स आदि की सुविधा है। आवश्यक साधन और अच्छा वातावरण मिल जाने के कारण सब यह चाहते हैं कि सेक्रेटेरिएट के पास ज़मीन मिले। अब सरकार कहेगी कि ज़मीन के अन्दर किसी प्रकार का डिसक्रिमिनेशन नहीं होगा। सरकार को इस संबन्ध में एक प्रश्न पूछा था कि सरकार ने ज़मीन के प्लाट्स जितने अलॉट किये हैं उस अलॉटमेन्ट के अन्दर सन् ५५ और ५५ से पहले जिन्होंने भी दर्ख्वास्तें दीं उनको क्यों सुपरसीड किया गया। नई दर्ख्वास्तें किस आधार पर मन्जूर करके उनको प्लाट्स अलॉट किये। उसका सरकार की ओर से सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। जयपुर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में इस प्रकार की एक शिकायत नहीं कई लोगों ने सामूहिक रुप से दर्ख्वास्तें इस सदन के सामने प्रस्तुत की कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान के लिये प्लॉट मांगा था, उसके बाद की जिनकी दर्ख्वास्तें थीं उनको प्लॉट मिल गये। ऐसा भी हुआ है कि कईयों ने एक पहले दिन दर्ख्वास्तें दी और उनको दूसरे ही दिन अलॉटमेंन्ट हो गया और दर्ख्वास्तों पर एक साल पहले की डेट कर दी गई। यह काम जनता के चुने हुए लोग नहीं करते, सही प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं करते लेकिन वे व्यक्ति ऐसा काम करते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं जो सरकार द्वारा नोमीनेटेड होते हैं। जयपुर की राजधानी में जितनी भी जागीरदारों की ज़मीन है उन ज़मीनों के लिये मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि अगर माननीय मंत्री महोदय जांच कराना चाहें तो उनको पता लगेगा कि जितनी भी जागीरदारों की लम्बी चौड़ी ज़मीन थी उन सब के लिये इम्प्रूवमेंट बोर्ड से नोटिस दिया गया।

११ म० पू०

प्लान बनाई, और सरकार के सामने प्रस्तुत किया। सरकार ने इच्छा के अनुसार लैंड एक्वीज़ीशन का आॅर्डर दे दिया। कलेक्टर ने नोटिस इश्यू कर दिया। जागीरदार को पता लगा। उसने सोचा उसकी ज़मीन मुफ्त में जाने वाली है। उसने कोशिश करनी शुरू की। इम्प्रूवमेंट बोर्ड के मेम्बर से मिला। कलेक्टर के आॅफिसरों से मिला। कुछ खर्चा किया और ताज्जुब होगा आपको कि ५० परसेंट से अब, बल्कि ६० परसेंट लोगों के नोटिस, जो लैंड एक्वीज़ीशन के मातहत उनको मिले थे, वापिस ले लिये गये और उनको उनकी ज़मीन लौटा दी गई। सरकार कहे कि यह उसका लिबरल व्यू था। सरकार का व्यू कभी कभी लिबरल बनता है। इसके लिये चटनी मुरब्बा की आवश्यकता पड़ती है। जो लिबरल बनाना चाहें वह या तो प्रभाव लावे, किसी बड़े आदमी का दबाव लावें या किसी प्रकार का और कुछ करे। इन दोनों चीजों से सरकार का व्यू लिबरल बन जाता है। जागीरदार की ज़मीन रिलीज़ कर दी जाती है। जिसका एक लाख लिया जाता है उसको चार लाख में उठाता है और भेंट स्वरूप जो आवश्यक महसूस होता है, वह भेंट सरकार को उसके अफसरों को कर दी जाती है। माननीय मंत्री जी नाराज़ होंगे। उनका स्वभाव है। उनकी आदत नहीं है लेने की इसलिये नाराज होंगे। पर ऐसा लगता है कि किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहें तो मैं ऐसे जागीरदारों के नाम बता सकता हूं नोटिस की तारीख बता सकता हूं। नम्बर बता सकता हूँ। नोटिस का पर मतलब होता है, जागीरदार को डराना। उस पर दबाव डालना चाहते हैं, इसके जरिये कि तुम्हारी चार लाख की ज़मीन एक लाख में जाने वाली है। या तो इसको सरेन्डर करो नहीं तो डाली भेंट करो और फिर इसके बाद अपनी ज़मीन को रिलीज़ कराओ। इस प्रकार की व्यवस्था आज भी अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में चली जा रही है। यहां सदन में पूछे गये इसी सम्बन्ध के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि ऐसी ज़मीन रिलीज़ कर दी। जागीरदारों ने फिर उन के प्लाट अपनी मर्ज़ी से अलाॅट किये और अच्छी कीमत उठाई। मैं नहीं कहता उपाध्यक्ष महोदय, कि ज़मीन को रिलीज़ नहीं किया जावे। मैं यह भी नहीं कहता कि एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत नहीं लिया जावे। पर कहता हूँ दृष्टिकोण शुद्ध होना चाहिये। किसी को डराकर ढ़ील्ड कराने का सरकार का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, यह कोई इम्प्रूवमेंट का तरीका नहीं है, बल्कि बुरे तरीकों से पैसा कमाने का तरीका है, बुरे तरीकों से पैसा कमाने का दृष्टिकोण है। यह कहा जावेगा कि यह पैसा सरकारी खज़ाने में नहीं जाता, इसलिए सरकार का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। पर सरकार के नुमाइन्दों का दृष्टिकोण होता है कि कैसे पैसा कमावें। सरकार एक दृष्टिकोण सामने रखती है। सरकार कहती है कि सरकारी अधिकारियों को कम कीमत पर प्लाट देने की

Page No.68

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था की थी। मैं भी मानता हूं। आज के कुछ समय पहले सरकारी अधिकारियों के लिये कहा जाता है उनके साधन सीमित हैं और इस कारण पब्लिक ऑक्शन में ज़मीन खरीद नहीं सकते। सरकार ने कई बार इस दृष्टिकोण को अपनाया, इस नीति को अपनाया कि उनकी रेट्स तय करने के बाद में सरकारी अधिकारियों को प्लाट दिये जावें। पर ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी भी, जो उस इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं इसी फिक्र में रहते हैं कि अपने से उच्च अधिकारियों को किस प्रकार से खुश रक्खा जावे, उनको किस प्रकार से खुश किया जावे ताकि आगे तरक्की मिल सके और आर. ए. एस. के सिलेक्शन में आया जावे। आप मेरे इस कथन के सबूत में नक्शा देखें। जितने सिक्रेटरी वहां आये उन सबने अपने समय के उच्च अधिकारियों को, अपने इम्मीजिएट अफसरों को प्लॉट अलॉट किये हैं। वहां से जो भी सेक्रेटरी गया, उनका आर. ए. एस. में सिलेक्शन भी हुआ है। आज ऐसी स्थितियां हैं। जिनको अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का सेक्रेटरी बना कर कहा जा सकता है कि उनका दृष्टिकोण यह रहता है कि जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनके साधन सीमित हैं, एक फिक्स रेट पर प्लॉट दिये जावें, पर यह दृष्टिकोण उनका नहीं रहता। उनका दृष्टिकोण केवल यह रहता है कि अपने से उच्च इम्मीजिएट अधिकारियों को कैसे खुश रक्खा जावे। अब जूनियर लोगों को प्लाट मिलते हीं, यह असम्भव बात है। कोई प्रपोरशन निकलना चाहें तो निकाल कर देख लें। उस लिस्ट में से ७५ परसेन्ट या तो प्रभावशाली राजनैतिक नेता मिलेंगे या प्रभावशाली सरकारी अधिकारी होंगे। अब प्रश्न यह आवे कि हमें ज़मीन छोटे कर्मचारियों को देनी है। तो उनका रवैया रहता है कि उनको न दिया जाकर केवल उनको घुमाया जावे। कह देते हैं तुम्हारी दर्ख्वास्त समय पर नहीं आई। बोर्ड ने अभी उस पर विचार नहीं किया। तुम्हारी दर्ख्वास्त के लिये प्लॉट अलॉट किया जाने वाला था पर सरकार को अभी वह ज़मीन प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह से बीसों बहाने बनाकर उनको घुमाते हैं और हैरान करते हैं। अगर स्वायत्त शासन मन्त्री जी तैयार हों तो वे स्वयं उन कागज़ों को देखें और मेरी इस इत्तला की तस्दीक करें। अभी अभी प्लॉट अलॉट किये हैं। आप देखेंगे कि उनकी दर्ख्वास्तें समय पर नहीं आई थीं दूसरों की एप्लीकेशनों को सुपरसीड करके दिया गया और इसमें राजनैतिक और प्रभावशाली कारण कितने थे। कारण निकलेंगे पर एक जवाब मिलेगा जो बार बार बताया जाता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चैयरमैन एक प्रभावशाली व्यक्ति को बना रक्खा है। इसलिए कोई ऐसी गलती नही हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, बात बड़ी हीं सुन्दर लगती है। कहा भी जा सकता है और इस बात पर विश्वास करने को मज़बूर भी किया जा सकता है कि वे प्रभावशाली हैं, उनकी इन्टिग्रिटी में सन्देह नही किया जा सकता उनके शब्दों में। अगर उनको वहां बैठा दिया जावे तो क्या किसी प्रकार की खामी नजर आवेगी ? मैं ऐसा समझता हूं कि जो माननीय अध्यक्ष उसके आज बैठे हैं, वे राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन के भूतपूर्व चेयरमैन होने के नाते इन्टिग्रिटी के व्यक्ति हैं। आसानी से कोई

Page No.69

(श्री भैरोंसिंह)

भी आदमी मान सकता है कि जो पब्लिक सर्विस कमिशन के चेयरमैन हों और उनको अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जावे तो वह घटिया आदमी नहीं होगा। हो सकता है कि यदि क्लेरिकल मिस्टेक हो बोनाफाइडी मिस्टेक भी हो सकती है। पर यदि मैलाफाइडी मिस्टेक होती है तो क्या कहा जावेगा ? या तो यह कहा जावेगा कि डाउट करने का गुंजाइश अब बन गई है, पहले तो नहीं थी, या यह कहा जावेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। पीछे के लोग जैसा कहते हैं वैसे अलॉट कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड आइन्दा से ज़मीन अलॉट नहीं करेगी, अलॉटमेन्ट शब्द प्रयोग किया गया। ज़मीन के जितने कागज़ात पेन्डिग में हैं या जिनको हमने एक्चुअली ज़मीन अलॉट नहीं कर दी है वह सारी की सारी ज़मीन सरकार के अधिकार में होगी और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड उसको अलॉट नहीं कर सकेगा ? पर हुआ क्या ? जो ऑर्डर सेक्रेटेरियट में टाइप होता है, सम्बन्धित विभाग से दो पहले सूचना पहुँचाती है कि इस प्रकार का ऑर्डर आने वाला है। जो तैयारी और काम काज करना है करो। लगातार बैठकें होती हैं, किसी को फुरसत बैठक में आने की मिलती है या नहीं, इसकी चिन्ता नहीं। एप्लीकेशनों की छंटाई होती है। जिस जिस खास आदमी को ओब्लाइज करना होता है, उनके नाम के आगे मार्क लगाया जाता है और प्लाट अलॉट कर दिया जाता है। प्लाट अलॉट एक्चुअल नहीं होता है। मिनिट्स भी उसके तैयार नहीं होते हैं और इसी बीच सरकार का आदेश पहुँचता है। अब सरकार की मन्शा थी कि अलॉटमेंट रोको। पर अनियमिततायें होती हैं। सरकार ने अलॉटमेंट की स्थिति भी साफ कर दी थी कि जिनको पजेशन नहीं दिया गया उनको भी रोका जावे। सरकार का ऑर्डर आ गया पर इसके बाद भी जमीनों का अलॉटमेंट हुआ। और मुझे तो यहां तक जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मिनिट्स बाद में बनते हैं और अपने ओब्लाइज़ करने वाले लोगों को उनको लिस्ट बनाकर प्लाट अलॉट किये गये। यह सारी कार्यवाहियां कौन करता है ? यदि इसके लिये कहा जावे कि वह नोमीनेटेड बोर्ड है, माननीय मन्त्रीजी भी कह सकते हैं उनकी गलती इसमें नहीं है। हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह इलेक्टेड हैं। इस नाते इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। जनता का राज है। जनता जिस प्रकार तरह कार्यवाही करना चाहे कर सकती है। पर जब नोमीनेटेड बोर्ड में भी वही लोग आते हैं जो स्पष्ट शब्दों में कहूं, अनपार्लियामेन्टरी शब्द होगा इसमें सन्देह नहीं, पर अगर अनपार्लियामेंटरी नहीं है तो मैं कहूं कि वह शब्द बिल्कुल ऐसा है कि सरकार के जो पिट्ठु हैं, अब सरकार के पिट्ठुओं को लिया जावे और उनसे यह अपेक्षा की जावे कि वह न्याय प्रदान करेंगे, उनसे यह अपेक्षा की जावे कि सरकार जिन लोगों के ऊपर मेहरबानी करती है, उनको ज़मीन न दी जावे ? बल्कि न्याय के आधार पर सबको नियमानुसार दी जावे। यह वे नहीं कर सकते। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के वर्तमान सेक्रेटरी की जांच की जावे कि कितने प्लाट उन्होंने लिये हैं अलॉटमेंट के जरिये से ! एक जागीरदार की जमीन रिज़ीज हुई उसमें से एक हिस्सा ले लिया। लिया होगा अपने

Page No.70

(श्री भैरोंसिंह)

बेठे बहू के नाम पर। एक परिवार के नाम से बेटा भाई, बहू पत्नी, तीनों के नाम पर लेते हैं और पजेशन किसी दूसरे का होता है और मकान बनाता है रामनारायण। जमीन का अलॉटमेंट किसी का और मकान बन रहा है किसी और के नाम से। तो यह तो स्लिप हो जाता है। इस प्रकार की मिली भगत की कार्यवाहियां चलती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। इसी कारण आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, कि हमें इस 'नाम जदगी' के नाम से नफरत हो गई है। नोमीनेशन के नाम से इतनी नफरत पैदा हो गई है कि इनसे किसी को न्याय मिल सके ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिये। सरकार ने बोर्ड बनाया। इसमें सरकार के नोमीनेटेड मेम्बर होंगे वे चाहेंगे उस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। मैंने पहले भी संकेत किया था कि इसमें इस बात की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती जिसके आधार पर कहा जा सके कि पहले की कार्यवाही में और इसमें कितना अन्तर आ गया है जिसको लेकर ये सारी बातें रक्खी जावेंगी। सरकारी अधिकारियों को अगर देखें, अपनी एक मनोवृत्ति लेकर वे आते हैं, उनका दृष्टिकोण होता है अपने से उच्च अधिकारियों को इम्मीडिएट अफसरों को खुश करने का और अपना स्वार्थ साधने का। अगर सरकार की मर्जी के आदमी आते हैं तो सरकार के मर्जी दारों को देने का उनका दृष्टिकोण होता है। बाकी की जनता का क्या हाल होता होगा...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार तो जनता की है, इसमें सरकार के अकेले मर्जीदार होने का कोई प्रश्न नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : यह कहना बहुत सरल है। सुन्दर भी है। और माननीय उप मन्त्री जी कोई बात कहते हैं तो और भी सुन्दरता उसमें आती है कि सरकार जनता की है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है पंचायतें है और इनमें जो भी चुनावों की आपने व्यवस्था कर रक्खी है वह भी नाहक में आपने बला मोल ले रक्खी है। उनको भी खत्म कर दो फिर आप। जनता सरकार को चुनती है और सरकार इसमें नोमीनेट कर दे, जनता की चुनी हुई सरकार द्वारा चुने हुए लोगों का नोमीनेशन का मतलब भी चुनाव ही है। एक बार आप ऐसा कर दीजिये। आपकी जितनी कठिनाइयां है सब दूर हो जावेंगी। फिर आप मन मानी कीजियेगा। और यदि यह यहां नहीं तो पार्लियामेंट में बिल पास करवा लीजिये, प्रधान मंत्री चाहें तो लेजिस्लेचर्स को नोमिनेट कर सकते हैं, उनको नामजद कर सकते हैं तो आपके यहां विरोध करने का सवाल ही पैदा न हो। लेकिन व्यवस्था है आज प्रजातन्त्र की। जनता की सरकार हो यह व्यवस्था है। कुछ दिन पहले हमने स्वीकार किया था, उस दिन आप नहीं थे, अगर आप होते तो रोड़ा अटकाते, नामज़दगी प्रथा नगरपालिका के सम्बन्ध में अस्वीकार की थी। सरकार उसको चालू नहीं कर सकती और इसलिए नहीं कर सकती कि यह प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध है। उसी प्रसंग को लेकर मैं कहूंगा कि सरकार को नामज़दगी प्रथा नहीं रखनी चाहिये। अर्बन इम्प्रूवमेंट का काम यह है कि कुछ टैक्निकल पर्सन्स चुनाव में नहीं आ सकते हैं, उनको ले सकें। कोई डॉक्टर है, इन्जीनियर है, हो सकता है जो चुनाव में लड़ा नहीं हुआ हो लेकिन उनकी राय महत्वपूर्ण

(श्री भैरोंसिंह)

है उनको कैसे इस प्रकार के बोर्ड्स में लिया जाना है। उसके दो तरीके हैं। सरकार एक पीनल दे। बोर्ड उसमें से चाहे जिसको नियुक्त करे। इसी प्रकार सरकार डॉक्टर्स का पीनल दे, इन्जीनियरर्स का सरकार एक पीनल दे। यदि टैक्निकल पर्सन्स को लेना है, टैक्निकल एक्सपर्ट्स को लेना है, उनका सिलेक्शन करना है तो बोर्ड को सरकार एक पीनल दे।

अब प्रश्न आता है कि बोर्ड किस प्रकार बनेगा ? इसमें नगरपालिका और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड दो अलग अलग से व्यवस्थायें हैं। एक जगह नगरपालिका का क्षेत्र है तो एक तरफ अर्बन इम्प्रूवमेंट का क्षेत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि नगर के ऊपर दोहरा अधिकार है। एक नगर में डवेलपमेन्ट के नाम पर दोहरी शक्तियां काम करेंगी। जयपुर शहर में कई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक सड़क जा रही है। उसमें अर्बन इम्प्रूवमेंट का क्षेत्र और उसके बीच में नगरपालिका की सड़क है, क्षेत्र है, उसका मेन्टीनेन्स कैसे रहेगा। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड कहेगा कि यह नगरपालिका का क्षेत्र है। इसलिए उससे उसका सम्बन्ध नही नगरपालिका कहेगी कि सारा ट्रान्सपोर्ट इधर होकर जायगा इसलिए इस पर अर्बन इम्प्रूवमेंट का सम्बन्ध है और वही उसके लिए जिम्मेदार है। दोनों में आपस में इस प्रकार की स्थिति रहेगी। उसका परिणाम क्या हो सकता है ? परिणाम हो सकता है केवल यही कि उस क्षेत्र का विकास अवरूद्ध रहेगा। इसलिए इसके इस फेक्टर पर भी विचार करें कि इस प्रकार का दोहरा प्रशासन नगर के लिए रखें तो वह कितना प्रभावशाली होगा, कितना उपयुक्त होगा ? नगरपालिका चुनी हुई होती है। उसकी कमेटियां भी बनी हुई होती है उसके लिए यह व्यवस्था की है कि वह उनमें एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को कोऑप्ट कर सकती है, हैल्थ ऑफिसर को कोऑप्ट कर सकती है, टैक्निकल एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट कर सकती है, चुने हुए हों इस बात की आवश्यकता नहीं है, इलेक्शन में खड़े हुए हों इसकी आवश्यकता नहीं है, जिस व्यक्ति को चाहे बोर्ड कोऑप्ट कर सकता है। जो टैक्निकल अनुभव उनको चाहिये वह इसमें मिलता रहता है और इसी आधार पर कार्यवाही आगे चलती रहती है। लेकिन अलग से बोर्ड का गठन किया है। अब यह कहा जाय कि चूंकि नगरपालिका में काफी काम रहता है, उसकी दैनिक चर्या इतनी भारी रहती है और इतनी भारी चर्या रहती है जिस कारण उनके पास समय नहीं रहता है और इससे जो विकास शहर का होना चाहिये वह नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले मैं उदयपुर गया था, उदयपुर चार पांच वर्षों में मुझे जाने आने का मौका मिला है। मुझे ताज्जुब होता है, मैं कोई शिकायत नहीं करता हूं कि उदयपुर के साथ पक्षपात किया जाता है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि वहां जो विकास हुआ है उसको देख कर दूसरे शहरों को प्रेरणा मिलता है कि किसी प्रकार शहरों का विकास किया जा सकता है। उस विकास में कोई यह कहे कि यह नगरपालिका का काम नहीं है, मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या यह संभव लगता है कि यह काम कोर्पोरेशन ने किया न हो ? यह संभव नहीं लगता है। आज से चार वर्ष पहले का उदयपुर शहर

(श्री भैरोंसिंह)

का नक्शा उठा कर देख लीजिये और आज के नक्शे को उठा कर देख लीजिये, सड़कों को लोग भूल जावेंगे । रास्ते आम मिलेंगे । कोर्पोरेशन द्वारा की गई व्यवस्था को देखा है । वहां इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था नहीं है । यदि इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था को लागू कर दें तो वहां भी कशमकश शुरू हो जायगी । उदाहरण उदयपुर का इसलिए देता हूँ कि एक व्यवस्था होने से कैसे काम होता है । जयपुर के लिए यह कहा जाय कि यहां पर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड भी रहे और नगरपालिका भी रहे । ये दोनों बिना अलग अलग रहें इस प्रकार काम नहीं चला सकेंगे, मुझे यह स्वीकार नहीं लगता है । आप स्पष्ट बात कहें कि इलेक्शन द्वारा नगरपालिका के लोग आते हैं इसलिए वे विकास का काम नहीं करा सकेंगे और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड चूंकि सरकार द्वारा नोमीनेटेड होता है वह काम करा सकता है । क्या यही मकसद सरकार का है ? सरकार को कार्य रूप में परिणत कराने की आवश्यकता क्यों हुई ? सरकार को क्यों विकास के नाम पर इसकी आवश्यकता हुई ? जयपुर में कई जगह बिल्डिंग्स बनती हैं, ज़मीनों का अलॉटमेंट होता है, नई नई नगरियां बसाई जाती हैं, कई स्कीमें हमारे पास पड़ी हैं. जालपुरा में कोई ज़मीन की दर्ख्वास्त देता है तो उसको तो नहीं मिल सकती और दूसरी पार्टी का करता है तो उसको मिल जाती है । हमारे सामने कई दर्ख्वास्तें आती हैं । कोई नोमिनेटेड बोर्ड बनेगा तो इससे जबरदस्त नुकसान होगा । अब यह कहा जाय कि यदि अर्बन इम्प्रूवबोर्ड नहीं होगा तो विकास का बाकी काम कैसे होगा ? यदि हमको अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाना है तो इलेक्टेड बोर्ड बनाना होगा । कितनी ही व्यवस्था करनी पड़े, इलेक्शन हुआ उसमें जितनी इलेक्टेड बोडीज़ हैं उसमें रिप्रेजेन्टेशन दे सकते हे । म्युनिसिपैलिटी रिप्रेजेन्टेशन दे सकती है, वह जो छोटी मोटी यूनिट्स हैं उनको रिप्रेजेन्टेशन दे सकता है । यदि उनको नहीं देना चाहते हैं तो नगरपालिका की एक समिति को, चुनी हुई है, जो मेम्बर्स चुन कर आये हैं उनको अधिकार देना पड़ेगा जो अर्बन इम्प्रूवमेंट को देते हैं । अब यह कहा जाय कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का अध्यक्ष होगा, या चैयरमैन होगा । उसमें टैक्निकल पर्सन्स नहीं आवेंगे इसलिए ऐसा किया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए मैंने पहले निवेदन किया था कि सरकार पीनल दे । जो भी बोर्ड सरकार द्वारा नामजद हो कर व्यवस्था करता है उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ईमानदारी से काम करेगा । नामज़दी के लिए सरकार का कृपा पात्र होना एक विशेष क्वालिफिकेशन है और जब तक क्वालिफिकेशन प्राप्त नहीं कर लेता वह बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकेगा ।

हमारे यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कई बार कहा करते हैं कि राजस्थान में कुछ कॉस्मोपोलीटन पर्सनेलीटीज़ डवेलप हुई हैं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री भैरोंसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि इसके लिए जो एक विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी वह होगी सरकार का कृपापात्र होने की ।

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)

कोई भी हम चुनाव करायें, कहीं भी नामज़-दगी करें उसके लिए हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। एक मेम्बर की क्वालिफि-केशन्स क्या क्या होंगी उसके हम कुछ व्यवस्था निर्धारित करते हैं। सरपंच कौन बनेगा ? पंच कौन बनेगा ? सरपंच कितना पढ़ा लिखा होगा ? नगरपालिका का सदस्य पढ़ा लिखा होगा या नहीं, मेम्बर की कितनी उम्र होगी ? वह वहां का रेज़ीडेन्ट होगा या नहीं ? वह वहां का रहने वाला है या नहीं ? इन सब बातों को देखकर हम कुछ क्वालिफि-केशन्स प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन इस कानून के अन्तर्गत शुरू से अन्त तक यदि इसको देख लिया जाये तो मालूम होगा कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन्स होंगी, इसके लिए कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है। क्वालिफिकेशन्स कोई भी हो सकती हैं। उसको सरकार चाहेगी उसको नियुक्त कर देगी। सरकारी ऑफिसर हो तो भी सदस्य हो सकता है, जनता का आदमी भी हो सकता है। अगर किसी के खिलाफ शिकायतें हैं और जेल भुगता हुआ है तो भी हो सकता है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग) : इसमें जेल वालों का प्रावधान रखा है कि जो जेल गया हुआ हो, वह नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह सब कुछ रखा है लेकिन इसको रखने के साथ इसे इसलिए रखा है कि लोगों को बता दिया जाये कि हमने कुछ व्यवस्था की है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक राइडिंग क्लॉज़ भी इसमें रखा है कि यदि सरकार किसी को मुक्त करना चाहे तो कर सकती है। अब उपाध्यक्ष महो-दय, मुक्ति का जो सवाल पैदा हुआ है और माननीय मन्त्री जी जब मेरे सामने होते हैं तो मुझे जब कतरें प्रोफेसर की बात याद आती है। सरकार ने उसको दण्ड दिया। ऐसे आदमी जो सज़ायाफ्ता हों या दण्ड पाये हुए हों उनको री-अपॉइन्ट नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट का फैसला हो गया और हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी माननीय मन्त्री महोदय ने उसको री-अपॉइन्ट कर लिया। तो इसमें से वह दण्ड का प्रावधान गायब हो गया। मैं यह नहीं कहता कि वह प्रावधान माननीय मंत्री ने गायब किया। हो सकता है कि लॉ डिपार्टमेंट ने ऐसा किया हो। तो जब इस प्रकार का मुक्त करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ही लेती है तो उस मुक्ति में जो बाकी की क्वालिफिकेशन्स हमने प्रेस्क्राइब की हैं, उस प्रकार की क्वालिफिकेशन्स इसमें नहीं हैं बल्कि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं। यदि सरकार लेना चाहेगी तो ले ले। और मैं समझता हूं कि सरकार ने एक लिस्ट बना रखी होगी कि आजकल हमारा जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार हमें किस आदमी को खुश करने के लिए अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का सदस्य बनाना है और उसके लिए शायद जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को, सदस्य बना दिया जावे तो वह खुश होंगे। मेरे ख्याल से वह कभी खुश नहीं होंगे। लेकिन इस बात का सरकार की ओर से प्रयास किया जा सकता है। सरकार एक स्थिति सामने रख सकती है जो कि दूसरों के लिए अट्रैक्टिव हो और उसका सरकार फायदा उठा सकती है। मैं सारी स्थिति को लेकर उपाध्यक्ष महोदय आगे के प्रश्नों के ऊपर जब क्लॉज बाई क्लॉज इसका रीडिंग होगा

Page No.74

(श्री भैरोंसिंह)

उस समय कुछ अर्ज करूंगा। लेकिन इसमें सबसे मोटी बात जो मेरे सामने आई है, जिसको मैं सबसे ज्यादा आब्जेक्शनल समझता हूं और जिस बात को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने भी ऑब्जेक्शनेबल समझा है यह फिर भी उसका रिपीटीशन हो रहा है। वह रिपीटीशन जनता के लिए फायदेमन्द नहीं है। उस रिपीटीशन से अपने लोगों की कुनबापरस्ती होगी और उससे साधारण जनता को कोई लाभ नहीं होगा। सारी नगरपालिकाओं के अधिकार छीनकर हमने इस बात को साबित किया है कि जो इस प्रकार का नोमीनेशन का अधिकार देकर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बनाया था, उसी चीज को हम फिर रिपीट कर रहे हैं। अनुभव के आधार पर यदि किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें तो वह अच्छा होगा। सदन में जिस प्रकार का वातावरण नामज़दगी के विरोध में बनता जा रहा है उसके बनाने में हम सहयोग देंगे। राजनैतिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उन्हें दूर करना चाहें तो इलेक्शन्स में इस प्रकार की कन्डीशन्स रख दें जिससे उनकी इच्छा की पूर्ति हो सके यदि उस अंश तक मैं भी उनकी बातों को कनसीड करूं तो वह बात होने वाली नहीं है। तो जो नोमीनेशन की चीज रखी है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ और इसी आधार पर मैं कहता हूँ कि इस बिल को विचारार्थ ही नहीं लिया जाये और इसे ड्राप कर दिया जाये। यदि आप फिर भी इसे ड्राप करने के लिए तैयार नहीं हैं तो इस सारे बिल को सलेक्ट कमेटी के सामने दुबारा रेफर कर दिया जाये तो इस नोमीनेशन के पॉइन्ट पर फिर से विचार किया जा सकता है, अन्यथा मैं इस बिल का तो विरोध करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ लेने को है उस पर इस समय मोशन मूव करना अलाऊ है या नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : Which sort of motion ?

श्री श्रीभानसिंह : For recomm'tia to the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : I have alre1dy given my decision that no Hon'ble member can move motion for the recommittal.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : But the Rules permit it. Anytime an Hon'ble Member can put a motion.

श्री उपाध्यक्ष : Exactly the same sort of amendment, was put before me by Shri Dava Krishan Vijay. I have already given my decision that the amendment was not complete within Rule 121, of the Rules of procedure and my observations were based upon the rulings of this Chair which were given from time to time.

श्री श्रीभानसिंह : सदन में पहले तो ऐसी रूलिंग नहीं हुई थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मोशन मूव नहीं किया जाये। उसके लिए नोटिस की जरूरत है। रूल्स ऑफ प्रोसीज़र में ऐसा नहीं है कि सलेक्ट कमेटी के मोशन के लिए नोटिस दिया जाये। क्योंकि सलेक्ट कमेटी के रेफरेन्स का मोशन तभी हो सकता है जब कि हाउस के सामने यह मोशन हो that the Bill be taken in

Page No.75

(श्री श्रीमानसिंह)

to consideration. जब यह मोशन हो सकता है तो फिर उसमें यह है that the Bill be referred to the Sleect Committee. तो यह कैसे एन्टीसीपेट कर सकते हैं कि आज यह मोशन होगा और पहले से ही मोशन दे दे that the Bill be sent to the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : This is just an amendment which should come with previous notice.

श्री श्रीमानसिंह : It is a motion for referring it to the Select-Committee.

श्री उपाध्यक्ष : It is an amendment to the Motion.

श्री श्रीमानसिंह : Even if we take it as an amendment, but when the amendment has not been moved in the House, Hon'ble member is expected to bring an anticiptory amendment which is not before the House.

श्री उपाध्यक्ष : Well I have givin my dicision over the issue.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Ofcourse, the chair has given the decision, but I hope this should not be made a precedent for ever.

श्री पी० के० चौधरी : ६६ ।

श्री अर्जुनदास : Because as the Rules...

श्री पी० के० चौधरी : "Discussion of principle of Bill-On the day on which any of the motions referred to in Rule 98 is made or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principles—

(2) At this stage no amendment to the Bill may be moved, but (a) if the member-in-charge moves that his Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee or be circulated for the..."

श्री उपाध्यक्ष : Rule 121-Motion may be moved but the motion of amendment is subject to Rule 99 which requires a separate motion.

श्री पी० के० चौधरी : That is Rule 99 That is for amendments but for the Select Committee Rule 99 is specific for it.

श्री उपाध्यक्ष : If notice of an amendment has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved;

श्री पी० के० चौधरी : That is for amendment to the Clauses etc. But

(श्री पी. के. चौधरी)

for reference to the Select Committee, it is Rule 99.

श्री उपाध्यक्ष : I have noted. Rule 211-Following motions may be moved if the Speaker permits without notice: Motion for withdrawal...

श्री अर्जुनदास : I think under Rule 99 sub-clause 2, the position is awfully clear.

श्री उपाध्यक्ष : I may invite your attention to Rule 211. These are the exceptions to the general Rule. Motion without notice- so the present motion does not come within 211.

श्री पी. के. चौधरी : His motion is covered by Rule 99 if you kindly see Rule 99 sub-rule 2.

श्री उपाध्यक्ष : I have submitted that it should be moved but subject to the notice and if notice is not given then the Rnle is clear.

श्री पी. के. चौधरी : My interpretation is that Rule 99 is not subject to notice.

श्री अर्जुनदास : Rule 99 specifically covers the matter like this and whenever we have got specific provision, we cannot over look the general provisions and the general provisions are covered by Rule 99, sub-rule 2 atleast makes it abundantly clear. I submit this Sir supposing the Hon'ble Member in charge of the Bill does not make any motion that the Bill be taken into consideration then we have no right to move it. The right to move that this be sent or be sent back to the Select Committee arises, only after the motion has been actually made by the Hon'ble member-in-charge of the Bill. If we look to Rule 99, sub-rule (2) Sir.

श्री पी. के. चौधरी : That is about the discretion of the House. Sometimes there are some other Bill not this U. I. B. Other Bill have also been notified that they will be taken into consideration like this, like weights and Measures Bill and on Saturday we got a notice that U. I. B. Bill will be taken so that is implied that simply notification in the circular that the Bill will be taken for consideration on a particular date it is not necessary that will be taken. It would be apparent from the case of the Rule of Procedure that they will be taken into consideration but it was never taken. So this Rule 99 is specifically meant for the position after the motion is made.

श्री उपाध्यक्ष : You may correct your self. I think it was given on 8th.

श्री पी० के० चौधरी : I am not going to give the dates or the time limit but what I meant is that so many times notices are issued that so and so Bill will be taken into consideration. On 7, 8th and 9th these will be taken but it may happen that

Page No.77

(श्री पी. के. चौधरी)

the consideration of the Bill is not taken on that date and some other Bill is taken. So it is implied that only the notice for motion for Select Committee can be made...

श्री उपाध्यक्ष : I understood the point. I feel to relax the Rules.

श्री अर्जुनदास : So far as the present--todays' position is concerned we might be governed...

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Shri Shri bhanSingh.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन, पॉवर्स और फाइनेन्सेज़ का प्रश्न है तो पहले ही यह जब हाउस में इन्ट्रोड्यूस हुआ था तब से मैं इसी विचारधारा का था कि इस बिल की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, या इसके पॉवर्स हैं या फन्कशन्स हैं या फानेन्सेज़ हैं वे सब के सब ऐसे हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी के हैं। जब कि फन्क्शन्स और कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनेन्सेज़ म्युनिसिपैलिटीज़ के हैं तो हमको एक दूसरे बिल की ज़रूरत नहीं है।

देखा जाय तो जब से भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिली है और हमने एक समाजवाद का नारा लगाया है तब से कम से कम मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कि कानूनों से परेशान हैं। शायद हमारे यहां इन्डस्ट्रीज़ का प्रोड्क्शन नहीं बढ़ा है, एग्रीकलचर का प्रोड्क्शन नहीं बढ़ा है, मगर स्वतन्त्रता के बाद जब से विधान सभाएं कायम हुई हैं तब से लेजिस्लेशन का प्रोड्क्शन जितना बढ़ा है उतना शायद इन ७, ८ सालों के अन्दर किसी भी जनतन्त्रीय देश के अन्दर इतना लेजिस्लेशन नहीं हुआ होगा जितना कि भारतवर्ष में लेजिस्लेशन हुआ है। इन्डिविजुअल्स को, एक व्यक्ति को, कम से कम यह जो एक कानून का जो जाल बिछा है उसके समझने में एक बहुत दिक्कत पड़ती है। बहुत से पढ़े लिखे आदमी है, व्यक्ति हैं उनका भी हमारे भारतवर्ष के कानून या स्टेटों के अन्दर कानून एमेंडमेंट टैन्थ, एमेंडमेंट ट्वेन्टीअथ जो कानून बन रहे हैं, उनके समझने और उनकी अप टूडेट नॉलेज में रखना एक मुमकिन बात नहीं है। जब हम इन्सानों के लिए और मनुष्यों के लिए कानून बना रहे हैं, और उसी बात को पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग समझते नहीं हैं, तो मैं नहीं समझता कि कानूनों का जो फलड हमने जनतन्त्र के अन्दर शुरू कर दिया है उसको हम क्यों नहीं रोकते हैं ? हम अपने लेजिस्लेशन के प्रोड्क्शन को कम से कम रोकें, और इस लेजिस्लेटिव प्रोड्क्शन के साथ साथ में आज जो यह हो रहा है कि नई नई मशीनरी क्रियेट हो रही है, नये नये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स क्रियेट होते जा रहे हैं, और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि जनता से यह कहा जाता है कि कर आपकी अन्छाई के लिए लगा रहे हैं, कर आपकी युटीलिटी के लिए लगाये जा रहे हैं, मगर जनता देखती है कि कर किस युटीलिटी के लिए लगा रहे हैं। वह बैटरमेंट लेवी लगायेंगे, जो फीस व टैक्सेज़ कलेक्ट किये जायेंगे वह किस के लिए कलेक्ट किये जायेंगे वह किसके लिए कलेक्ट किए जायेंगे ! महज़ इसलिए कि जयपुर, बीकानेर,

(श्री श्रीमानसिंह)

उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, इन ५, ६ शहरों के अन्दर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड सिवाय इन ६ जगहों के मैं समझता हूं कि राजस्थान में और यहीं अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम करने की ज़रूरत नहीं है। और केवल ५, ६ जगह कायम किये जाते हैं तो क्लियर यह प्रूफ है कि ऐसे बिल जो कि ५, ६ जगहों के लिए ही ट्रस्ट कामय करता है, मैं समझता हूं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। और जब यह कायम है पांच ज़गह और उसके लिए स्पेशल कॉन्ट्रियूशन जनता को देना पड़े, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम हो तो मैं नहीं समझता कि इन पांच ज़गह की जनता के लिए, क्या इम्प्रूवमेंट इतना हासिल हो रहा है कि जिसके कारण बैटरमेंट फीस या और टैक्सेज़ के रूप में कॉन्ट्रिब्यूट करें तो पहला प्रश्न यह था कि इस बिल के सदन में आने की अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं थी, दूसरी बात यह कि जो अगर बिल आवे तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें तो उसमें ऐसा है कि जब तक २ म्युनिसिपल मेम्बर न हो तब तक यह बोर्ड या ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये दो म्युनिसिपल मेम्बर्स जो अगर अर्बन इम्प्रूवमेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि वे इन फंक्शन्स को म्युनिसिपल बोर्ड में एफिशियेन्टली क्यों नहीं डिसचार्ज करा सकते। इसमें हम एक या दो व्यक्तियों को नोमिनेट करेंगे। यह कहा जा सकता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट का एक स्पेशल या स्पेशलाइज्ड़ फंकशन है और इस स्पेशलाइज्ड फंकशन को डिसचार्ज करने के लिए स्पेशलाइज्ड या क्वालिफाइड पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। मगर इसमें जो अगर इस बात का उल्लेख होता है कि क्वालिफाइड या स्पेशलाइज्ड आदमी हम नोमिनेट करेंगे तब तो मैं यह मानता की अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का वर्क जो है, वह स्पेशलाइज्ड वर्क है और स्पेशलाइज्ड एजेन्सी के थ्रू ही केरी आउट किया जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी सूचना है राजस्थान में शायद टाउन प्लानिंग का एक ही व्यक्ति दिखता है तो जो अगर हमने इस बिल को इम्पलीमेंट किया तो हमारे पास टाउन प्लानिंग के लिये कोई व्यक्ति नहीं है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में जो अगर हम एक नॉन ऑफिशियल या नॉनस्पेशिलाइज्ड एजेन्सी को रखेंगे तो जो टैक्निकल आस्पेक्ट है उसको नॉन ऑफिशियल्स भूल जायेंगे, उनकी नज़र में नहीं रहेगा और जब वे जानते नहीं तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से टाउन्स को इम्प्रूव करेंगे या स्कीम को एग्ज़ीक्यूट किस प्रकार से, स्पेशलाइज्ड मेनर से किया जा सकता है।

फिर आगे हम यह मानकर चलें कि इस बोर्ड का पुनर्गठन हो जायगा आगे हम देखते हैं तो टर्म रखा तीन साल का। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे क्या रीजन है, तीन साल का टर्म क्यों रखा है। वैसे देखा जाय तो आजकल जितने नेशन्स है खास कर भारतवर्ष में, पंचवर्षीय योजना काल है। मैं नहीं समझता कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का तीन वर्ष का कार्यकाल रहेगा और स्कीम शायद ३ वर्ष के लिए बनायेगा। मगर हम देखें कि एक प्लानिंग के लिये रीज़नेबल पीरियड कितना है। बोर्ड का आर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वे अपनी स्कीम को फ्रेम करेंगे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फोर एप्रूवल भेजेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का एप्रवल आयेगा

(श्री श्रीमानसिंह)

फिर एग्जीक्यूशन ऑफ दि स्कीम होगा तो निश्चय ही यह मानकर चलें कि कि ज्यादा नहीं तो कम से कम इस प्रिपेरेशन और एप्रूवल आने में कम से कम साल भर लगेगा यह तो मिनिमम कार्यवाही रहती है। साल भर के बाद स्कीम को एग्ज़ीक्यूट करने के लिये बोर्ड के पास २ साल रह जाते हैं। क्या एक टाउन प्लानिंग, टाउन इम्प्रूवमेन्ट, रोड कंस्ट्रक्शन आदि जितने उस बोर्ड के फंकशान्स हैं वे सब २ साल में पूरे हो सकते हैं ? यदि २ साल में मुकम्मिल नहीं कर सकते तो निश्चय ही वह दूसरे बोर्ड पर जायगा कि वह पिछले बोर्ड की लाइबलिटीज़ को एग्ज़ीक्यूट करे या फ्रेश स्कीम्स बनावे। इसलिये कम से कम एक बोर्ड का टर्म इतना होना चाहिये कि वह जो स्कीम बनावे उनको एग्ज़ीक्यूट करे और तभी दूसरा बोर्ड आवे जो या तो अपनी स्कीम्स बनावे या जो थोड़ी स्कीम्स रह गई हैं कम से कम लाइबेलिटी एक बोर्ड की दूसरे पर आवे ऐसा पीरियड रहना चाहिये। ३ साल का पीरियड कम है क्योंकि इसको देखें तो ऐसा लगता है कि सिलेक्ट कमेटी बैठी थी या मंत्रीजी जो इस बिल को पायलेट कर रहे थे उनको कन्फ्यूजन था वह यह था कि एक हाइब्रिड टाइप ऑफ बोर्ड बनाना चाहते हैं। एक तरफ तो नोमिनेशन का प्रिन्सिपल रखा और दूसरी तरफ गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स को अपॉइन्ट करने का प्रिन्सिपल रखा। मैं नहीं समझ सका कि इलेक्शन की क्या प्रणाली होगी ? क्या म्युनिसिपल इलेक्शन की तरह से होंगे या जनरल इलेक्शन्स होते हैं उस तरह से होंगे या पंचायत इलेक्शन्स होते हैं उस तरह की प्रणाली होनी चाहिये। और जब हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं तो यह साफ है कि हम इसे एक स्पेशलाइज्ड बोर्ड बनाना चाहते हैं और ऐसे काम को करना चाहते हैं जो नॉन ऑफिशियल्स की इलेक्टेड बोडि नहीं कर सकती और जब वे नहीं कर सकतीं तो यह मान्यता है कि इस बोर्ड के पर्सनल्स की कंटिन्युटी एण्ड सिक्योरिटी होनी चाहिये और इतनी होनी चाहिये कि जो स्कीम्स यह फ्रेम करे उनको स्पेसिफिकली एग्ज़ीक्यूट कर सकें। इसलिये ३ साल से हमारा पर्पज़ सर्व नहीं होता। इलेक्टेड बोडिज़ के लिये पीरियड क्यों रखा जाता है ? उसके पीछे एक सिद्धान्त है जिसको इस बोर्ड पर नहीं रख सकते। इलेक्टेड बोडिज़ पब्लिक ओपिनियन के प्रति रेस्पोन्सिबल रहे और जो नये आइडियाज़ हैं उनको इनवाइट करें। पांच साल के टेन्योर के बाद जनता के पास फिर जावें और मेन्डेट लेकर जावें कि जो आगे काम करना चाहते हैं उनके लिये जनता अपना वोट देकर उन को भेजती है या नहीं। जो प्रिन्सिपल म्युनिसिपल बोर्ड, लेजिस्लेचर आदि बोडिज़ हैं उनके साथ पीरियड का सिद्धान्त लगता है वह इसके साथ नहीं लग सकता और अगर लगाते हैं, तो इस बोर्ड के साथ इनजस्टिस करते हैं और उसको प्रिवेन्ट करते हैं इस बात से कि वह अपनी स्कीम्स को एफिशियेन्टली डिस्चार्ज या एम्पलीमेन्ट कर सकें।

दूसरी बात जब हम लेते हैं और बोर्ड के फाइनेन्सेज की ओर आते हैं तो, मैं इसके लिये एक ही इन्सटान्स दूंगा, बोर्ड बेटरमेन्ट लेवी रेज कर सकता है उसके लिये जो अगर किसी में डिस्प्यूट हो तो उसके लिये आरबिट्रेटर्स मुकर्रर किये जा सकते हैं उनमें से एक क्वालिफाइड आदमी होगा और दो नॉन ऑफिशियल्स होंगे जो नोमिनेटेड होंगे या

(श्री श्रीमानसिंह)

अपॉइन्टेड बाई स्टेट गवर्नमेन्ट या बोर्ड जिनको मेज दें वे होंगे। मतलब यह है कि दो आदमी ले-मेन होंगे। मैं नहीं समझता कि बेटरमेन्ट लेवी का प्रिन्सिपल केलकुलेशन का है उसके लिये स्पेशलाइज्ड आदमी न हों, वे केलकुलेट करते हैं उसके बाद जो अगर किसी को अपील करना हो तो उसमें हम दो नॉन ऑफिशियल्स को रखें उनके क्या फंक्शन्स हैं? जब एक तरफ हम यह चाहते हैं कि फाइनेन्सेज़ की सीक्योरिटी हो और दूसरी तरफ पब्लिक ओपिनियन में बेटरमेन्ट लेवी के प्रति क्या रिएक्शन है उसके लिये आप नॉन ऑफि-शियल्स को रखते हैं। लेकिन उसके लिये जहां तक प्लानिंग का सवाल है वहां तक हम इन्सपिरेशन लें प्लानिंग कमीशन से। उसमें भी अब कुछ ट्रेन्ड नज़र आ रही है कि उसमें धीरे धीरे पोलिटिशियन जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जब प्लानिंग कमीशन बना था उस समय उसमें पोलिटिशियन नहीं थे यहां पर भी पोलिटिशियन को इसमें नहीं रखें तो अच्छा रहेगा। टाउन इम्प्रूवमेन्ट में पोलि-टिशियन्स क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम बोर्ड में से नॉन ऑफिशियल्स को हटावें। दूसरी बात जो इनके फाइनेन्सेज हैं उनमें नॉन ऑफिशियल्स क्या कंट्रिब्यूशन करेंगे। इतना जरूर कर सकते हैं कि जो अगर उन पर किसी तरह का दबाव आये तो एक्सपर्टस के सामने एडवाइस करदें। इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर सकता। तो जिन दो नॉन ऑफिसियल्स के लिए एक स्पेशिलाइजेशन का और दूसरा क्वालिफि-केशन्स का प्रिन्सिपल तय करना है, वह मैं समझता हूं कि नॉन ऑफिसियल के प्रिन्सिपल को ड्रॉप करना पड़ेगा। इसी तरह हम इसके फाइनेन्सेज़ को देखें तो वे फाइनेन्सेज़ हैं कि सेल ऑफ लैंड, या रेट वगैरह से जो प्रोफिट हो, वह बोर्ड का प्रोफिट होगा, बैटरमेंट लेवी से जो फाइनेन्स होगी, वह बोर्ड की होगी। तीसरे जो स्टेट गवर्नमेंट कन्ट्रीब्यूट करेगी, इसकी फाइनेन्सेज़ के लिए, वह भी बोर्ड का फाइनेन्स होगा। इस तरह से जो फाइनेन्सेज़ हैं, उनको हम देखें तो इन फाइनेन्सेज़ को हम म्यूनिसिपल बोर्ड को देखते और म्युनिसिपल बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली हम रखते कि इन फंकशन्स को, जिन्हें अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड डिस्चार्ज करेगा, वह फंकशन्स डिस्चार्ज करेगी। इन फाइनेन्सेज से म्युनिसिपेलिटी के लिए गवर्नमेंट ने पॉवर रखी है कि म्युनिसिपैलिटी को गवर्नमेंट बाध्य कर सकती है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को इतना कन्ट्रीब्यूशन दिया जाय। मैं नहीं कह सकता कि एक तरफ म्युनिसिपैलिटी को बाध्य करें और दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज़ अर्बन इम्प्रूवमेंट के पास रखें जब कि एक इन्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो एक और यह प्रिन्सिपल क्वालिफिकेशन्स का, क्वालिफाइड पर्सनल्स का, टैकिनकल पर्सनल्स का प्रश्न तय करना है, उस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड हैं, जो टाउन प्लानिंग एक्सपर्टस हैं, इनकी सर्विसेज़ को म्युनिसिपल बोर्ड के नीचे रखें। तो एक तरफ हम डुप्लीकेट मशीनरी क्रियेट करना चाहते हैं दूसरी तरफ जो डुप्लीकेट मशीनरी है उसका एडीशनल बर्डन टाउन के आदमियों पर पड़ेगा, उसको हटा सकते हैं। तीसरे जो लेजिटिमेंट इन्स्टिट्यूशन हैं, जो रिप्रजेन्टेटिव बाडी है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वहां एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो जिस फंक्शन को म्युनिसिपल बोर्ड बिलकुली कर सकता है, जैसे कि बाहर के कन्ट्रीज़ में कर रहे हैं, वे इन फंकशन्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको

(श्री श्रीमानसिंह)

म्युनिसिपल बोर्ड को एन्ट्रस्ट करते हैं, जब म्युनिसिपल बोर्ड को एन्ट्रस्ट करते है तो इस बिल में प्रोविजन है कि कहीं अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को अपहोल्ड किया जायगा या म्युनिसिपल बोर्ड को अप होल्ड किया जायगा, इन केस ऑफ कनफ्लिक्ट गवर्नमेंट के पास आयेंगे। इस कनफ्लिक्ट के लिए यह मशीनरी क्रियेट करते हैं, यह मान कर चलते हैं। जहां डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ पॉवर्स होंगी, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोसेज़ हो सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेज़ हो जाय, तो इन मशीनरी में इनएवीटेबल क्लेश होगा। जब क्लेश इनएवीटेबल है, तो हमें मीडिया ढूंढना पड़ेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने मीडिया ढूंढा है कि इन केस ऑफ क्लेश वे गवर्नमेंट के पास आयें, यह मीडिया होगा। जो म्युनिसिपल बोर्ड अपने फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो म्युनिसिपल बोर्ड इनकैपेबल हैं, जो म्युनिसिपल बोर्ड टाउन प्लानिंग के काम को नहीं ले सकते, उन म्युनिसिपल बोर्ड को खत्म कर दें और सब तरह अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड काम कर दे। मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपल बोर्ड एक तरफ सब जगह मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो प्रश्न आता है टैकनिकल आदमियों का, उस प्रश्न को भी हम रिप्रजेंटेटिव बोर्ड, को दे और रिसोसेंज़ म्युनिसिपल बोर्ड को देवें तो यह समस्या हल कर सकते हैं। यह एक कनक्लूजन होगा। जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड कायम करना चाहते है, उसको खत्म कर दें और जिस जिस जगह अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड नहीं है, तो जैसे विदेशों में टाउन प्लानिंग के लिए प्राइवेट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट फर्म जैसी मशीनरी रखती हैं, जिस तरह के बिज़नेस प्रिन्सिपल से गवर्न होती हैं, और जहां गवर्नमेंट ऑर्डर देती हैं, वहां वे उस वर्क को एक्ज़ीक्यूट करती हैं, वहां प्राइवेट फर्म्स उस वर्क को एग्ज़ीक्यूट करती है, तो हमारे यहां म्युनिसिपल फंक्शन को न माने, न प्राइवेट फर्म्स को माने और बीच में एक दूसरा बोर्ड कायम कर दिया, वह कर दिया अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और वह भी पांच शहरों के लिए। जहां तक फाइनेन्सेज़ का प्रश्न है, जो फाइनेन्सेज़ म्युनिसिपल बोर्ड के पास होने चाहिए, जैसे बैटरमेंट लेवी अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड वूसल कर सकता है, मेरी समझ में नहीं आता कि जब अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक टाउन के प्लानिंग को, टाउन के लिए कन्स्ट्रक्शन को इस फाइनेन्स से एग्ज़ीक्यूट करेगा। तो हम म्युनिसीपल बोर्ड के फंक्शन्स को देखें, जो बिल आपने पेश किया और जिसको यहां पास किया है, उसके अन्दर देखें, तो इतने फंक्शन्स म्युनिसिपल बोर्ड को दिये हैं, उन फंक्शन्स को म्युनिसिपैलिटी प्रफोर्म करती है तो यह मानना पड़ेगा कि उससे एक लोकलिटी को या एक हाउस को निश्चित् रूप से फायदा मिलता है। तो बैटरमेंट लेवी का जो सिद्धान्त आपने अर्बन इम्प्रूव बोर्ड के लिए माना है, क्या वही सिद्धान्त म्युनिसिपल बिल में नहीं मान सकते थे? क्या उसके फंक्शन्स से किसी हाउस की रेंटल वेल्यू बढ़ती है, किसी लोकेलिटी की रेंटल वेल्यू बढ़ती है, उसके लिए म्युनिसिपल बोर्ड बैटरमेंट लेवी लगाये तो उसमें आपको एतराज है। और उसी को अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड लगाता है तो आप डिटो करते है तो यह डिफरेन्स बना कर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि किस तरह यह अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, इसको हम कैसी पर्सनेलिटज़ दें, एक फाइनेन्शियल इन्स्टिट्यूशन कायम कर देते हैं और सेपरेट इन्स्टिट्यूशन

(श्री श्रीमानसिंह)

लगाते हैं तो क्या फाइनेन्सियल पॉवर, फाइनेन्सियल रिसोर्सेज़ हैं, वे बिल्कुल भिन्न हैं। इन केस इसमें ओवर लेपिंग और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम यह देखने की कोशिश करें कि म्युनिसिपल बोर्ड को हम अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को अलग नहीं कर सकते। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के फंक्शन हैं वे म्युनिसिपैलिटी के ही हैं। उसे देखते हुए जो डुप्लीकेशन है, उसको एवोइड करके तब यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक लेजिस्लेशन सेट-अप कर दे और एक एडीशनल मशीनरी सेट-अप कर दें। आप म्युनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज़ देकर जो हैल्प अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को देना चाहते हैं, और जैसा आप कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को केन्ट्रीब्यूट करें, यह न करके हम म्युनिसिपैलिटी को पनपायें। आगे हम देखते हैं कि इसके अन्दर है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सामने जो स्पेशिलिस्ट बुलाये जाय, वे अपनी राय तो दे सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर जैसा मैंने पहले कहा था कि इस बिल के बनने से पहले जब यह बिल सलेक्ट कमेटी के सामने था, तो सलेक्ट कमेटी के सामने एक कन्फ्यूजन था कि आखिर हम क्या क्रियेट करने जा रहे हैं, क्या चीज़ क्रियेट कर रहे हैं, एक तरफ एक इलेक्टेड बोर्ड का सिद्धान्त है तो दूसरी तरफ जो स्पेशिलाइन्ड बोर्ड है, जिसके थ्रू वर्क एग्ज़ीक्यूट करते हैं, यह सिद्धान्त है, तो एक कन्फ्यूजन के अन्दर कुछ इधर उधर से लेकर इधर उधर चेप कर अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल बना दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि लेजिस्लेटिव बोर्ड में जिस सिद्धान्त को मानते हैं, रिप्रजेन्टेटिव बोर्ड में जिस सिद्धान्त को मानते हैं कि मत देने का अधिकार चुने हुए आदमी को ही है। उस सिद्धान्त को यहां लागू कर दिया अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल के अन्दर, जब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अन्दर ऑफिशियल्स को अपॉइन्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नामीनेट कर सकते हैं और जो मेम्बर हैं, उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वे चुने हुए मेम्बर हों, सबके सब मेम्बर्स को मनोनीत कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपॉइन्ट कर सकती है। तो जहां इस तरह के मेम्बर्स हों, वह राय लेने के लिए बाहर के एक एक्सपर्ट को बुलायें जिसकी प्लानिंग के बारे में, फाइनेन्स के बारे में, क्या राय है, वह घंटे दो घंटे उस डेलीबरेसन्स में पार्टीसिपेट करे, वहां डिस्कस करें और डिस्कस करे, यह तो है परन्तु अपने पॉइन्ट-ऑफ़ व्यू को एक्सेप्ट कराने के लिए क्या है। वह वोट तो दे नहीं सकता है। तो जब मेरे को मेरी ओपिनियन जानने के लिए, मेरी राय जानने के लिए बुलाया गया, मेरे को एक्सपर्ट समझा गया। अब एक्सर्ट को यह कह दें कि आपको राय देने की शक्ति है, आपकी वोट देने की शक्ति नहीं है, वोट केवल मेम्बर दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उस आदमी को एक्सपर्ट न कहा जाय,

१२ मध्यान्ह

वे कोई एक्सपर्ट अपने आप नहीं आये हैं आपने उनको बुलाया है और वो आपको राय देंगे अगर किसी को राय देने का अधिकार है तो उसकी राय को मानने के लिए राइट ऑफ वोट भी हमको उसे देना चाहिए और रेस्टोर करना होगा मगर हमने क्लॉजेज़ रखी हैं उससे जो रेस्पोन्स हम एचीव करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते। जब हम

(श्री श्रीमानसिंह)

उन एक्सपर्टों को जिनको हम बुलाते है वोट देने से डीबार करते हैं तो फिर हमें उन एक्सपर्टों को बुलाने से क्या फायदा होगा। इसी तरह से जो इस बोर्ड के सदस्य होंगे, चेयरमैन होगा उसको सेलेरी व एलाउन्स स्टेट गवर्नमेंट देगी इसका प्रश्न आता है। वे सेलेरी और एलाउन्सेज ले सकते हैं लेकिन जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड के चुने हुए सदस्यों का प्रश्न आया है वहां हमने इस सिद्धान्त को नहीं माना था। आखिर वे बोर्ड के फाइनेन्स से क्यों ड्रा करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट ट्रेजरी से देती है तो यह गवर्नमेंट रेस्पोन्सिबिलिटी होगी और गवर्नमेंट की लायेबिलिटी होगी लेकिन जब बोर्ड पर लायेबिलिटी है तो ऐसा लगता है कि जिस सिद्धान्त को हमने म्युनिसिपल बोर्ड में रिजेक्ट किया है कि लोगों को बोर्ड में जनता की सेवा और सेक्रीफाइज की हैसियत से आना चाहिये। लेकिन जब अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का सवाल आया तो हमने इस चीज़ को ड्रोप कर दिया। इससे अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का जो ट्रस्ट होगा उस पर बर्डन पड़ेगा उस बर्डन को हमने केल्कुलेट नहीं किया। आया यह गवर्नमेंट से कर सकेंगे या ट्रस्ट से इसको हमने क्लीअरीफाई नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : You will please not discuss the clauses of the Bill at this stage.

श्री श्रीमानसिंह : I am not referring to any clause Sir. I am unable to understand how the Chair is pointing out.

श्री उपाध्यक्ष : My point is at this stage at the most we can discuss the new principles which have been added by the Select Committee or the principles of the Bill.

श्री श्रीमानसिंह : I am absolutely competent to discuss even the whole clauses in the Bill Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes please

श्री श्री मानसिंह : मैं अभी यह बता रहा था कि जहां पर म्युनिसिपल बोर्ड के फंक्शनों और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के फंक्शनों में लाइकलीहुड हैं जहां एमिनिटीज दिये हुए हैं जैसे सेवेज, क्लीनिंग, वाटर आदि इस प्रकार का प्रश्न आता है उसके लिए म्युनिसिपेलिटी और बोर्ड में एक से हैं। इसके अलावा जहां तक मेम्बरों के डिसक्वालिफिकेशन का सवाल है, हम मेम्बरों को डिसक्वालीफाई करते हैं और उसके लिये गवर्नमेन्ट को पोवर देते है और गवर्नमेंट ने यह पॉवर अपने हाथ में लिया हैं वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में लिया है, मैं इस बात को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता कि गवर्नमेंट पॉवर्स का दुरूपयोग करेगी लेकिन जहां तक मेम्बरों के रिमुवल का प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि मेम्बरों में थोड़े एक्सपर्ट भी होंगे, नोमिनेटेड मेम्बर भी होंगे और इलेक्टेड भी होंगे। यदि गवर्नमेंट अपने हाथ में इस प्रकार के पॉवर लेती है कि उनको पब्लिक इन्ट्रेस्ट में रिमूव करना हो तो कर दिया जावे तो उसका अर्थ यह होगा कि उनको चुनाव से डिबार कर दिया जावेगा तो मैं यह नहीं समझता कि एक चुने हुए व्यक्ति को या नोमिनेटेड व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार से करने रिमूव

(श्री श्रीमानसिंह)

के लिये कम्पीटेन्ट ऑथोरेटी है या नहीं। यह हम एक राइट right to be elected, right to be appointed, right to be nominated. जो गवर्नमेंन्ट रूल्स में एक्सेप्ट करें या प्रिस्क्राइब करें। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को पब्लिक इन्ट्रेस्ट में रिमूव करे तो मैं यह कहूँगा कि उसको रिमूव करने से पहले जुडिशियल ओपीनियन ली जानी चाहिये। मैं इस सजेशन में नहीं जाना चाहता मगर यह निवेदन करूंगा कि आपके जो यह डेमोक्रेटिक इन्सट्रूमेंट हैं उसको काम में न लावें। जब आप पब्लिक इन्ट्रेस्ट में किसी व्यक्ति को रिमूव करें या उसके प्रति चार्ज लगावें तो उनके लिये यह जरूरी है कि उसमें हम जुडिशियल ओपीनियन से फैसला करें क्योंकि हम उस व्यक्ति को दुबारा इलेक्शन में खड़ा होने से रिमूव करके डीबार करते है। यह हो सकता है कि वह किसी इश्यू पर अपनी दो राय रखे और अपनी अलग राय जब बोर्ड को दे और वह राय बोर्ड को पसन्द न आए और हो सकता है कि उसकी राय स्टेट गवर्नमेंट को भी पसन्द न आए तो सरकार उसको और रूप में इनट्रस्ट कर सकती है और उसे डिप्राइव कर सकती है। इस प्रकार इतना लेकुना रह जाता है। स्टेट गवर्नमेंट यह कर सकती है that because such and such member holds a different opinion, so in the public interest the Governor is pleased to do away with his membership. तो इस प्रकार का ऑर्डर निकाले जाने की संभावना रहती है तो इसको रोकने के लिए और सदस्यों के साथ न्याय करने के लिए इस बिल में बिना किसी सदस्य को जुडिशियल ओपीनियन के पहले डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिये। इन्हीं सुझावों के साथ में फिर निवेदन करूंगा कि हम डबल मशीनरी और डबल ऑथोरेटी को शुरू में कायम नहीं करें जिसका नतीजा एफिशियेन्सी ऑफ वर्क और टाउन डवेलपमेंट में इम्प्रूवमेंट के स्थान पर कहीं किसी प्रकार का कनफ्लिक्ट न हो। कहीं म्युनिसिपैलिटी में और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में डुप्लीकेशन ऑफ टेक्सेशन न हो और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कहीं पब्लिक पर बर्डन न हो। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि हम इसको म्युनिसिपैलिटी में शामिल कर दें। As an amending Bill to the Muncipal Bill हम इसको लेकर म्युनिसिपैलिटी को एनट्रस्ट कर दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हमने डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है और उसके अन्तर्गत यह भी स्वीकार किया है कि हमारे विकास का खास केन्द्र ग्राम पंचायतें और छोटी से छोटी इकाइयें जो ग्राम में रहती हैं और ग्राम पंचायतों के रूप में स्वीकार किया है हमने माना है कि जितना छोटा क्षेत्र होगा, उसके व्यक्ति को, उसके विकास में सोचने का अवसर होगा। हमने यह भी स्वीकार किया है और संकेत आया है कि जितनी योजनाएं अब तक ऊपर से थोपी जाती थी वे अब नीचे से, प्रारम्भ होगी। और अब गांव के छोटे छोटे आधार पर हम अपना निर्माण कर सकेंगे। और यह बात स्वीकार की है और इसके बाद में सारा हमने पंचायतें, तहसील पंचायतें या जिला परिषद् खड़ा कर रहे हैं। यह सारी ही संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें चुने हुए व्यक्ति

Page No.85

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

होंगे । अब शहरों के सम्बन्ध में हमने विकेन्द्रीयकरण का सिद्धान्त स्वीकार किया, वह शहरों पर लागू हो सकता है या नहीं। जितने भी शहर हैं उन सारे शहरों में क्या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ही था ? क्या शहरों की जिस प्रकार से योजनाएं बनी उन योजनाओं में इस प्रकार की संस्थाओं का हाथ था जिसके कारण शहरों का विकास हो सका। क्या आज कल जितने म्युनिसिपल बोर्ड हैं इस प्रकार का कार्य कर नहीं सकते ? क्या उनको विकास का कोई ज्ञान नहीं ? इस प्रकार हम एक अन्दाज लगा सकते हैं। इस प्रकार की भावना लेकर जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं अपने शहरों का विकास नहीं कर सकते। इस प्रकार का म्युनिसिपल एक्ट हमने स्वीकार किया उसमें इस बिल की अधिकांश बातें आती हैं। यह विधेयक पहले नहीं था इस वज़ह से म्युनिसिपैलिटी में रखा गया। इस विधेयक द्वारा यह जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रान्त के नगर हैं सब जगह बनाये जावें। अपने प्रान्त के बड़े बड़े नगर हैं, डिविजनल सेन्टर हैं वहां पर इस प्रकार के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम किये जावेंगे और जहां नहीं किये जावेंगे वहां की भी योजनाएं बनावेंगे और कार्यान्वित करेंगे । तो फिर इस प्रकार केवल कुछ शहरों के लिए योजनायें बनायें, कानून बनायें, उसकी आवश्यकता है या नहीं इस पर विचार करना है। यदि आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक रूप से कानून का भार और व्यवस्था का भार भी, यह दोहरा भार होगा। और इससे यह होगा कि बहुत बड़ा स्टाफ बढ़ेगा। इसका सभापति होगा, कार्य को चलाने के लिए कार्यालय और उसको चलाने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। नगरपालिका के लिए और बोर्ड के लिए अलग अलग स्टाफ नियुक्त करना पड़ेगा ।

जहां बोर्ड के सभापति का सवाल आता है वहां ऐसा व्यक्ति होगा जिसको राज्य सरकार नियुक्त करेगी। कई स्थानों पर जैसे कोटा का सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड है वहां कलेक्टर ही चेयरमैन चला आता है जयपुर में राज्य के अधिकारी बोर्ड के अधिकारी नहीं हैं। कोई व्यक्ति जो राजनैतिक क्षेत्र में होने से उसकी किसी प्रकार आगे नहीं चली, वह अयोग्य हो जाता है, राज्य सरकार उसको चाहती है लेकिन चाहते हुए भी जो राजनैतिक पार्टी में पिछड़ गया है उसको वह नहीं ला सकती है। वह इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है उस व्यक्ति को टुकड़ा डालना पड़ता है, नगर ट्रस्ट बना रहे हैं उसमें उसको रख दें। सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी। उसमें पहले क्लॉज़ ऐसा था कि सभापति के अलावा कोई न्यास की निधियों में से कोई वेतन या अन्य पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा। सभापति ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जावे। अब जो हमने व्यवस्था की है वह यह है कि बोर्ड के जो सदस्य हैं सबको इस प्रकार का भत्ता मिला करेगा । जिस समय नगरपालिका विधेयक पर विचार कर रहे थे उस समय प्रश्न आया था कि नगरपालिका के सदस्यों को भत्ता दिया जावे या नहीं तो उस समय सदस्यों ने यह मांग की थी कि ऐसे लोगों को जो स्वयम् आगे बढ़ कर काम करते हैं उनको भत्ता नहीं देना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार ने कोई इस प्रकार का काम करता है तो उसको भत्ता देने की व्यवस्था की है। जब भत्ते देने का प्रावधान किया गया है तो फिर हर एक ही कोशिश करेगा, कि मैं जाऊं। जब

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नगरपालिका में ऐसा नहीं किया और यहां इस प्रकार का प्रावधान किया तो लोग सोचेंगे कि नगरपालिका तो काम की चीज़ नहीं है, यहां जाना चाहिये । आपस में क्लेश होगा । इसमें झगड़े उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो बोर्ड के आज के साधन हैं उनको बोर्ड से छीन कर इस ट्रस्ट को दे दे । यदि इस प्रकार से उसके साधन दिये जावेंगे तो बोर्ड को धक्का लगेगा । जब बोर्ड को धक्का लगेगा तो वह कभी नहीं चाहेगा अपने साधनों को देना । इसमें यह भी कि बोर्ड के साधन ही नहीं बोर्ड के जो कर्तव्य हैं जिनको कि वह करता आया है तो उनसे छीन कर राज्य सरकार ट्रस्ट को दे दे । दोनों में झगड़े होंगे । श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कें, रोशनी, पानी के सम्बन्ध में बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में झगड़े पैदा होंगे । आज तक हम काम करते आ रहे थे, आज तक कभी झगड़ा पैदा नहीं हुआ और दुर्भाग्य से बोर्ड सत्तारूढ़ दल के विरोध में हुआ, प्रान्त में जो सत्ता है उसके विरोध में बोर्ड चुन कर आयगा तो सरकार चाहेगी कि उसके अधिकार छीन कर ट्रस्ट को दे दे । ट्रस्ट में चुने हुए जनता के प्रतिनिधि नहीं होंगे किन्तु सरकार द्वारा मनोनीत होंगे । अधिकतर वे होंगे जो नगरपालिका और जन साधारण के विरोध बावजूद आवेंगे । जहां पर नगरपालिका सरकार के पक्ष की होगी वहां तो झगड़ा नहीं होगा लेकिन जहां नगरपालिका दूसरे पक्ष की होगी तो सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड होगा तो नगरपालिका और सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड के बीच में स्थायी झगड़ा हो जावेगा और फिर उसका निपटारा कैसे होगा ? निपटारा नहीं होगा । वहां झगड़े और टंटे उपस्थित हो जावेंगे । नगरपालिका मांग करेगी यह बोर्ड को नहीं देना चाहिए । बोर्ड सरकारी पक्ष का होगा वह कहेगा कि ये सारे अधिकार हमको दे दिये जांय । इस प्रकार झगड़े होंगे । यह बोर्ड के विरुद्ध जावेगा । बोर्ड को बैटरमेंट लेवी चार्ज करने के लिए अधिकार दे दिये हैं । नगरपालिका काम करती है और ट्रस्ट नहीं करता है तो नगरपालिका बैटरमेंट लेवी चार्ज नहीं करना चाहती क्योंकि उसको विकास करना है, जो टैक्स हैं वह तो लेगी । जब इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना दिया तो वह बैटरमेंट लेवी लेना शुरू कर देगा । बोर्ड का जितना खर्चा होगा वह मीट आउट इस बैटरमेंट लेवी से होगा । बोर्ड के सदस्यों को भत्ता देते हैं तो वह भी बैटरमेंट के उपयोग से ही होगा । जहां विकास के काम म्युनिसिपैलिटी करती है तो वहां उसको बैटरमेंट लेवी लेने की आवश्यकता है । नगरपालिका सुचारु रूप से काम करती रहेगी । वहां पर किसी प्रकार के झगड़े नहीं होंगे । जब बोर्ड को स्थापित कर देंगे तो यह लेवी बोर्ड लगाना शुरू कर देगा । आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? बोर्ड उसी साधन से अपना काम चला सकता था । सरकार अनुदान भी दे सकती है । अनुदान नगरपालिका को भी देती है और बोर्ड को भी देगी । नगरपालिका जहां विकास के कार्य कर सकती है वहां बोर्ड नहीं कर सकेगा इसलिए बैटरमेंट लेवी लगावेगा । इन सब बातों को देखते हुए इस विधेयक को पास करने की आवश्यकता नहीं है विशेष रूप से नये सिरे से जब कि नगरपालिका विधेयक पास कर दिया । जब नहीं किया था तो इसकी आवश्यकता हो सकती थी । लेकिन नया विधेयक बनाया

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तो पहले सारी बातों को, जो बातें इस विधेयक में हैं उनको नगरपालिका विधेयक में समाविष्ट करली हैं, कोई बात बाकी नहीं रही है, नगर पालिका के अन्तर्गत विकास कार्य हो सकते हैं, नगरपालिका चाहे तो विकास के लिए कमेटियां बना सकती हैं। जब वे कमेटियां काम कर सकती तो इसके द्वारा एक सुपर कमेटी हो, राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए इस विधेयक को विचारार्थ न लेकर इसको अस्वीकार कर देना चाहिये। इससे सदन का समय भी बच जावेगा। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को अस्वीकार कर दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (उप-मंत्री स्वायत्त शासन विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की बहस मैंने सुनी और थोड़ा अफसोस हुआ कि माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वह इस बिल को पढ़ कर नहीं कहीं हैं। बिल के पीछे जो भावना है, इसमें जो प्रावधान है कि क्यों रखा गया, उनको माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं। सेशन लम्बा चलने से ऐसा हो गया होगा।

पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्यों को एतराज यह है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड नहीं होना चाहिये। म्युनिसिपैलिटी है तो बोर्ड और ट्रस्ट बनाने की क्या आवश्यकता है? मेरा नम्र निवेदन है कि छोटे २ शहर बड़े होते जा रहे हैं और विकास जिस तरीके से होना चाहिये नहीं हो रहा है। १०.१५ साल विकास इस तरह होता रहे और कोई प्लान नहीं हो, तो आगे के लिए सम्हालना और इनकी सुव्यवस्था करना मुश्किल हो जावेगा।

मिसाल की तौर पर आपसे निवेदन करूं कि जयपुर हमारी राजधानी है, इसका बहुत विकास हुआ है। इसका मास्टर प्लान न होने की वज़ह से आज स्थिति यह है कि बीस हजार या तीस हज़ार की आबादी पर जहां स्कूल के लिए जगह होनी चाहिये, वह नहीं है। खेल के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है सीवेज लाइन के लिए जगह होनी चाहिये लेकिन नहीं है। अब कहीं इस प्रकार की लाइन लगानी होती है तो काफी मकान तोड़ने पड़ते हैं काफी नुकसान होता है इसलिए मौजूदा ज़माने में यह जरूरी है कि शहरों का विकास प्लान्ड और अच्छी तरह से हो इसी भावना को लेकर यह अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं तो वैसी हालत में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स बनाने की आवश्यकता क्या है। म्युनिसिपैलिटीज़ बड़े बड़े शहरों में है और वे अच्छा काम करती हैं। उसमें, शहर की सफाई का काम वे कर सकती हैं, इसके अलावा विकास का जो भी काम है उसके लिये हमारा इस प्रकार तजुर्बा रहा है की वह अच्छी तरह से नहीं कर पाती हमारा और पूरे देश का यह अनुभव है कि बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटीज़ के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस बने हुए हैं। ये ट्रस्ट जितना डवेलपमेंट और विकास में ध्यान दे सकते हैं उतना म्युनिसिपैलिटी दे नहीं सकती। और वास्तव में म्युनिसिपैलिटीज़ ने इस विकास की तरफ कम ध्यान दिया है या पूरा ध्यान नहीं दे सकी इसीको ध्यान में रखते हुए अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बिल पेश किया गया है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि यदि यह इलेक्टेड बोडी हो तो ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। इस प्रकार की स्टेच्यूटरी बोडी में नोमीनेशन जो होता है वह स्टेट गवर्नमेंट करती है। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कोरपोरेशन हैं, बहुत से विकास के काम डिपार्टमेन्ट्स के हाथ में है और बहुत से ऐसे काम भी जो इलेक्टेड बोर्डों के हाथ में है। कौन किस काम को एफीसियेन्टली कर सकता है उसी तरह की मशीनरी बनानी पड़ती है जो काम कर सकती हैं। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं सिलेक्ट कमेटी ने इस पर बहुत गौर किया और साल भर तक गौर किया। और जो लेटेस्ट पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसके अनुसार इसमें परिवर्तन भी किये गये बहुत कुछ सोच विचार के बाद यह बिल आपके सामने लाया गया है। हरिडली किया गया हो ऐसो बात नहीं एक प्रोविजो, दूसरे प्रोविजो से कन्ट्रोडिक्ट करता हो यह भी बात नहीं। अगर किसी प्रकार का कन्ट्राडिक्शन है भी तो आप सुझाव दे सकते हैं उसको माना जा सकता है। हमने जो पेश कर दिया है वह फाइनल है यह बात नहीं है मुमकीन हो इसमें किसी प्रकार की गलती रह गई है उस गलती के लिए अमेंडमेन्ट ला सकते हैं उसको स्वीकार किया जा सकता है।

दूसरा सवाल यह उठाया गया ट्रट्स जो है उसमें नोमीनेटेड गवर्नमेंट के मेम्बर्स ज्यादा हैं यह कुछ विरोधाभास सा मालुम देता है। यह हो सकता है कि नोमीनेटेड मेम्बर्स जिनमें रहे हों उन्होंने काम अच्छा नहीं किया हो उसी कारण माननीय सदस्यों का यह एतराज हो। लेकिन कई चीज ऐसी होती है जिनमें नोमीनेटेड मेम्बर्स द्वारा काम कराना आवश्यक हो जाता है। जैसे प्लानिंग की साइड है मान लीजिये एक प्लानर है वह चुनाव लड़ना उपयुक्त नहीं समझता है और मान लीजिये हमें उससे काम करवाना है क्योंकि चुनाव का जो वातावरण होता है उसमें वह पड़ना नहीं चाहता और हमारे प्लान के लिये उसकी सेवायें आवश्यक हैं वैसी हालत में अगर इस प्रकार का प्रोविजन नहीं होता है तो हम उसको रख नहीं सकते उसके अनुभव का फायदा नहीं उठा सकते। नोमीनेटेड बोडीज़ इसलिए रखी गई है जो एक्सपर्ट हैं जिनको काम का अनुभव है उनको इस प्रकार का काम सौंपा जाय। रिटायर्ड व्यक्ति ऐसे बहुत से हो सकते हैं जो चुनाव में जाना नहीं चाहते वैसी हालत में उनकी सेवा से समाज वंचित रह सकता है। आप यह कह सकते हैं कि पॉवर्स डिसेन्ट्रेलाइजशेन हो रहा है जब गांवों के अधिकार चुने हुए लोगों के हाथों में दे रहे हैं तो शहरों के बारे में इस प्रकार के बोर्ड्स की क्या जरूरत है। जिन माननीय सदस्यों ने बिल पढ़ा होगा उनको पता है कि यह ट्रस्ट एक ऐसी चीज नहीं है जो सब जगह बनेगी और हर समय कायम रहेगी। जब तक उपयोगी समझा जायगा वह बना रहेगा ज्योंही काम खत्म हुआ वह ट्रस्ट डिजोल्व हो जायगा उसकी जो लाइबेलिटीज़ आदि होंगी वह म्युनिसिपल बोर्ड को ट्रान्सफर हो जायगी। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड से इस प्रकार से हक लेकर उसके मुकाबले जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के मुकाबले उनके हकों को लेकर हम इस बोर्ड को देने जा रहे हैं। यह उनका मानना

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सही नहीं। क्योंकि यह सब शहरों के लिये तो लागू नहीं होगा सब हिस्सों के लिए लागू नहीं होगा इसमें समय की पाबन्दी है पूरे समय के लिए नहीं है एक हिस्सा जो इम्प्रूवमेंट में आ गया है उसके लिए नहीं है। आज जो इस प्रकार के ट्रस्ट्स की स्कीम चल रही है, मान लीजिये सांगानेर की तरफ चल रही है वहां से आप इसके लिए मेम्बर्स इलेक्ट करवायेंगे उसके बाद आमेर की तरफ बढ़ने की स्कीम हुई तो फिर झोटवाड़े की तरफ तो वोटर्स कौन होंगे किधर से आयेंगे ये सब बातें ऐसी हैं जो सोचने लायक हैं वैसे हमने म्युनिसिपल बोर्ड के दो मेम्बर्स रखे हैं दो से चार को नोमिनेट करने का रखा है। इसके पीछे जो भावना है वह खास तौर से यह है कि जो पैसा जिस काम के लिये वसूल किया जाय वह उसी में लगाया जाय। म्युनिसिटैलिटीज़ के पास जब यह काम था उसमें क्या होता था कि जिस किसी ज़मीन का पैसा आया जो भी ज़मीन बेची जाती थी उस पैसे का क्या होता था कि तनख्वा चुकाने में वह लगा दिया जाता था। या दूसरी जगह रोडलाइट लगाने में वह खर्च कर दिया जाता था। इसके पीछे यह भावना है कि ज़िस स्कीम से जो पैसा वसूल किया जाय वह उसी स्कीम के लिये वह लगा दिया जाय यह इसकी भावना है। म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक स्थिति को तो आप जानते हैं उसके हाथ में जब पैसा आ जाता है वह तनख्वा में ही खर्च होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी समझा गया कि इस प्रकार की एक स्टेच्यूटरी बोडी कायम की जाय। जो पैसा जिस मद से आता है उसी में उसको खर्च किया जाय पैसा ज्यादा हुआ तो बोर्ड की इच्छा पर होगा कि वह जहां चाहे उसको खर्च करे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस भावना से न ले कि यह म्युनिसिपल बोर्ड के हकों को छीनने के लिए लिया जा रहा है।

दूसरी एक बात और कही गई वह यह कि अभी जो बोर्ड चल रहे हैं उसमें जो नोमीनेटेड मेम्बर्स होते हैं वे सरकार की मर्ज़ी के आदमी होते हैं। सरकार कोई ठेका नहीं आज हमारी सरकार है तो कल आपकी भी हो सकती है होना यह चाहिये कि काम ठीक तरह से हो जो व्यक्ति ठीक नहीं होगा वह जनता की राय के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। कोई भी पार्टी का हो आज यह पार्टी है तो कल दूसरी पार्टी भी आ सकती है लेकिन जो भी लोग नोमीनेट करके आय या जो नोमीनेशन की प्रथा है उसको उठा दिया जाता है तो उससे बड़ा भारी नुकसान होने का अन्देशा है इस बात पर मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पर पुनः विचार करें।

अब एक बात यह कही गई कि बैटरमेंट लेवी लेना ज्यादती है, नहीं लगानी चाहिये। जो काश्त की एक समय ऐसी ज़मीन थी जिसे १) और २) गज में भी कोई लेने को तैयार नहीं था उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाने से सड़क बन जाने से या बिजली आ जाने से या इर्रिगेशन के साधन हो जाने से आज १०) गज़ की कीमत बन गई है तो इन सुविधाओं के लिए कुछ कान्ट्रीब्यूशन वहां रहने वाले नहीं देंगे तो कौन देगा? और आप नहीं देंगे तो फिर बोर्ड या ट्रस्ट के पास पैसा कहां से आवेगा आगे और सुविधायें देने के काम करने के लिये। आप कहेंगे कि स्टेट एक्सचेकर से दे दिया जावे तो यह क्यों? टैक्स

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पेअर शिकायत करेंगे, वे क्यों देंगे ।

फिर यह कहा गया कि म्युनिसिपल बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में जगह जगह कॉन्फिलक्ट होंगे । उन्होंने इस प्रावधान को ध्यान से देखा नहीं है । एक इम्प्रूवमेंट स्कीम बनेगी । एरिया नोटिफिाई होगा । चन्द मामलात ट्रान्सफर होंगे इसके भी जरिये रख दिये हैं । तो ऐसी गुंजाइश मुझे तो नज़र नहीं आती ।

फिर कहा गया सैलेरीज़ और अलाउन्सेज पहले तो नहीं रखे गये थे । अब क्योंरखे गये हैं । अब अच्छा काम करना है और वे सभी लोग इसमें दिलचस्पी लें तो इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि सेलेरीज और अलाउन्स उनको देने चाहिए । इसलिए यह रखा गया है ।

एक बात और यह कही गई कि यह बोर्ड का टर्म तीन साल का जो होगा उसमें कोई स्कीम बनी और वह तीन साल में समाप्त नहीं हुई, तो आगे कौन उसको देखेगा । तो यह डर भी ठीक नहीं है । वह तो स्कीम चलेगी, उसकी मियाद होगी उसका बजट होगा उसको सेंक्शन ऊपर से सरकार से मिली हुई होगी तो दूसरे जो परसन आवेंगे वे भी उसको चलावेंगे और उसी स्कीम के अनुसार चलावेंगे और चूंकि उसको स्टेट की सेंक्शन होगी इसलिए दूसरा ट्रस्ट बदल नहीं सकेगा उसे । हम लोगों ने पहले ही इसको देखकर ऐसा प्रबन्ध रखा है ।

एक बात यह कही गई कि मेम्बर्स के रिमूवल के लिए जुडिशियल ऑथोरिटी होनी चाहिये । यह एक प्राइमरी प्रिन्सिपल है कि जो अपोइन्टिंग ऑथोरिटी होती है वही रिमूविंग ऑथोरिटी है । अगर कानून कायदे और जाब्ते की कार्यवाही नहीं करते हैं तो जुडिशियल साइड में जा सकते हैं रिट वगैरह की जा सकती हैं । अव्वल तो इसमें लिखा है किन किन कारणों से हटाया जावेगा इन्सालवेंट हो गया या ऐसी कोई बात हो तो हटेगा और इसको माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति इसमें रहे । तो इसलिए ऐसा रक्खा गया है और मैलाफाइडी ऑर्डर अगर पास कर देते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि he can file a writ petition and have the remedy. तो इन शब्दों के साथ में अब निवेदन करूंगा कि इस बिल को अब सेक्शन वाइज़ विचारार्थ लिया जावे ।

श्री उपध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : खण्डश: विचार कल कर लिया जावे, तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३५ मिनट पर कल मंगलवार दिनांक १२-५-५६ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।)

Page No.91

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, ११ मई, १९५६)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्न	१०४५८	इन्तकाल दर्ज कराने के संबंध में।	
जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट को कार्यान्वित करने हेतु।		बीमा विभाग के कर्मचारी का ग्रेड।	
सचिवालय के समिति कक्ष को पुनः सुसज्जित करना।		शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति।	
लटाई के आधार पर जागीरदारों को मुआवजा।		सराडा तहसील के अभावग्रस्त गांवों में लगान की वसूली।	
धौलपुर के कन्या तथा उच्च विद्यालय।		ललित कला एकेडेमी द्वारा खरीदा गया प्रोजेक्टर।	
तहसील जयपुर में भूमि का अलॉटमेंट।		पटेलान व नम्बरदारान की छूट की रकम में से डवेलपमेंट लोन व नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की कटौती।	
बांसवाड़ा में राजकीय आदिवासी कन्या छात्रावास।		राजस्थान कॉलेज जयपुर से निकलने वाला 'कॉलेज टाइम्स' पत्र।	
बिना सरकारी आज्ञा के काश्त करने वाले काश्तकारों से तावान की वसूली।		अध्यापकों के क्वार्टरों की योजना।	
		जिला नागौर में रिटायर्ड क्लर्क।	
लूणकरणसर तहसील के काश्तकारों के खातेदारी हक।		**स्थगित प्रश्न**	१०४९७
लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कर्ज।		घाली व सोजत सब-डिविजनों में काश्तकारों पर मुकदमे।	
मेट्रिक व इन्टर ग्रेड में नियुक्तियां।		प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन।	
ग्राम बदनोर में भूमि पर अनाधिकार कब्जा।		**अतारांकित प्रश्नोत्तर**	१०५१६
कस्बा बडोद में जमीन का झूंठा		उर्दू भाषा के सम्बन्ध में केन्द्रीय	

सरकार की नीति ।

भूतपूर्व जयपुर राज्य के बी. टी. सी. टीचर्स का सिलेक्शन ग्रेड का एरियर ।

श्री मोहनलाल बांसवानी, प्रताप-नगर को दी गई भूमि ।

प्राइमरी स्कूल, हापावास, की छात्र संख्या ।

राजस्थान के जिले वार माइन लाइसेन्स व लीजेज़ ।

राजस्थान में महिला विद्यापीठ प्रयाग की परीक्षाओं को मान्यता ।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक १०५२७

राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण (गठन तथा कार्यवाही) वैधकारी विधेयक, १६५६, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मंत्री, द्वारा पुरःस्थापित किया गया ।

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान पंचायत (संशोधन)विधेयक, १६५६ १०५२८

आज राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५६ पर खंडशः विचार किया गया ।

विधेयक के खंड ३ में संशोधन किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(२) राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १६५७ १०५८०

श्री पूनमचन्द विश्नोई, उप-मंत्री स्वायत शासन विभाग, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री दयाकृष्ण विजय ।

(२) श्री भैरोंसिंह (१४)

(३) श्री श्रीमानसिंह ।

(४) श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मंगलवार दिनांक १२ मई की कार्य सूची

(१) पुरःस्थापित विधेयक

(अ) राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक ५६ ।

(ब) राजस्थान सरकारी विद्युत-उपक्रम (बाकी राशियों की वसूली) विधेयक, ५६ ।

(२) राजस्थान नगर सुधार विधेयक, ५७ । (खण्डशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६० का उत्तर देखिये)

जिला बाड़मेर

क्रमांक	नाम जागीर	नाम जागीरदार	विशेष विवरण
१.	आगावास	श्री जुन्जाल करण	प्रार्थनापत्र पेश होने पर जागीर एक्ट की धारा ७ के अनुसार पुर्ननिर्धारण किया गया।
२,	पाटोदी	श्री केसरीसिंह	विचाराधीन है
३.	कल्याणपुरा	श्री शेरसिंह	प्रार्थनापत्र पेश होने पर जागीर एक्ट की धारा ७ के अनुसार पुनः निर्धारण किया गया।
४.	कणाणा	श्री शिवकरण	,,
५.	करूणा	श्री अमरसिंह	,,
६.	कल्याणपुरा	श्री चन्द्रकंवर	,,
७.	कणाणा	श्री नरपत करण	,,
८.	समदड़ी	श्री पनेकरण	,,
९.	बानीयाना	श्री संवतसिंह	,,
१०.	थोब	श्री उम्मेदसिंह	इस जागीर का सत्यापन एक्ट की धारा ६।३। बी. के अनुसार कोर्ट ऑफ वार्ड्स के रिकार्ड मूल वर्ष के आधार पर किया गया।
११.	किटनोद	श्री चन्दनसिंह	विचाराधीन है।
१२.	निवाई	श्री शेरसिंह	विचाराधीन है।
१३.	छाछरवाई	श्री तेजसिंह	,,
१४.	निवाई	श्री राणावतसिंह	,,
१५.	माऊ	श्री कानसिंह	,,
१६.	सुरपुरा	श्री मोहन कंवर	,,

Page No.94

१	२	४	५
१७.	गंगावा	श्रीमती मदन कंवर	इनका दावा खारिज हो चुका है क्योंकि इस जिले में इनकी कोई जागीर नहीं है बल्कि ग्राम गंगावास श्री अमरसिंह जागीरदार कोरणा की जागीर के शामिल है।
१८.	खारवा	श्री उगमसिंह	सैटिलमेंट की आय पर हथाई निर्णय किया गया।
१९.	धर्मसर	श्री पाबूदान	,,
२०.	कुन्डल	श्री हेमसिंह	,,
२१.	पादड़ी कलां	श्री चिम्मनसिंह	,,
२२.	तिरगठी	श्री जालम करण	,,
२३.	इन्द्राणा	श्री शम्भूसिंह	,,

सूची (२)

जिला सीकर

१. पुरोहित स्वरूप नारायण जी सीकर
२. श्री भुरेन्द्रसिंह खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़
३. श्री मंगलसिंह जी खूड़ दांतारामगढ़
४. श्रीमती लादोजी चूड़ावतजी शशम तहसील दांतारामगढ़
५. श्री गणपतसिंह जी पंवार खुर्द तहसील दांतारामगढ़
६. श्री प्रतापसिंह जी पंवार कलां तहसील दांतारामगढ़
७. श्री नन्दरामसिंह जी सिरोही तहसील नीमकाथाना
८. श्री सूरजबक्शसिंह जी सिरोही तहसील नीमकाथाना
९. श्री मदनसिंह जी सिरोही तहसील नीमकाथाना
१०. श्री मुकन्दसिंह जी सिरोही तहसील नीमकाथाना
११. श्री संग्रामसिंह जी गोहाला तहसील नीमकाथाना
१२ ठुकरानी हरकंवर जी गोहाला तहसील नीमकाथाना
१३. श्री नारायणसिंह जी गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना
१४. श्री किशनसिंह, बिशनसिंह गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना
१५. श्री जयसिंह ठिकरिया तहसील श्री माधोपुर।

जिला सवाई माधोपुर

१. ठिकाना इसरदा
२. ठिकाना बरवाड़ा
३. ठिकाना सिवाड़
४. परदमपुरा
५. हाडौती
६. थडोली
७. पीपलवाड़ा
८. पलाला
९. सारसोप

जिला बाडमेर

१. श्री जंवारकरण बागावास तहसील पचपद्रा
२. श्री केसरीसिंह पाटोदी तहसील पचपद्रा
३. श्री शेरसिंह कल्याणपुरा तहसील पचपद्रा
४. श्री शिवकरण कणाणा तहसील पचपद्रा
५. श्री अमरसिंह कोरणा तहसील पचपद्रा
६. श्री उम्मेदसिंह थोब तहसील पचपद्रा
७. श्री सावतसिंह पानीयाना तहसील पचपद्रा
८. श्री चन्दनसिंह किटनोद ,,
९. श्री शेरसिंह निवाई ,,
१०. श्रीमती मदन कंवर गंगावा ,,
११. श्री उगमसिंह खारवा ,,
१२. श्री तेजसिंह छाछरवाई ,,
१३. श्री पाबूदान धर्मसर ,,
१४. श्री श्रीचन्द्रकंवर कल्याणपुरा ,,
१५. श्री राणावतजी निवाई ,,
१६. श्री नरपतकरण काणाणा ,,
१७. श्री जसकरण सुरजपुरा ,,
१८, श्री बागसिंह सियाना
१९. श्री सवाईसिंह ममोकलसर ,,
२०. श्री पनेसिंह समदड़ी ,,
२१. श्री रघुनाथसिंह कोटड़ी ,,
२२. श्री सुखसिंह पत्तोकावाड़ा ,,
२३. श्री केशरीसिंह राठी ,,
२४. श्री भूरसिंह पादरू ,,
२५. श्री कानसिंह पाऊ ,,
२६. श्री हेमसिंह कुंडल ,,
२७. श्री राक्तसिंह घारणा ,,
२८. श्री सुमेरसिंह काठेडी ,,

२६. श्री सज्जनसिंह ,,
३०. श्री चिमनसिंह पादड़ी कलां ,,
३१. श्री जालमकरण तिरगटी ,,
३२. श्री शम्भूसिंह इन्द्राना ,,
३३. श्रीमती लाडकंवर मौकलस ,,
३४. श्रीमती श्रेय कंवर समदड़ी ,,
३५. श्रीमती सादरकंवर कोटड़ी ,,
३६. श्री पीतसिंह सावड़ ,,
३७- श्री मोहनकरण सुरपुरा तहसील पचपद्रा

जिला पाली

१. श्री मदनसिंह घारासनी तहसील सोजत
२. श्री सज्जनसिंह मैसाना ,,
३. श्री करणसिंह चमडियाफ ,,
४. श्री भादरसिंह सेधिंया ,,
५. श्री प्रतापसिंह जुपेलाव ,,
६. श्री सज्जनसिंह बगरी ,,
७. श्री नाथूसिंह मेव ,,
८. श्री मौहब्बतसिंह मेव ,,
९. श्री गोविन्दसिंह चांपावत ,,
१०. श्री उदयसिंह सूर्यतन ,,
११. श्री तेजसिंह रेरा ,,
१२. श्री रामसिंह हिलयावास खुर्द तहसील खारची
१३. श्री उम्मेदसिंह राडावास ,,
१४. श्री धौकलसिंह बिधोरा कला
१५. श्री केशरसिंह जोजावार ,,
१६. श्री छतसिंह सिनला ,,
१७. श्री कृष्णकुमारी बिठोरा खुर्द ,,
१८. श्री भोपालसिंह बोयल ,,
१९. श्री अमरसिंह भीमालिदा ,,

२०. श्री आनन्दसिंह चेलावास ,,
२१. श्री हुकुमसिंह बड़ा छिरपटवा ,,
२२. श्री देवराजी बोरनाडी ,,
२३. श्री खंगारसिंह सिरयारी ,,
२४. श्री जसवन्तसिंह हुल्ला ,,

परिशिष्ट

सूची (बी)

जिला सीकर

क्रमांक	नाम जिला	नाम	विशेष विवरण
१.	सीकर	पुरोहित स्वरूप नारायणजी सीकर।	जागीरदार ने लटाई की जांच के दौरान में ही लिखकर दे दिया कि उसको सेटिलमेंट की आय के आधार पर ही मुआवज़ा दे दिया जावे। अत: उसकी सेटिलमेन्ट की आय नहीं तस्दीक की गई।
२.	,,	श्री सुरेन्द्रसिंह जी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़	लटाई आय स्वीकार की गई।
३.	,,	श्री मंगलसिंह जी खुड़ तहसील दांतारामगढ़	,,
४.	,,	श्रीमती दादी जी चूंडावत जी शेशम तहसील दांतारामगढ़	विचाराधीन है।
५.	,,	गणपतसिंह जी पचार खुर्द तहसील दांतारामगढ़	जागीरदार अपनी लटाई की आय के आंकड़े साबित नहीं कर सका इसलिए उसका केस अस्वीकार कर दिया गया।
६.	,,	श्री प्रताप सिंह जी पचार कलां तहसील दांतारामगढ़	लटाई आय स्वीकार की गई।
७.	,,	श्री नन्दरामसिंह सिरोही तहसील नीम का थाना	विचाराधीन है।
८.	,,	श्री सूरज बक्स सिरोही तहसील नीम का थाना	,,
९.	,,	श्री मदनसिंह सिरोही तहसील नीम का थाना	जागीरदार अपनी लटाई की आय के संबंध में आंकड़े साबित नहीं कर सका इसलिए इस केस को अस्वीकार कर दिया जावे।

Page No.100

	२	३	४
१०.	,,	श्री मुकन्दसिंह तहसील नीम का थाना	विचाराधीन है।
११.	,,	श्री संग्रामसिंह गुहाला तहसील नीम का थाना	जागीरदार ने अपनी जागीर के लटाई के आंकड़े निर्धारित अवधि में पेश न करने के कारण इसकी रेंटल आय सेटिलमेंट रेकार्ड के आधार पर ही तस्दीक की गई।
१२.	,,	ठुकरानी हर कंवर जी गुहाला	,,
१३.	,,	श्रीनारायण बिशनसिंह गोविन्दपुरा	विचाराधीन है।
१४.	,,	श्री किशनसिंह बिशनसिंह गोविन्दपुरा	,,
१५.	,,	श्री जैतसिंह ठिकरिया तहसील श्रीमाधोपुर	जागीरदार अपनी लटाई की आय के आंकड़े साबित नहीं कर सका इसलिए इसका केस स्वीकार कर दिया गया।
१६.	सगदड़ी	श्री सिरे कंवर	सेटिलमेंट की आय पर स्थाई निर्णय दिया गया।
१७.	कोटड़ी	श्री सागर कंवर	,,
१८.	सूरपुरा	जसकरण	जागीरदारों ने पुनः निवारण का प्रार्थनापत्र व मुआवजे के दावों अभी तक पेश नहीं किये हैं।
१९.	मोकलसर	बागावास	,,
२०.	पादरू	श्री भूरसिंह	,,
२१.	काठेड़ी	श्री सुमेरसिंह	,,
२२.	सिनेर	श्री सज्जनसिंह	,,
२३.	मोकलसर	श्रीमती लाड कंवर	,,
२४.	मोकलसर	श्री सवाईसिंह	,,

१	२	३	४
२५.	सावड़दा	श्री भीकसिंह	,,
२६.	कोटड़ी	श्री रघुनाथसिंह	सेटिलमेंट आय पर प्रोवीजनल अवार्ड जारी किया गया है ।
२७.	पाटों का बाड़ा	श्री सुखसिंह	सेटिलमेंट आय पर प्रोवीजनल अवार्ड जारी किया गया है किन्तु विचाराधीन है ।
२८.	रानी	श्री केसरसिंह	यह पाली जिले में है ।
२९.	भारणा	श्री रावतसिंह	,,

जिला सवाई माधोपुर

१.	इसरदार	विचाराधीन है ।
२.	बरवाड़ा	,,
३.	हाडोती	,,
४.	थडोली	,,
५.	पीपलवाड़ा	,,
६.	धखाला	,,
७.	सारसाप	,,
८.	परथमपुरा	सेटिलमेंट आय पर मुआवजे का अंतिम निर्णय किया गया है ।
९.	सिवाड़	,,

जलापाली

१.	थारासनी	श्री मदनसिंह	अभी तक जो निर्णय इन जागीरों के दावों में लिये गये हैं उन्हें बन्दोबस्त आय ही मानी गई है । लटाई के आधार पर मुआवजा देने का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है ।
२.	मैसाना	श्री सज्जनसिंह	,,
३.	चमड़ियाक	श्री करणसिंह	,,
४.	सैंथिया	श्री बहादुरसिंह	,,

१	२	३	४
५.	जुपेलाव	श्री प्रतापसिंह	,,
६.	बंगरी	श्री सज्जनसिंह	,,
७.	मेव	श्री नाथूसिंह	,,
८.	मेव	श्री महोब्बतसिंह	,,
९.	चांदावाल	श्री गोविन्दसिंह	,,
१०.	सूर्यतन	श्री उदयसिंह	,,
११.	राडावाड़	श्री उम्मेदसिंह	,,
१२.	बियोर कलां	श्री धोंकलसिंह	,,
१३.	जोजावार	श्री केसरसिंह	,,
१४.	सिनला	श्री छत्रसिंह	,,
१५.	बिठोरा खुर्द	श्री कृष्णकुमारी	,,
१६.	बोयल	श्री भोपालसिंह	,,
१७.	मीमालिया	श्री अमरसिंह	,,
१८.	चेलावास	श्री आनन्दसिंह	,,
१९.	छिरपच्या	श्री हुकुमसिंह	,,
२०.	बोरनाडी	श्री देवरा जी	,,
२१.	रियारी	श्री खंगारसिंह	,,
२२.	लांड	श्री जसवन्तसिंह	,,

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६६ का उत्तर देखिये)

Districtwise allotment of funds under Low Income Group Housing Scheme from 1956-57 to 1958-59.

S. No.	District.	Provision made 1956-57.	1957-58.	1958-59.
1.	Jaipur	12,42,280	11,48,900	7,95,700
2.	Jodhpur.	3,75,000	3,75,000	3,50,000
3.	Bikaner.	1,87,200	3,75,000	2,15,000
4.	Udaipur.	4,40,220	3,75,000	5,00,000
5.	Kota.	1,01,400	1,40,000	75,000
6.	Alwar.	1,20,000	87,200	75,000
7.	Bharatpur.	1.80,280	75,000	88,682
8.	Bhilwara.	1,00,000	95,000	85,000
9.	Ganganagar.	1,20,100	1,00,000	75,000
10.	Sikar.	63,400	97,540	50,000
11.	Chittor.	1,54,800	40,000	60,000
12.	Nagaur.	75,000	40,000	50,000
13.	Pali.	50,000	60,000	75,000
14.	Dungarpur.	50,000	57,660	50,000
15.	Ajmer.	2,00,000	1,53,700	3,56,300
16.	Bundi.	--	--	22,000
17.	Churu.	--	--	47,000
18.	Sirohi.	-	--	72,000
19.	Jhalawar.	--	-	47,000
20.	Banswara.	--	--	47,000
21.	Barmer.	--	--	57,000
22.	Tonk.	-	--	47,000
23.	Jhunjhunu	--	--	37,318

24.	Jalore.	–	–	47,000
25.	Sawai Madhopur.	–	–	33,000
26.	Jaisalmer.	–	–	3,000
	Total:—	34,59,680	32,20,000	33,48,000

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४७१ का उत्तर देखिये)

List of teachers who have been appointed temporary during the session 1958-59

Inspectorate Bhilwara.

1.	Shri Omprakash, H. S. Mandgarh.	Inter Sc.
2.	,, Ramakant, H. S. S. Bhilwara.	,, ,,

Bikaner.

3. Shri Madan Singh.
4. ,, Dwarka Dutt.
5. ,, Hanuman Dass.
6. Inder Singh.

Jaipur East.

7. Miss Uma Bhatt.
8. Shri Lazza Shanker.
9. Shri Suresh Chandra.
10. Shri Kailsh Chandra.
11. Shri Mool Chand.
12. Miss Ratnesh Mathur.
13. Shri Shishupal Singh.
14. ,, Dulichand.
15. ,, Narpati Singh.
16. ,, Kailsh Behari.
17. ,, Suraj Prakash.
18. ,, Ramesh Chandra.
19. ,, Taj Singh.
20. ,, Dhanpati Singh.
21. ,, Abdul zabar.
22. ,, A. S. Nayar.

23. „ Brij Mohan Gopal.
24. „ Tafir Ahmad.

Jhalawar.

25. Shri Ravindra Nath Sachher.
26. „ Rajendra Mohan Gotam,
27. „ Ramesh Chandra Pathak.
28. „ Radha Ballabh.

Ajmer.

29. Shri Rupa Ram.
30. „ Parmeshwar Lal.
31. „ Pratap Singh.
32. „ Ramkishan.
33. „ Chuni Lal.
34. „ Madan Lal.
35. „ Ram Dhan.
36. „ Sahakaran.
37. „ Daulat Narain,
38. „ Prahalad Rai.
39. „ Chhagan Lal.
40. „ Tirath Ram.
41. „ Brij Mohan.
42. „ Sajjan Singh.
43. „ Sita Ram.
44. „ Kailash Chandra.
45. „ A. C. Khokar.
46. „ Ahmed Mehrat.
47. „ Abdul Sathar.
48. „ Badri Pd.
49. „ Teja Singh.
50. „ Raja Ballabh.
51. „ Kishan Gopal.
52 „ Molain Singh

53. ,, Sita Ram.
54. ,, Bhairun Singh.
56. Shrimati Shanti Devi.
56. Shri Umrao Khan.
57. ,, Hari Gopal.
58. ,, Laxmi Narain.
59. ,, Ram Lal Arya.
60. ,, Omprakash.
61. ,, Paras Mal.
62. ,, Gokul Chand.
63. ,, Bech Raj.
64. ,, Hugai Chand.
65. ,, Dinesh Chandra.
66. ,, Ravi Dutt.
67. ,, Shiv Raj.
68. ,, Panna Singh.
69. ,, Gokul Singh.
70. ,, Ganpat Lal.
71. ,, Sayar Mal.
72. ,, Shanker Lal.
73. ,, Shiv Dutt.
74. ,, Banshi Lal.
75. ,, Ram Chandra.
76. ,, Jorawar Mal.
77. ,, Har Swaroop.
78. ,, Abdul Razanak.
79. ,, Faiyas Khan.
80. ,, Jagdish Pd.
81. ,, Mata Deen.
82. ,, Satish Chandra.
83. ,, Bhagwan Dass.
84. ,, Miss Jasoda K.
85. ,, Shri Suraj Kuran.

86. „ Vishnu Singh.
87. „ Balu Ram.
88. „ Prem Narain.
89. „ Bor Mal.
90. „ Ram Gopal.
91. „ Mohd. Ahmed.
92. „ Shyam Sunder.
93. „ Jagdish Pd.
94. „ Sohan Lal.

Chittorgarh.

95. Shri Sagar Mal.
96. „ Prahalad. Rai. Singh.
97. „ Phul Chand.
98. „ Mohan Lal.

Jodhpur.

99. „ Shri Ramakant.
100. „ Pyara Lal.
101. „ Jag Deo.
102. „ Satya Pal.
103. „ Indra Rana.
104. „ Narain Singh.
105. „ Mam Singh.
106. „ Abdul Hai.
107. „ Dwejendra Nath.
108. „ Padhey Shyam.
109. Shrimati Pushpa Mehta.
110. Shri Dorthi Joseph.
111. „ Kasim Mudeen.
112. „ Jawarhar Lal.
113. „ Zumar Lal.
114. „ Durga Pd.

115. „ Nand Singh.
116. „ Tej Singh.
117. „ Hari Mohan.
118. „ Shyam Sunder,
119. „ Kulvir Singh.
120. „ Nirmal Tyagi.
121. „ Kamala Jems.
122. „ Madan Gopal.
123. „ Jagdish Narain.
124. „ Ram Gopal.
125. „ Dhana Lal.
126. „ Murlidhar.
127. „ Shiv Charan.
128. „ Sudarshan.
129. „ Kamlesh Ishar.

Sikar.

130. „ Rahhey Shyam.
131. „ Murari Lal.
132. „ Puran Mal.
133. „ Pukh Raj.
134. „ Sultan Singh.
135. „ Shri Narain.

Jaipur West.

136. „ Gauri Shanker.

D. I. G. S. Jaipur.

137. „ Sushila Devi.
138. „ Adarsh Kumari.

D. I. G. S. Kota.

139. Shrimati Kamal Mehta.
140. „ Nirmal Sud.
141. „ Vijaya Laxmi Sharma.

142 ,, Pushpawati Chawhan.
143. ,, Prem Lata Saxena.
144. ,, Parbha Soral.
145. ,, Jayanti Kumari.
146. ,, Maya Kumari.
147. ,, Vimla Bhatnagar.
148. ,, Yasod Rani.
149. ,, Devandra Devi.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ का उत्तर देखिये)

विधान सभा प्रश्न संख्या ३१७। से सम्बन्धित सूचि ।

(क) सन् १९५७ ई० में राजस्व विभाग जिला नागौर के रिटायर हुए क्लर्कों की सूची ।

क्रमांक	नाम क्लर्क	दिनांक रिटायरमेंट
१.	श्री भैरोंमल सिंघवी	१२–१–५७
२	श्री हंसराम	८–३–५७

(ख) रिटायर्ड (१९५७) क्लर्कों में से जिनकी तनख्वाह तरक्की आदि की रकम देनी बाकी है उसका विवरण ।

क्रमांक	नाम क्लर्क	रकम जो देनी बाकी है ।
१,	श्री भैरोंमल सिंघवी	१२०२ रुपये ६४ नये पैसे इसमें ग्रेच्युटी व प्रावीडैंट फैन्ड व बोनस की रकम शामिल नहीं है जिसका हिसाब तनख्वाह के बिल पास होने के बाद महालेखापाल करेंगे ।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०२४ का उत्तर दीखिये)

सब डिवीजन सोजत

मुकदमात कायम	जुर्माना वसूल किया	बेदखल किया	पेडिन्ग	कारण
३०	,,	,,	१२	२ मौका मुलाहिज़ा के लिये एक सबूत के लिये । १ १ सायलान द्वारा फार्म भरने हेतु । तथा ८ पटवारियों से पूर्ण रिकार्ड तैयार होकर प्राप्त नहीं होने से ।
बाली ३५१	१०२६–२–०	२	१६८	राजस्थान टेनेंसी एक्ट कीधारा १८३ को अन्तर्गत मुकद्मात निपटाने की पॉवर तहसीलदार को है या नहीं । इसका स्पष्टीकरण चाहा था । स्पष्टीकरण कर दिया गया है । और तहसीलदारान को आदेश दे दिये हैं कि इन मुकदमात को शीघ्र निपटाया जाय ।

१९६६२]

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६३ का उत्तर देखिये)

नक्शा अलोटमेंट लैंड जयपुर तहसील अप्रेल १९५७ लगायत जनवरी सन् १९५९

१ नाम ग्राम	नाम आसामी जिसको ज़मीन दी गई	तादाद रकबा	तारीख आज्ञा
१ बीड बागडोसी	श्री रामेश्वरप्रसाद पडाव उदयपुर	२५ बीघा ५६ से. के.	पत्र नं० ४६६७ २८-८-१९५८ ।
२ ,,	श्री भंवरसिंह	,,	,, ,,
३ ,,	श्री आलूसिंह मंडावरा	,,	,, ,,
४ ,,	श्री भीमसिंह	,,	,, ,,
५ ,,	श्री जगन्नाथ चैनपुरा बस्सी	२५	,, ,,
६ ,,	श्री भंवरलाल ,,	,,	,, ,,
७ ,,	श्री बृजमोहनलाल जयपुर	,,	,, ,,
८ ,,	श्री गोपाललाल ,,	,,	,, ,,
९ ,,	श्री भंवरसिंह श्री लाधुसिंह मन्डवाडा, उदयपुर	,,	,, ,,
१० ,,	श्री बिडालसिंह सराग	,,	,, ,,
११ ,,	श्री पदमसिंह	,,	,, ,,
१२ ,,	श्री शोभसिंह ,,	,,	,, ,,
१३ ,,	श्री लाधुसिंह मनकास	,,	,, ,,
१४ ,,	श्री परतापसिंह ,,	,,	,, ,,
१५ ,,	श्री भालसिंह	,,	,, ,,
१६ ,,	श्री रामकुमारसिंह	,,	,, ,,
१७ ,,	श्री हनुमानसिंह	,,	,, ,,
१८ ,,	श्री लालसिंह हरिसिंह मानकास उदयपुर	,,	,, ,,

१	२	३	४		
१६	,,	श्री करणसिंह जोधपुर ,,	,,	,,	
२०	,,	श्री रणजीतसिंह ,, ,,	,,	,,	
२१	,,	श्री सूरजभान सिंह ,, ,,	,,	,,	
२२	,,	श्रीमती सोमकंवर मानकास ,, ,,	,,	,,	
२३	,,	श्री द्वारकाप्रसास जलान ,, ,,	,,	,,	
२४	,,	श्री प्रकाशचन्द स्वामी जयपुर	,, पत्र सं ५६१६		

ऐ.के. कमिश्नर ३-११-५८

योग ५८५

शुद्धि–पत्र

(११ मई, १६५६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१०४५६	७	cquiping	equipping
१०४६०	अन्तिम	exect	exact
१०४६३	६	धौलपुर के कन्या तथा उच्च विद्यालय	धौलपुर के कन्या उच्च विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय
१०४६३	११	छात्राये	छात्रायें
१०४६६	१६	दोषो	दोषी
१०४७१	१०	तवान	तावान
१०४७२	१५	की ओर रिप्रेजेन्टेशन	की ओर से रिप्रेजेन्टेशन
१०४७३	४	सेटिफाई	सेटिस्फाई
१०४७३	६	थ्रू	थ्रु
१०४७८	२१	मालुम	मालूम
१०४७८	२२	अवेलेविलिटी	एवेलेविलिटी
१०४८२	१४–१५	अनाधकार कब्जा	अनधिकार कब्जा
१०४८३	७	बीधा	बीघा
१०४८४	१२	सुपर वाइज़र्स	सुपरवाइज़र्स
१०४८४	१३	सुपरवाज़र	सुपरवाइज़र
,,	२१	सुपरभाइज़र	सुपरवाइज़र
,,	अन्तिम से ३	सुपरवाज़र	सुपरवाइज़र
१०४८५	१७	अधिनस्थ	अधीनस्थ
१०४६३	१	करेक्टर	करेक्ट
१०४६३	१६	esecifica lly	specifically
१०५०५	अन्तिम से ७	१६ ज़िलों	१६ ज़िले
१०५०७	१६	अप्रूवल	एप्रूवल

१	२	३	४
१०५०६	१	उनक	उनको
१०५०६	अन्तिम से ६	कुअश्चन	क्वेश्चन
१०५११	१	कमिश्न	कमिश्नर
१०५११	अन्तिम से ८	कहां	कहा
१०५१४	१८	नतीजा	नतीजे
१०५१७	६	मकान मिलने	मकान न मिलने
१०५१६–	१० व अन्तिम से ७ व ३	urdu	Urdu
१०५२२	अन्तिम से ३	बासवानों	बासवानी
१०५२३	२	Paultry	Poultry
१०५२४	अन्तिम से ४	स्कूलें	स्कूल
१०५२५	१७	Plessed	Pleased
१०५२५	अन्तिम से ३	ken against	taken against
१०५२६	१५	पहिला	महिला
,,	२० के बाद		उत्तर
१०५२७	१३	वेलिडेटिग	वेलिडेटिंग
१०५२८	१३	एडमिनिस्ट्रे टिर	एडमिनिस्ट्रेटर
१०५२६	८	एडमिस्ट्रेटर	एडमिनिस्ट्रेटर
१०५३१	१	आयगी	आयेगी
१०५३६	अन्तिम से ६	महेज	महज़
१०५४१	१२	wite a light	with a slight
१०५४१	१३	so the amendment the	so the amendment
१०५४४	२	जैसे में	जैसे मैं
१०५४५	१३	समारे	हमारे
१०५४६	अन्तिम	सरकार को	सरकार की
१०५४६	१७	नियुक्ति	नियुक्ति
१०५५०	प्रथमत:	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)	(श्री भैरोंसिंह)
१०५५०	१७	समय में	समय
१०५५२	प्रथमत:	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)	(श्री भैरोंसिंह)

१	२	३	४
१०५५६	१	striching	sticking
१०५६१	१	रिपोट	रिपोर्ट
१०५६१	अन्तिम से ८	वसर	वहीसर
१०५६४	१८	पंचायतों म	पंचायतों में
१०५६५	१	करना	करनी
१०५६६	अन्तिम से ५	रियायत करने वह पार्टीवाजी	रियायत करने में पार्टीबाजी या
१०५६८	प्रथमत:	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१०५६८	१३	from since long	from the House since long
१०५७३	२१	कम्पीशन	कम्प्टीशन
१०५७३	अन्तिम से ७	आफिस	ऑफिसर
१०५७४	३	प्रोजल्स	प्रपोजल्स
१०५७५	३	पंचावत	पंचायत
१०५७५	८	प्रपोजल्म	प्रपोज़ल्स
१०५७५	अन्तिम से २	मन्त्रीजी ने निवेदन	मन्त्रीजी से निवेदन
१०५८२	१५	ड्रस्ट	ट्रस्ट
१०५८२	अन्तिम	रखी नई है	रखी गई है
१०५८६	अन्तिम से १२	इम्पूमेंट	इम्प्रूवमेंट
१०५८६	,, ,, ६	अमुक व्यक्ति अमुक स्थान	अमुक व्यक्ति ने अमुक स्थान
१०५८६	,, ,, ६	एक पहले दिन	एक दिन पहले
१०५६१	६	पर मतलब होता है	मतलब होता है
१०५६२	अन्तिमसे १३	स्थितियों	स्थितियां
१०५६२	अन्तिम से ८	साघन	साधन
१०५६४	१०	करने का गुंजाइश	करने की गुंजाइश
१०५६६	२	बेठे	बेटे
१०५६८	८	इन्जीनियररर्स	इन्जीनियर्स
१०५६६	अन्तिम से ७	किसी	किस
१०६००	२४	विल्डिस	बिल्डिंग्स
१०६०३	अन्तिम से १०	आने याले	आने वाले

१	२	३	४
१०६०४	७	यह	यहां
१०६०४	१४	बीज	चीज
१०६०५	शीर्ष	१०५०५	१०६०५
१०६०५	७	recommitia	recommital
१०६०६	अन्तिम से ६	givin	given
१०६०६	,, ,, १०	dicision	decision
१०६०७	,, ,, २	श्री पी० के० घौधरी	श्री पी० के० चौधरी
१०६०८	,, ,, १३	Rnle	Rule
१०६०९	१२ व १३	other Bill	Other Bills
१०६१२	१२	कॉंट्रियूशन	कॉन्ट्रिब्यूशन
१०६१२	१३	कॉन्स्टिट्ट्यूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
१०६१४	२	स्कीम	स्कीम
१०६१९	२०	प्रफोर्म	प्रिफोर्स
१०६१९	अन्तिम से २-३	पर्सेनेलिटज	पर्सनेलिटीज़
१०६२४	अन्तिम	करने रमूिव	रिमूव करने
१०६२५	१३	Muncipal	Municipal
१०६३१	अन्तिम से ६	डवेलहमेंट	डवेलपमेंट
१०६३२	प्रथमतः	(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
१०६३२	अन्तिम से ६	मुपकीन	मुमकिन
१०६३४ व १०६३६	प्रथमतः	(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
१०६३७	७	इन्सालवेट	इन्सोलवेन्ट
१०६३८	१२	धौलपुर के कन्या तथा उच्च विद्यालय	धौलपुर के कन्या उच्च विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय